खण्ड-303, अंक-7
शुक्रवार, 16 चैत्र, शक संवत् 1895
(6 अप्रैल, 1973 ई0)

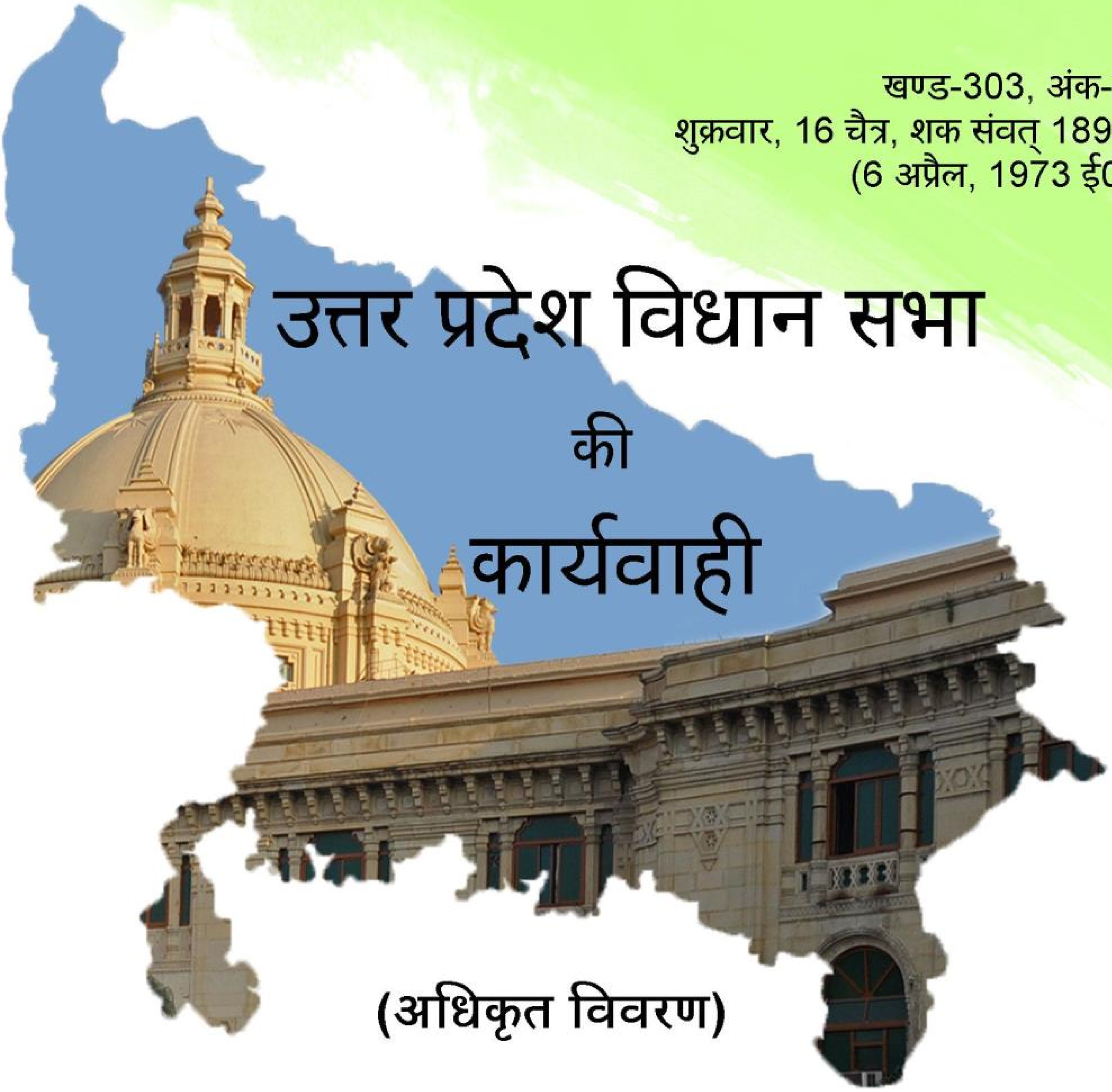

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 303 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 6 अप्रैल, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--359

अजब सिंह श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकांत बाजपयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के0 एस0 गोहारिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोबिन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजी लाल, श्री
छदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तेज नारायण त्रिवदी, श्री
तजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवणी राय, श्री
त्रिवणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)

बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महाबीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्री
मुशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द्र, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़,फूलपुर)
राम विलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूब, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शांती चरण पिडारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सैयद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री

सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नों से पहले नहीं हो सकता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

अलीगढ़ यनिवर्सिटी के मामले में मुझे बात करना है इसलिये उसको पहले लिया जाय। आप पहल मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप पहले मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनको बन्द क्यों किया गया है ? मैं हाउस चलने नहीं दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

मैं 10 मिनट के लिये सदन स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 3 मिनट पर सदन स्थगित हुआ और 11 बजकर 13 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष जी, आप से एक निवेदन है कि आप क्वेश्चन आवर के बाद सदन में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर जो हमारा काम रोको प्रस्ताव है उस पर चर्चा करने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसको देखूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

प्रश्न समाप्त हो जाय तो ले लीजिये उसको।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

प्रश्नों के बाद आप उस पर बिचार करेंगे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 6 अप्रल, 1973

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

पुरकाजी (मुजफ्फरनगर) में ओले से क्षति तथा सहायता व्यवस्था

**1—श्री सैयद मुर्तजा (जिला मुजफ्फर नगर) तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार को ज्ञात है कि मार्च, सन् 1973 के प्रथम व दूसर सप्ताह में जनपद मुजफ्फरनगर में ओले काफी मात्रा में गिरे जिसके कारण वहां की फसल नष्ट हो गयी और विशेष रूप से पुरकाजी के इर्द गिर्द ? यदि हां, तो सरकार कृषकों व अन्य लोगों को इस क्षति के होन से जो हानि हुई है उसको पूरा करने तथा उनकी मुसीबत को दूर करने क लिये क्या-क्या कार्यवाही कर रही है ?

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

जी हां, मार्च 1973 में जिला मुजफ्फर नगर के 31 ग्रामों में ओले गिरने से फसल को क्षति पहुंची जिनमें पुरकाजी के इर्द गिर्द विशेष रूप से क्षति हुई।

प्रभावित लोंगो को 10,000 रुपया अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया। तीन सरकारी सस्त गल्ल की दुकानें स्वीकृत की गयी।

प्रभावित ग्रामों के कृषकों के गन्ने को लकसर तथा रुहाना चीनी मिलों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खरीद कराने को तथा इन्हें गन्ने का बीज प्राथमिकता के आधार पर देने की व्यवस्था की गयी।

श्री सयद मुर्तजा—

जनाबे वाला, मैं आपके जरिये मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर 10,000 बाटें हैं जब कि करोड़ों रुपये का नुकसान काश्तकारों का हुआ है ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

जो धन बांटा गया है वह जो क्षति हुई है उसके आधार पर नहीं बांटा गया है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

31 गांवों में कितनी धनराशि की क्षति पहुची है जो आपके विभाग द्वारा एसेस की गयी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

31 गांवों में नुकसान हुआ है। 25 गांव ऐसे हैं जिनमें बोयी हुई रबी की फसल सारी की सारी प्रभावित हुई है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसक आंकड़े आने बाकी है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मैं यह जानना चाहता हूं कि ये दुकानें कहां और कब खोली गयी हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

किस तारीख से खोली गयी हैं और किस गांव में खोली गयी हैं, इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री सैयद मुर्तजा—

अब तक उस क्षेत्र में कोई दुकान नहीं खोली गयी है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

आपकी सूचना को सही मानकर कि दुकानें नहीं खोली गयी हैं, दुकानें तुरन्त खुलवा दूंगा।

श्री सैयद मुर्तजा—

क्या मन्त्री जी मालगुजारी, भूमि विकास कर, आबपाशी को माफ करने पर गौर करेंगे?

श्री उदित नारायण शर्मा—

नुकसान के आंकड़े आने पर विचार किया जायगा।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 10,000 रु० किस आधार पर बांटे गये हैं? मेरी इत्तला तो यह है कि वहां पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि वहां पर बहुत नुकसान हुआ है। सहायता नुकसान के अनुपात में नहीं दी जाती है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने परिवार प्रभावित हुए हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने निवेदन किया है कि 25 गांवों में जितने क्षेत्रफल में रबी की फसल खड़ी हुई थी वह सारी की सारी ओलों से प्रभावित हुई है। कितने परिवार प्रभावित हुए हैं उसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

10,000 से ज्यादा परिवार हैं। यह तो 8 आना फी परिवार नहीं पड़ा।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

आप खामोश रहिये और मुझको कुछ निवेदन करने दीजिये।

मंत्री जी ने फरमाया कि 25 गांव प्रभावित हुए हैं। तो, प्रभावित तो 16 आने में एक आना भी कोई हो सकता है और 16 के 16 आने, प्रभावित हो सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि रबी की फसल का नुकसान हुआ है या कुछ मकानों को या नये पौधे जो लगाय गये और आम के बाग को और क्या अनुपात उसका है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रभावित तो 31 गांव हुए हैं। 25 ऐसे हैं जिनमें जितने रकबे में रबी की फसल बोई गई थी वह सारा रकबा प्रभावित हुआ है। 6 ऐसे हैं जो आंशिक रूप से हुए हैं। क्षति कितनी हुई 16 आने, 14 आने, या 10 आने, उसके आंकड़े आने बाकी हैं।

श्री बलबीर सिंह—

मंत्री जी ने यह बात मान ली है कि बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो आपने 10 हजार की राशि दी है इसके बढ़ाने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कितना रुपया आप देने को तैयार हैं उन लोगों को?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बढ़ाने के लिए हम जरूर तैयार हैं, लेकिन अहेतुक सहायता का निर्धारित माप-दंड है। हम किसी को भी सौ रुपये से अधिक सहायता के रूप में नहीं दे सकते। मकानों की क्षति के लिए अलहदा देते हैं, बीज के लिए उसके अलावा देंगे और जो लोग एक एकड़ से कम वाले थे उनको बीज देंगे।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

प्रदेश में इस स्थान के अलावा भी जहां-जहां ओले पड़े हैं वहां उसके कारण जो किसान प्रभावित हुए हैं उनका जो खाद, बीज और पानी और लगान का मामला है, फसल जो नष्ट हो गयी तो उन चीजों को इस फसल में उनके लिए माफ कर देंगे और व्यवस्था कर देंगे?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह इस पर निर्भर करेगा कि हमारे पास यह आंकड़े आ जायं कि क्षति वाकई में कितनी हुई है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मुझे ऐसी सूचना मिली है कि करोड़ों की हानि हुई है, लेकिन पूर्ति के संबंध में जो सरकार ने कार्यवाही की है वह "ऊंट के मुंह में जीरे के समान है"। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्षति के आधार क्या है और कितनी क्षति पर कितना धन देते हैं पूर्ति करने की दिशा में? कितना नुकसान हो तो कितना कम्पेंसेशन उसके आधार पर देते हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने निवेदन किया कि इसका आधार नुकसान से मुताबकत नहीं करता। हमारी एक सीमा है। हम सौ रुपये से अधिक अहेतुक सहायता इस मद से नहीं दे सकते। आपने जो लगान की छूट की बात कही तो वह अलहदा दी जाती है। उसके बाद में तकाबी अलग दी जाती है सब लोगों को जिनके यहां ओला पड़ा हुआ है, जिसको "डिस्ट्रेस तकाबी" कहते हैं उस पर कम सूद लिया जाता है। खाद-बीज की भी सहायता की जायगी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या यह सही है कि सौ रुपये के हिसाब से इन 31 गांवों में से सिर्फ 100 परिवारों को सहायता दी है आपने?

श्री अध्यक्ष—

वह तो है ही।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या क्षति हुई और वह परिवार कितने हैं जिनको नुकसान हुआ है? आधार इनका क्या हुआ फिर? पंडित जी गलत बतला रहे हैं।

श्री उदित नारायण शर्मा---

यह सहायता उन्हीं को दी जायगी जिनको आवश्यकता होगी। कोई जरूरी नहीं है कि जितनों को नुकसान हुआ है उन सभी को दी जाय। जिनकी अपनी हालत अच्छी है उनको इसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ा करती।

मैं निवेदन यह कर रहा था कि यह नुकसान ओले से जो हुआ है, लेकिन अहेतुक सहायता जिसको दी जाती है उस संबंध में फौरी आवश्यकता नहीं थी। यह गल्ला भी इनके घर में एक महीने बाद जाने वाला था, आज जाने वाला था। उनका नुकसान हो गया, लेकिन कोई फौरी जरूरत सहायता की पड़ गयी हो, ऐसा नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या माननीय मंत्री जी ने इसकी संख्या मालूम कर ली है कि कितने परिवारों को सहायता की आवश्यकता थी और कितनों को नहीं ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

जिन प्रश्नगत गांवों में ओला वृष्टि से क्षति हुई है क्या उनमें राजस्व मंत्री, उप मंत्री या मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य ने दौरा किया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

जी नहीं।

लखनऊ मेडिकल कालेज में पत्रकार श्री लक्ष्मीकान्त तिवारी की मृत्यु

** 2---श्री बंशीधर पांडेय तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कुछ दिन पहले ख्याति प्राप्त पत्रकार व इंडियन एक्सप्रेस के प्रतिनिधि श्री लक्ष्मीकान्त तिवारी की दुखद मृत्यु मेडिकल कालिज में एक विशेष उपकरण के अभाव में हो गई और विशेषज्ञों के लिखने पर भी उक्त उपकरण सरकार दिल्ली से न मंगा पाई ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी लोगों को क्या दण्ड दिया गया ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)---

श्री लक्ष्मीकान्त तिवारी की किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ से सम्बद्ध गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ में 24 मार्च, 1973 को मृत्यु हो गई थी। चूंकि उपर्युक्त संस्थाएं सरकारी संस्था नहीं हैं अतएव इनकी दैनिक आवश्यकताओं एवं संचालन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही संभव नहीं है। वैसे भी श्री तिवारी के उपचार हेतु कथित उपकरण मंगाये जाने के लिये शासन को कोई औपचारिक संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था।

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, लखनऊ मेडिकल कालेज इस सदन के ऐक्ट और नियमों के अन्तर्गत बना हुआ है। उससे एफिलियेटेड जितने इंस्टीटूशन्स हैं वह उससे सम्बद्ध हैं और कालेज, चाहे वह यहां का हो या सेन्टर का वह सेन्ट्रल ऐक्ट के नियमों के अन्तर्गत गवर्न होता है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की आपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कि इस सरकार के ऐक्ट और नियमों के अन्तर्गत चलने वाले जो कालेज और संस्थायें हैं उनके द्वारा कोई गलती होती है तो क्या आप उसकी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं ? औपचारिक रूप से सूचना नहीं मिली तो क्या अनौपचारिक रूप से मिली ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

हमारे प्रदेश में दो तरह के मेडिकल कालेज हैं। एक केन्द्रीय सरकार के और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के। लखनऊ मेडिकल कालेज लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हैं। यह सही है कि हम ग्रांट देते हैं लेकिन डे-टु-डे ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लखनऊ यूनिवर्सिटी का है यह मेरे कहने का मंशा था।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात नहीं है बल्कि एक पत्रकार की मृत्यु की बात है। जब मंत्री जी को अनौपचारिक रूप से पता चल गया था कि एक विशेष उपकरण दिल्ली से आना है तो उसको क्यों नहीं मंगाया गया? क्या मंत्री जी उसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

मशीन के लिये कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं थी। मशीन तो ठीक काम कर रही थी। एक उसमें मेम्ब्रेन, झिल्ली लगती है। वह मशीन जब खरीदी गयी थी तब उसके साथ वह मेम्ब्रेन आयी थी, एक मर्तबा फिर आयी और फिर तीसरी मर्तबा आयी। उसके बाद बराबर कोशिश की गयी कि मेम्ब्रेन उपलब्ध हो जाय लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वह उपलब्ध नहीं हो सकी। और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह दिल्ली से नहीं बल्कि जर्मनी से आती है। मद्रास की दो फर्म्स उसे सप्लाई करती हैं। उनको हमने अप्रैल, 72 में ही आर्डर दिया था जबकि हमारे पास मेम्ब्रेन थी और काम कर रही थी, लेकिन वह सप्लाई नहीं कर सके। तब मजबूर होकर हमने हिन्दुस्तान में जो जर्मनी के कौंसल रहते हैं उनके टेक्निकल ऐडवाइजर को सम्पर्क किया कि आप कृपा कर के हमारी मदद कीजिये क्योंकि यह मेम्ब्रेन हमको नहीं मिल रहा है। फिर तीसरी फर्म एक जो मद्रास में थी, उसको लिखा गया। उन्होंने जवाब दिया कि हमारा कन्साइनमेंट आने वाला है, जैसे ही आयेगा हम दे देंगे। दिल्ली भी लिखा गया। वहां भी उपलब्ध नहीं था। अब यह दुर्भाग्य ही समझा जायेगा।

श्री वंशीधर पांडेय--

मंत्री जी को औपचारिक रूप से कोई सूचना नहीं थी तो अनौपचारिक रूप से तो रही होगी जब ही तो यहां उन्होंने उत्तर दिया, तो क्या अनौपचारिक रूप से उनको इसकी सूचना थी?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

जब यह प्रश्न मिला तो सारी सूचना मेडिकल कालेज से मंगायी गई और वहां से उपलब्ध करा कर ही दी गयी। यह आर्डर या रिमाइन्डर वगैरह सब उन्होंने ही दिये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

श्रीमन् यह सवाल पार्लियामेंट में भी उठा था और यह उपकरण दिल्ली में उपलब्ध था। 4-6 दिन यह एयरपोर्ट पर ही पड़ा रहा। यह वहां आ गया था। तो दिल्ली में जो इनका यू० पी० निवास में लियाजन आफिसर रहता है क्या उससे सम्पर्क स्थापित किया गया था?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)--

श्रीमन्, हमसे उसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। किसी विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बाहर से उसको मंगाने का प्रयत्न किया गया। एयर पोर्ट आदि पर अगर कहीं पड़ा रहा तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मान्यवर, विधान परिषद् में भी यह सवाल उठा था और वहां पर बयान में यह स्वीकार किया गया था कि मेडिकल कालिज से इस उपरकरण के लिये कोई पत्र आया था लेकिन वह

निदेशालय में मिला नहीं। इसलिये यह सूचना दी गयी कि सरकार को कोई सूचना नहीं थी, क्या यह सही है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

श्रीमन्, यह चिट्ठी कोई आयी या नहीं आयी, सरकार को औपचारिक सूचना थी या नहीं थी, वह तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि जब वे बीमार थे तो उनको देखने के लिये दो बार मैं अस्पताल में गया था और मैंने मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल तथा जो उनका उपचार कर रहे थे उनसे बातचीत भी की थी। उन्होंने बताया था कि इस चीज की कमी है और उसके लिये हम मंगाने का, प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्टर से भी मेरी बात हुई थी। सफदरगंज अस्पताल, मेडिकल इन्सटीट्यूट आदि को भी लिखा गया, और जगह भी लिखा गया, इम्पोर्ट करने के लिये भी लिखा गया, पर उसके आने में बिलम्ब हुआ और बिलम्ब करने कराने के लिये लिये कुछ लोगों को दंडित इत्यादि भी किया गया है। औपचारिक रहा हो या न रहा हो। लेकिन इस चीज का प्रबन्ध करने की पूरी कोशिश मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल की ओर से, हमारी ओर से और डाइरेक्टर की ओर से बराबर होती रही। यह दुर्भाग्य है कि इतने प्रयास के बाद भी हम सफल नहीं हो सके।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं मुख्य मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि सरकार की नोटिस में यह चीज आगयी थी, लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस पर पर्दा डाल रहे थे यह कहकर कि यह किस व्यक्ति के द्वारा मंगाई गई नहीं जानते हैं, उत्तर प्रदेश के लायजन अफसर से उसका संबंध नहीं था, सरकार का उसको जल्द पहुंचाने से कोई संबंध नहीं था। इस तरह से दोनों में बड़ा भेद आ गया। इस लिये सरकार पूरी तरह से अब इसको जिम्मदारी ले कि सरकार की जानकारी यह चीज आ गई थी और जहां जहां कभी आई—चाहे एरोप्लेन से आने में देर हुई, उस सबकी सरकार जांच करायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिम्मेदारी का इसमें कोई सवाल ही नहीं है। मेडिकल कालेज में जब उनका ट्रीटमेंट हो रहा था तो मैं खुद उनसे मिलने गया था। मुझसे उन्होंने कहा था कि मेडिकल कालेज में जो हमारा सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट हो रहा है वह आल इंडिया मेडिकल इंस्टीटयूट में भी संभवतः सुलभ न हो पाता। उन्हें कोई भी कमी नहीं थी। यह चीज खुद उन्होंने मुझसे अपने निधन के 3—4 दिन पहले भी कही थी। उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा था। जिम्मेदारी का कोई सवाल नहीं है। कोई भी हो जब मालूम हो तो उसके लिये पूरा प्रयास होना चाहिये इस संबंध में भी मैंने किया, मेडिकल कालेज ने किया और डाइरेक्टर ने भी सब कुछ किया। यह उम्मीद थी कि वह झिल्ली आज नहीं तो कल आती होगी, उसकी प्रतीक्षा की गई। उस पर कस्टम की जो रुकावट थी, उस पर भी फैसला हुआ। अन्तोगत्वा वह आई, लेकिन देर हो गई। इसमें जिम्मेदारी किसी की नहीं है। यह उम्मीद की जाती थी कि शायद इसी से उसके प्राण बच जायं तो इसका भी प्रयोग कर लिया जाय।

श्री बलबीर सिंह—

क्या यह माननीय मुख्य मंत्री की जानकारी में बात आ गई कि तिवारी जी के केस के कितने दिन पहले से इस मशीन ने काम करना बन्द कर दिया था और उसके कितने दिन बाद से यह प्रयास किया गया था कि वह चीज मंगाई जाय ? और इसमें यदि बिलम्ब हुआ तो क्या सरकार यह कोशिश करेगी कि भविष्य में इस तरह की बात न हो।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

तिथि तो कुछ नहीं याद है। लेकिन ब्लड-शुगर बढ़ता था, उसमें उलट-फेर होता था, अन्त में यह हुआ कि आर्टिफिसियल किडनी मंगाई जाय। एक दो दिन पेशाब हुआ तो यह हुआ कि शायद अब ठीक हो जायं उसके बाद लिखा पढ़ी शुरू हुई। उनके निधन के 10-12 दिन पहले से ही सारी कार्यवाही शुरू कर दी गई थी।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री रामकृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)---

यह बड़ा गंभीर और लोक महत्व का प्रश्न है। आप इस तरह से इसे इतनी जल्दी टाल देना चाहते हैं। हमें अपने प्रश्न पूछने का मौका नहीं दिया, हमें प्रश्न पूछने थे---(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह अनुशासन भंग करने की बात है। आप अपनी आवाज के बल पर अनुशासन हीनता करते हैं यह ठीक नहीं है।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रही।

श्री बलबीर सिंह---

मान्यवर, इनको इंगित कर दीजिये।

(श्री जगन्नाथ प्रसाद ने तारांकित प्रश्न 1 का उत्तर पढ़ना प्रारम्भ किया और श्री राम कृष्ण द्विवेदी साथ-साथ में बोलते रहे। सदन में शोर होता रहा)

श्री राम कृष्ण द्विवेदी---

सारे सदस्य अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें भविष्य के लिये ऐसी घटना न हो।

श्री अध्यक्ष---

इनका हुकुम सबको मानना चाहिये।

श्री राम कृष्ण द्विवेदी---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मुझे बहुत दुख है, इस महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न पर आप टालते हैं हलके फुलके और कहते हैं। यदि हम ऐसे प्रश्नों को, लोक महत्व के प्रश्नों को नहीं उठाते हैं तो हम अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते। संसार की कोई ताकत हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है तो सदन के विशेषाधिकार को अवहेलना करती है चाह वह पीठासीन अधिकारी के निर्णयों के रूप में क्यों न होता हो। इसलिये हम इसे टालने के लिये तैयार नहीं। एक माननीय सदस्य की मृत्यु का प्रश्न है, सारा जन-मानश आन्दोलित है, पत्रकार जगत आन्दोलित है, विधायक आन्दोलित है, चतुर्दिक चर्चा का विषय है, आप हलके फुलके टाल कर कहते हैं। बराबर यह प्रश्न उठता है। हमारे कर्त्तव्यों के मार्ग में रोड़ा अटका कर हमें धमकी देने की चेष्टा न की जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

ऐसे प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। मुझे बड़ा खेद है कि इस प्रकार का प्रदर्शन आप करते हैं। अगर कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं तो नियम 51, नियम 49 में लिखकर भेज दीजिये। एक अध्यक्ष की आज्ञा हो रही है, उस में इतने आवेश की कोई गुंजायश नहीं है। पत्र कार आप ही नहीं हैं हम भी हैं और बहुत से पत्रकार हैं। पत्रकार की मृत्यु हुई है। हम सबको दुख है। दुख प्रकट भी किया जा चुका। अध्यक्ष की आज्ञाओं की ऐसी अवहेलना नहीं होनी चाहिये। आप लिखकर भेज दीजिये, नियम 51, 52 में, जिसमें चाहें, आप कार्यवाही कीजिये।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मिर्जापुर के दक्षिणांचल में भुखमरी की शिकायत

*1--श्री राम बिलास पान्डेय (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार को जानकारी है कि मिर्जापुर दक्षिणांचल में पिछले दो महीने से भुखमरी की स्थिति है और डोमरिया ग्राम के श्री जवाहिर धोंगर व अन्य लोग भूख से मर चुके हैं। यदि हां, तो सरकार ने तत्काल क्या कार्यवाही की ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

जिला मिर्जापुर के दक्षिणांचल में भुखमरी की स्थिति नहीं है। ग्राम डोमरिया में श्री जवाहिर धोंगर की मृत्यु भुखमरी से नहीं बल्कि बीमारी स हुई।

श्री राम बिलास पान्डेय--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि भुखमरी से मृत्यु नहीं हुई तो कौन सी बीमारी थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार उसकी मृत्यु बीमारी से हुई है। हमने तह सूचना मांग रखी है कि क्या बीमारी थी जिसकी वजह से मृत्यु हुई है, कहां बीमार हुआ और क्या इलाज हो रहा था। यह सब सूचनायें मांग रखी है। जरूरत पड़ेगी तो हम पेश करेंगे।

श्री बंशीधर पान्डेय--

क्या राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि बीमारी से मरने का क्या लक्षण होता है और भुखमरी से मरने का क्या लक्षण होता है ? दोनों में क्या फर्क है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, जो बीमारी से मरते हैं उनके तो स्पष्ट लक्षण होते हैं। उनका निदान होता है, वैद्य या डाक्टर निदान करते हैं, कभी-कभी साधारण व्यक्ति भी निदान कर सकते हैं कि क्या बीमारी है। भुखमरी से जो मरते हैं उनको बीमारी नहीं होती। खाना नहीं मिलता है। खाना न मिलने से धीरे-धीरे इतना निशक्त हो जाते हैं कि मृत्यु हो जाती है।

श्री बंशीधर पान्डेय--

डाक्टर शहर में रहते हैं। मिर्जापुर के दक्षिणांचल की बात है। यह सब भूख से मृत्यु हुई है। कलेक्टर और अफसरों ने लिख दिया, हर मृत्यु को वह बीमारी से लिख देते हैं। क्या वह जांच करवायेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैंने निवेदन किया कि मैंने उनसे पूछ रखा है कि वह किस बीमारी से मृत्यु हुई कब तक बीमार रहा, क्या बीमारी हुई। यह सब जांच के ही लक्षण हैं।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

मैं पूछना चाहता हूं कि जिस डाक्टर या जिलाधिकारी ने सूचना दी कि उनकी मृत्यु बीमारी से हुई है उन्होंने बताया होगा कि किस कारण स हुई है, उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

वही कह रहे हैं कि हमने भेजा है पूछने की कौन सी बीमारी थी ।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

जब उन्होंने लिखा कि बीमारी से मृत्यु हुई तो उनकी रिपोर्ट होगी कि क्या बीमारी थी, आप रिपोर्ट पढ़वा दें ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला अधिकारी ने लिखकर बताया होता तो बता दिया होता । चूंकि नहीं लिखकर भेजा है इसलिये मैंने आगे प्रश्न किये हैं ।

श्री राम बिलास पान्डेय—

अगर बीमारी नहीं मालूम हुई मंत्री जी को तो यह कैसे पता चला कि वह भूख से मरा ?

श्री अध्यक्ष—

जिला अधिकारी ने लिखा है कि भूख से मरा है ।

श्री राम बिलास पांडेय—

जिलाधिकारी ने क्या लिखा ? कौन सी बीमारी से वह मरा ? नहीं लिखा तो यह कैसे साबित हो गया कि वह भूख से नहीं मरा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने निवेदन किया कि मैंने इस सूचना को पर्याप्त नहीं समझा । इसलिये आगे यह सूचना मांगी है ।

श्री बिजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है और गांव बताया जा रहा है, यदि ग्रामवासी समाचार पत्र दो साल पहले का निकाल लिया जाय तो माननीय मंत्री को उसमें वही नाम तथा वहीं गांव छपा हुआ मिलेगा, तो मेरी सूचना को आधार मानकार क्या माननीय मंत्री इसकी जांच करायेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

माननीय सदस्य का मैं बड़ा अनुग्रहीत हूं । मैं इसे भी जरूर देख लूंगा ।

श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

मिर्जापुर जनपद में जनता सूखे से त्रस्त है और यह बालक भूख से नहीं पानी की कमी से भी मरा है ? सस्ते गल्ले की जो दूकाने वहां पर खोली गयीं हैं उनमें आज तक गल्ला नहीं पहुंचा है क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं इसकी जांच करा लूंगा लेकिन मेरी सूचना के अनुसार काफी तादात में सस्ते गल्ले की दूकानें खुलीं हैं और हम और खोलने जा रहे हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

सरकार को भुखमरी की सूचना कब प्राप्त हुई और सरकार ने इस संबंध में क्या जांच कराई, किन-किन लोगों के बयान लिये और क्या आपने उसके घर में यह देखने का प्रयास किया कि उसके घर में कितना अनाज उपलब्ध था ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसकी जांच हमने अधिकारियों के जरिये करा ली है लेकिन यह भी निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि एक माननीय सदस्य ने यहां सूचना दी यह लगभग दो वर्ष पहले मर चुके थे ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है । जो बात मंत्री जी के रिकार्ड में नहीं है क्या वह किसी माननीय सदस्य की सूचना पर यह उत्तर दे दें कि दो साल पहले मृत्यु हो चुकी है ।

श्री अध्यक्ष—

यह गलत बात कही । उनकी सूचना के आधार पर वह ऐसा नहीं कह सकते । माननीय मंत्री जी उनको कोट करते हैं तो गलत है ।

श्री शिव कुमार पान्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

जवाहर डोंगर जिसके लिये कहा जाता है भूख से मरा, उसकी किस तारीख को मृत्यु हुई थी, और घर वालों ने क्या सूचना दी थी कि वह भूख से मर गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ये सब सूचनायें मैंने मंगा रखी हैं ।

प्रदेश में नसबन्दी का लक्ष्य तथा लेखपालों का निलम्बन

*2—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा श्री जगन्नाथ खन्ना—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के अध्यक्ष ने फरवरी, 1973 में कोई पत्र उन्हें लिखा है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि नसबन्दी का लक्ष्य पूरा न कर पाने के कारण लगभग 400 लेखपाल निलम्बित किये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इसको रोकने के संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

प्रश्नगत आरोप पत्र की तलाश की जा रही है । अभी तक कोई ऐसा पत्र नहीं मिल पाया है ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

एक महीना हो चुका है सवाल को भेजे । माननीय मंत्री निश्चित रूप से कहते कि पत्र नहीं मिला । कितनी एफिशिएंसी है ? इतना गंभीर आरोप है कि 400 लेखपाल इसलिये निलम्बित किये गये कि उन्होंने नसबन्दी का कोटा पूरा नहीं किया ?

मान्यवर, यह प्रश्न इस सदन में पहले भी आ चुका है और उस पर चर्चा भी हो चुकी है । क्या इन्होंने लेखपाल संघ के मंत्री को पत्र भेजा है ? क्या मंत्री जी इस समय सदन में यह आश्वासन देंगे कि जिन लेखपालों को नसबन्दी का लक्ष्य पूरा न किये जाने के कारण निलंबित किया गया है, उन्हें वापस लिये जाने के बारे में आदेश प्रसारित करेंगे ।

श्री बंशीधर पान्डेय—

मान्यवर, आश्वासन का सवाल नहीं है । माल मंत्री जी ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि लेखपालों, एग्रीकल्चरल, आफीसरों, बी० डी० ओ० तहसीलदार तथा एस० डी० ओ० आदि लोगों की सेवायें नसबन्दी के कार्यक्रम में नहीं लगाई जायेंगी । बुलन्दशहर के डिप्टी कलेक्टर ने तो अपना सारा काम छोड़कर नसबन्दी के ही काम में लगे रहे । लेखपालों के बारे में ये कहते हैं कि उसके संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है । इस प्रश्न पर तो आपके प्रति विशषाधिकार का प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

यह जवाब मंत्री जी पहले दे चुके हैं।

श्री बंशीधर पान्डेय—

यह तो 400 आदमियों का मामला है और कहते हैं कि सूचना एकत्र कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

इनका कहना है कि प्रश्नगत आरोप पत्र नहीं मिल रहा है तलाश की जा रही है।

श्री बंशीधर पान्डेय—

मान्यवर, जो यहां पर प्रश्न उठा और उस पर माल मंत्री जी का स्पष्ट आश्वासन था कि नसबन्दी के कार्यक्रम में लेखपालों की सेवायें नहीं लगायी जायेंगी जब कि इसी चीज को आधार मानकर कि उन्होंने 400 लेखपालों को निलंबित किया है तो ऐसी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। किसे सही माना जाय ? इनका उत्तर सही माना जाय या जो आश्वासन ये पहले दे चुके हैं, उसे सही माना जाय। ये गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न इस तरह से है कि क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के अध्यक्ष ने फरवरी, 1973 में कोई पत्र उन्हें लिखा है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि नसबन्दी का लक्ष्य पूरा न कर पाने के कारण लगभग 400 लेखपाल निलम्बित किए गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इसको रोकने के संबंध में क्या कार्यवाही की है तो वे कहते हैं कि वह पत्र नहीं मिल रहा है ?

श्री बंशीधर पान्डेय—

उस आश्वासन की तो ये जानकारी रखते हैं ?

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि वह पत्र नहीं मिल रहा है। हो सकता है न मिल रहा हो। क्या उन्होंने लेखपाल संघ के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है कि आपने जो हमको चिट्ठी लिखी थी उसकी नकल भेज दी जाय ? सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की गई उस पत्र को हासिल करने के सिलसिले में ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

अभी तक यह चीज दरियाफ्त नहीं की गई। हम उसकी तलाश में हैं, नहीं मिलेगा तो ऐसा भी करेंगे।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से यह पूछना चाहता हूं कि अब तक क्यों नहीं प्रयास किया गया। हो सकता है दफ्तर में कहीं हो, गलती हो सकती है दुबारा क्यों नहीं अब तक लिखा गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, पत्र के लिहाज से तो उनको पूछ लिया जायगा लेकिन विशेष के लिहाज से यह निवेदन है कि इस विषय पर काफी चर्चा पहले भी हो चुकी है और अधिकारियों को बुलाकर दरियाफ्त किया है और मुझे जानकारी है कि किसी भी लेखपाल को नसबन्दी के लक्ष्य पूरा न होने के कारण निलम्बित नहीं किया गया है।

श्री चरण सिंह—

मान्यवर, इनका जोर है, 'निलंम्बित नहीं किया गया है'। तो क्या आपने कोई एडवर्स इन्ट्री उनकी की है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मेरी सूचना के अनुसार नसबन्दी के आधार पर न किसी की प्रतिकूल प्रविष्टि की गई है और न किसी को निलंम्बित किया गया है।

श्री शिव कुमार पान्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि लेखपाल संघ कोई रजिस्टर्ड बाडी यानी मान्यता प्राप्त संगठन है !

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, इसी सिलसिले में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया गया था और जिस पत्र का जिक्र है उसको लेखपाल संघ के महामंत्री ने लिखा है कि रजिस्टर्ड पत्र के जरिये वह माननीय मुख्य मंत्री, माननीय राजस्व मंत्री और राजस्व सचिव के पास भेजा गया है और उस पत्र की प्रतिलिपि भी मेरे पास भेजी है। इसी आधार पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था और उसे आपने स्वीकर भी किया था। इस पर वक्तव्य हो चुका है और जहां तक मुझे याद है कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इसमें जबरदस्ती की कोई बात नहीं है लेकिन प्रदेश के प्रत्येक नागरिक व कर्मचारी को फेमिली प्लानिंग काम में सहयोग देना चाहिये। तो जो लेखपाल नसबन्दी के 5 केस नहीं लाये उनको निलंबित किया गया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

वे कहते हैं कि किसी को दंडित नहीं किया गया, उनके सुपुर्द काम दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पान्डेय—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं। वे कई बार इसी सदन में बयान दिये हैं कि लेखपालों को इस काम में नहीं लगाया जायगा और फिर कहत हैं कि लेखपालों की ड्युटी में यह नहीं है लेकिन उनका कर्त्तव्य होता है कि इस काम में सहायता करें। माननीय मंत्री जी का जवाब बड़ी चालाकी का है यदि कोई नसबन्दी का काम न पूरा करे तो कलक्टर और डिप्टी कलेक्टर रवेन्यू संबंधी काम के बैकग्राउन्ड में ही उसे सजा दे देंगे।

श्री उदित नारायण शर्मा—

जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया, पान्डेय जी को भ्रम है। मैंने कभी इस सदन के सम्मुख नहीं कहा कि इनसे नसबन्दी का काम नहीं लिया जायगा। मैंने यह कहा था कि इनसे काम तो लिया गया है लेकिन उसके आधार पर किसी को दंडित नहीं किया गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या यह सही है कि माल मंत्री का यह आदेश निकला है कि कलेक्टर व डिप्टी कलेक्टर उस लाइसेंसी का केस रिकमेंड न करें जब तक कि प्रत्येक लाइसेंसी 2 या 3 केस नसबन्दी का न दे और उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाय उसमें डिले कर दिया जाय और उसे हैरास किया जाय ताकि वे ऐसे केस लाकर दें ? और जब वे ऐसे केस लाकर दें तब उनके लाइसेंस मंजूर करें।

श्री उदित नारायण शर्मा—

शासन की ओर से कतई ऐसा नहीं किया गया है।

श्री चरण सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसके लिये कोई टार्गेट फिक्स किया गया है कि इतनी नसबन्दी हो जाय, तो कोआपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो जायेंगे ? यह तो वालंटरी है कि कोई नसबन्दी के लिये आये या न आये, कोआपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर हो या न हो, तो जब आपने इस तरह का टार्गेट फिक्स किया है तो उसे पूरा न होने पर आप सजा भी देंगे और यह एक दूसरे की साइकोलाजी पर निर्भर करता है, फिर आपकी नाराजगी भी होगी और ऐडवर्स एंट्री जरूर होगी। तो इस तरह का टार्गेट फिक्स करना मुनासिब नहीं है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करने को तैयार हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय सदस्य के पास इस बात का कोई प्रमाण है कि सरकार की ओर से कोई आदेश दिया गया है कि यदि कोई नसबन्दी का केस न दे तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाय ?

श्री त्रिवेणी सहाय—

अधिकारियों का ऐसा आदेश है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

एक प्रश्न चौधरी साहब का है और एक माननीय माधव प्रसाद जी का है...

श्री चरण सिंह—

मैंने लाइसेंस की बात नहीं कही, मेरा प्रश्न यह था कि क्या मुख्य मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि इस तरह से स्वेच्छिक मामले में टारगेट फिक्स करना कहां तक मुनासिब है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह बात हमारे सामने लायी गई है, जरूर आदेश दिये जायेंगे कि इस प्रकार नसबन्दी के मामले में किसी के लाइसेंस कैंसिल करना.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

2 प्रश्न अलग-अलग हैं एक तो चौधरी साहब का यह था कि नसबन्दी के मामले में जो टारगेट फिक्स किये जाते हैं इतने लोगों को नसबन्दी कराना है, इस विषय में सोचना चाहिये कि नसबन्दी कोई जबरदस्ती तो नहीं होती, वह तो दूसरे की स्वेच्छा पर निर्भर है, न कराने वाले को मजबूर करके कोई टारगेट पूरे नहीं कर सकता। उसका उत्तर आप दें। दूसरे मेरा सवाल यह था कि आपने कोई मौखिक आदेश दिया है कि लोगों के लाइसेंस रोके जायं, उन्हें सस्पेंड किया जाय, और जरूरत हो तो लाइसेंस कैन्सिल भी किये जायं और अगर 2–3 नसबन्दी के केस लायें तभी लाइसेंस दो, इसके प्रमाण बदायूं के और दूसरी जगह के हैं, हमारे साथ कृष्ण स्वरूप जी अभी बता देंगे....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, चौधरी साहब का प्रश्न यह है कि ऐसे नसबन्दी के मामले में कोई टारगेट फिक्स नहीं होने चाहिये, ऐसे आदेश कि टारगेट फिक्स करके कहा जाय कि इतनी नसबन्दी होना ही चाहिये, यह नहीं होना चाहिये क्योंकि ऐसा करने पर कुछ लोगों पर दबाव की बात होगी। इस पर सरकार विचार करेगी कि क्या करना चाहिये। माधो जी का प्रश्न यह था कि यहां से ऐसे कोई मौखिक आदेश गये हैं, मौखिक आदेश इस तरह से नहीं होते...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इस तरह से मुख्य मंत्री जी पब्लिक को नहीं समझा सकते। इस तरह से कितने ही आपके मौखिक आदेश जाते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आप को इस तरह से मेरे कोई आदेश मौखिक मिले या किसी कलेक्टर को मिले या आपसे किसी कलेक्टर ने कहा कि ऐसे मौखिक आदेश पहुंचे हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

ऐसे हम बताना शुरू कर दें तब तो हमें कोई भी इत्तिला नहीं मिलेगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अगर आप कलेक्टर का नाम बता देंगे कि फलां कलेक्टर ने यह कहा है कि हमने उन्हें मौखिक आदेश दिये हैं कि नसबन्दी के मामल में लाइसेंस कैन्सिल किये जायं तो मैं उस कलेक्टर के खिलाफ सख्त कार्यवाही करूंगा, किसी को कोई इस तरह स मौखिक आदेश नहीं दिये गये हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं यह पत्र आपके सामने पढ़े देता हूं। आप विश्वास करें या न करें। इसमें आदेश दिये गये हैं। यह इस प्रकार है कि 'यह द्रुतगामी अत्यावश्यक पत्र है इसमें लिखा है कि' समस्त केन्द्रीय प्रधानाध्यापक मिहींपुरवा, क्षेत्र मिहींपुरवा। आप स्वयं सूचित होकर निम्न सूचनायें अपने अधीनस्थ विद्यालयों में तुरन्त प्रसारित कर दें। 1—इस माहकी मासिक बैठक 18-1-73 ई0 को होगी। 2—परिवार नियोजन अभियान की अवधि बढ़ाकर 31-1-73 तक कर दी गई है। अभी तक क्षेत्र के शिक्षकों द्वारा केवल 17 केस हुए हैं। यह प्रगति नगण्य सी है। अतः यह अन्तिम चेतावनी के साथ निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्येक शिक्षक कम से कम दो केस उक्त अवधि के अन्दर अवश्य करा दे अन्यथा अवांछित स्थानान्तरण या अन्य प्रकार के दंड अवश्य सहन करने पड़ेंगे। बैठक में प्रत्येक प्र0 अ0 अपने शिक्षकों के केसों का विवरण साथ लावेंगे।

3—पूर्व निर्देशों के आधार पर केन्द्रीय प्र0 अ0 प्रगति प्रत्येक विद्यालय से प्राप्त कर संकलित आख्या अपने साथ लावेंगे। माह नवम्बर, 72 का रजिस्टर छात्र लेते आवें। इस पर प्रधानाध्यापक, केन्द्रीय प्राइमरी पाठशाला, मिहींपुरवा की मोहर है 12-1-72 की यह टेक्निकल आधार पर निकलना चाहते हैं कि मुख्य मंत्री या शिक्षा मंत्री के दस्तखत नहीं हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

लिखित आदेश मुख्य मंत्री या किसी मंत्री के नहीं जाया करते हैं। आदेश सचिवालय से जाया करते हैं। यदि सचिवालय से कोई आदेश हों तो बतायें। ये जो प्रधानाध्यापक हैं, उनको मेरे पास पेश कीजिये (व्यवधान) ओरीजनल हो या नकल, मुझे जांच करने के लिये उन्हें पेस कीजिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसे मेरे पास भेजिये और नाम भी बता दीजिये, अगर नाम नही बतायेंगे तो मैं कैसे कार्यवाही कर सकूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यदि आप आश्वासन दें कि आप कोई कार्यवाहीं नहीं करेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अगर यह बात साबित होगी कि झूठ कहा गया है तो सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैंने एक सवाल आपके सामने रखा था।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय इलाहाबाद में श्री बुलाकी राम कसर वानी की मृत्यु

*3—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के स्वरूपरानी अस्पताल से दवा न मिलने के कारण एक नागरिक श्री बुलाकी राम केसरवानी की मृत्यु मार्च, 1973 के प्रथम सप्ताह में हो गई ? क्या यह भी सच है कि इलाहाबाद महापालिका में कांग्रेस के मुख्य सचेतक श्री राक चन्द्र बैश्य ने इस विषय में राज्य सरकार को इसकी सूचना अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर मृत्यु उपरान्त मार्च, 1973 के दूसरे सप्ताह में दी ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्री बुलाकी राम केशरवानी नामक रोगी की स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद में दिनांक 7 मार्च, 73 के उपराह्न में 3–30 बजे मृत्यु हुई थी परन्तु यह सही नहीं है कि उनकी मत्यु दवा के अभाव में हुई। इस संबंध में श्री राम चन्द्र वैश्य की कथित शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई है अतः उक्त शिकायत पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नही उठता ।

*4—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[5वें सोमवार के लिये ता0 प्र0 सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*5—श्री इन्द्रलाल—

[11वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राजकीय चिकित्सालय कर्ण प्रयाग चमोली का भवन

*1—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या यह सत्य है कि कर्णप्रयाग (चमोली) स्थित राजकीय चिकित्सालय के भवन को खतरनाक घोषित किया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या व्यवस्था कर रही है और चिकित्सालय का प्रस्तावित भवन कब तक बन जायगा ?

श्री धर्म दत्त वैद्य—

जी हां । जिला स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं कि खतरनाक भवन तुरन्त खाली कर दिया जाय तथा आवास की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाय । नये भवन बनवाये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

विशेष परिवार नियोजन समारोहों में किये गये आपरेशन

*2—श्री हरी सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत वर्ष से अब तक विशेष परिवार नियोजन समारोहों में प्रदेश में आज तक कुल कितने आपरेशन हुए हैं और आपरेशन होने के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु के समाचार सरकार के पास आये हैं ?

श्री धर्म दत्त वैद्य—

गत वर्ष से अब तक विशेष परिवार नियोजन समारोहों में अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 3,26,090 नसबन्दी आपरेशन हुए हैं। और आपरेशन होने के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का समाचार नहीं मिला है।

परिवार नियोजन द्वारा अविवाहित तथा विधुर व्यक्तियों का आपरेशन

*3—श्री हरी सिंह विष्ट—

क्या यह सच है कि बलिया जिले में परिवार नियोजन आपरेशन से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 2 अविवाहित तथा एक 70 वर्षीय विधुर का भी आपरेशन किया गया है? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने हेतु क्या करने जा रही है?

श्री धर्म दत्त वैद्य—

यह सही नहीं है कि बलिया जिले में परिवार नियोजन आपरेशन के कारण दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण सिविल सर्जन की रिपोर्ट के अनुसार (acute venal failure) गुर्दे का एकाएक काम करना छोड़ देना था। सदन में दिये गये आश्वासन अनुसार प्रिंसिपल, लखनऊ मेडिकल कालेज से इस मामले में रिपोर्ट देने का निवेदन कर दिया गया है। दूसरे व्यक्ति की मृत्यु आतों की पुरानी बीमारी के कारण हुई।

तीन अविवाहित व्यक्तियों, जिन्होंने अपने आवेदन पत्रों में अपने आप को विवाहित तथा दो या उससे अधिक बच्चों का पिता बताया था, की नसबन्दी होने का समाचार प्राप्त हुआ है। किसी 70 वर्षीय विधुर की नसबन्दी आपरेशन होने की सूचना नहीं मिली है।

त्रिजुगी नारायण (केदारनाथ) में हिम स्खलन से मृत्यु की शिकायत

*4—श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि 3 फरवरी, 1973 को प्रसिद्ध तीर्थ केदारनाथ के निकट त्रिजुगी नारायण में हिमस्खलन के कारण 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? यदि हां, तो मृतक व्यक्ति कहां के निवासी थे तथा उनक परिवारों को शासन द्वारा कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गई? क्या शासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उक्त घटना की जांच भी कराई गई? यदि हां, तो जांच की रिपोर्ट क्या है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

तीर्थ केदारनाथ के निकट त्रिजुगी नारायण में हिमस्खलन के कारण किसी भी व्यति की मृत्यु नहीं हुई। शेष प्रश्न नहीं उठता।

एस० डी० एम० उसी मठ द्वारा जांच कराई गई जिससे कथित हिमस्खलन की घटना असत्य पाई गई।

न्योतनी (उन्नाव) में कब्रिस्तान का खेतिहर जमीन इन्दराज के रूप में इन्द्राज

*5—श्री सुखपाल पान्डेय (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम न्योतनी, परगना मोहान, तहसील, हसनगंज, जिला उन्नाव के अन्तर्गत मौजा कोठलाहार की भूमि नम्बर, 161 जो कि श्री हैदर हुसैन पुत्र श्री अली हुसैन का पुराना कब्रिस्तान है को खेतिहर जमीन लिखकर व्यक्ति विशेष के नाम लिख दिया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस भूमि पर काश्तकार का नाम जमींदारी विनास से पहले से दर्ज चला आता है। वर्ष 1359 फसली में इस पर कब्रिस्तान का भी इन्द्राज था वर्ष 1367 फसली में फसल बोई जाने का इन्दराज हुआ और मरघट मजरूआ का इन्द्राज हुवा। वर्ष 1368 फसली में भी फसल दर्ज की गई और उस वर्ष से मरघट का इन्द्राज नहीं हुआ।

*6—श्री सुखपाल पान्डेय—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कब्रिस्तान की उच्चाधिकारी द्वारा मौके की जांच कराकर कब्रिस्तान दर्ज कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस भूमि के संबंध में दुरुस्ती कागजात की कार्यवाही की जा रही है। उसी में यह निर्णय हो सकेगा कि सही प्रविष्टि क्या होनी चाहिये।

इटावा जिले की सड़कों पर टेस्ट वर्क का कार्य

*7—श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा) तथा श्री महाबीर सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सहायता, अभाव एवं पुनर्वास राज्य मंत्री ने इटावा जिले के अन्तर्गत दिबियापुर सहायलु, कचवसी बाजार, लहरापुर, मदनगंज, पीपरपुर फफून्द, भाउपुर केवटरा, आयाना, बोझलपुर, बाबरपुर, सिकडौढ़ी आदि सड़कों पर टेस्ट वर्क योजना के अन्तर्गत कार्य शुरू कराने के आदेश जनवरी, 1973 के अंतिम सप्ताह में जिलाधिकारी इटावा को भेजे ? यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन सड़कों पर कार्य शुरू हुआ और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां।

निम्नलिखित सड़कों पर टेस्ट वर्क शुरू किया गया :—

1—सहार से थाना सहायल,
2—दिबियापुर से सहायल,
3—भाउपुर से कवेटरा
4—बाबरपुर से सिकरोड़ी
5—मढ़ादासपुर से औरों डमरपुर होती हुई याकूबपुर
6—बेला चौराहे से फुलन्दरपुर की पुलिया (जौहर)

शेष सड़कों पर पर्याप्त संख्या में श्रमिक उपलब्ध न हो सकने के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

शुक्रवार, 6 अप्रैल, 1973

तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद, मेडिकल कालेज को अनुदान का अभाव

*1—श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज के लिये जो 20 लाख रुपये का अनुदान एनाटामी तथा सल्य विभाग के विस्तार करने के लिये दिया गया था, उसे वापस कर अन्य मेडिकल कालेज, को दे दिया गया है, यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्म दत्त वैद्य—

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद के एनाटमी और सर्जरी विभागों के उच्चीकरण हेतु भारत सरकार से कोई अनुदान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः कथित धनराशि को वापस करने या उसका अन्यत्र उपयोग करने का प्रश्न नहीं उठता।

*2—श्री सुरेन्द्र बिक्रम सिंह—

[निरस्त।]

जनपद वाराणसी के क्षेत्रों में जमींदारी उन्मूलन का अभाव

*3—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री राम निहोर (जिला वाराणसी) तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी जनपद के भदोही, नगरपालिका और ज्ञानपुर तथा गोपीगंज टाउन एरिया क्षेत्रों से अब तक सामन्ती जमींदारी प्रथा का उन्मूलन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्नगत क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनास और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के सीमांकन करने हेतु विज्ञप्ति निकाली जा चुकी है। परन्तु सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण न हो सकने के कारण कृषि क्षेत्रों में मध्यवर्तियों के अधिकारों को शासन में निहित करने की विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हो सकी है। नागर क्षेत्र के अकृषि क्षेत्रों में जमींदारी समाप्त करने के लिये अभी कोई कानून नहीं बना है।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच स्थायी सीमा निर्धारण

*4—श्री शम्भनाथ चौधरी तथा श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी, सन् 1973 में बिहार और उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्रियों की बैठक वाराणसी में और फरवरी, सन् 1973 में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के उच्च राजस्व अधिकारियों की बैठक बक्सर में, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के मध्य स्थाई सीमा-निर्धारण से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिये हुई ? यदि हां, तो सामयिक समस्यायें सीमा संबंधी क्या हैं और इन बैठकों में उनके हल के लिये क्या निर्णय लिये गये ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच स्थायी सीमा के निर्धारण से उत्पन्न सभी समस्याओं पर विचार करने के लिये दोनों प्रदेशों के राजस्व मंत्रियों की एक बैठक 28 जनवरी, 1973 को वाराणसी में हुई थी एवं आयुक्त, पटना मंडल तथा आयुक्त वारणसी मंडल की संयक्त बैठकें, 12 तथा 13 फरवरी, 1973 को बक्सर तथा कोरन्टाडीह में हुई थीं, जिसमें सीमावर्ती जिलों से अधिकारियों ने भी भाग लिया था।

उपर्युक्त बैठकों में संक्रमित क्षेत्रों में शान्ति-व्यवस्था, भू-स्वामित्व के झगड़ों का निपटारा, अवशेष भू अभिलेखों का आदान-प्रदान मौके से गायब सीमा स्तम्भों का निर्माण तथा घाघरा नदी के नौका घाट और मत्स्य आखेट को समस्याओं पर विचार किया गया। उपर्युक्त बैठकों में यह निर्णय लिये गये कि सीमा संबंधी झगड़ों को स्थानीय उच्च अधिकारी समय-समय पर उपर्युक्त बैठके करके सद्भावना के साथ हल कर लिया करें ताकि विवाद ग्रस्तक्षेत्रों में शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखी जा सके। यह भी निर्णय लिये गये कि संक्रमित क्षेत्रों में शान्ति व्यवस्था कायम रखना, भू-स्वामित्व के झगड़ों का विधिवत निपटारा दोनों ओर के अधिकारी शीघ्रता तथा तत्परता से करें और बिहार प्रदेश के अधिकारी संक्रमित क्षेत्र के अवशेष

भू-अभिलेखों को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दे दें तथा मौके पर अब तक न बनें एवं बनने के बाद मौके से गायब सीमा स्तम्भों के स्थानों को चिन्हित करने के लिये बिहार शासन अपने हिस्से की धनराशि का प्राविधान कर लें। इसके अतिरिक्त घाघरा नदी के नौका घाटों तथा मत्स्य आखेट की समस्याओं पर यह निर्णय लिये गये कि जो प्राविधान गंगा पर स्थित नौका घाटों तथा मत्स्य आखेट के विषय में रखे गये थे उन्हे ही इन पर लागु किया जाय।

*5—श्री श्यामलाल कनौजिया—

[विस्तृत होने के कारण निरस्त।]

पाली एवम् चमरौली (उन्नाव) में चकबन्दी में काश्तकारों को असुविधाएं

*6—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव तहसील हसनगंज परगना झलोतर अजगैन चकबन्दी सर्किल नवाबगंज के ग्राम पाली व चमरौली ग्रामों में कितने काश्तकार ऐसे हैं जिन्हें दिसम्बर, 1972 तक चकरोड व नालियों की सुविधा प्रदान नहीं की गई? इस असुविधा के कारण जिन अनेक काश्तकारों की रबी की फसल पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है उसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

दिसम्बर, 1972 तक ग्राम पाली में 9 काश्तकारों के चकों को चकरोड व 15 को नाली तथा ग्राम चमरौली में 4 काश्तकारों के चकों को चकरोड व 6 को नाली नहीं दी गई है। उपरोक्त व्यवस्था न करने के सम्बन्ध में बरती गई अनियमितता के लिये दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

*7—श्री शफीक अहमद खां—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।

स्पेशल कालरा वर्कर के पद पर नियुक्तियां

*8—श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार नियोजन निदेशक, संक्रामक रोग शाखा लखनऊ ने कुछ कालरा वर्कर की नियुक्ति कुछ मास पूर्व की है? यदि हां, तो उनकी योग्यताएं क्या निर्धारित की इन पदों पर नर्सिंग असिटेंट को पदोन्नति न किये जाने का क्या कारण है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

स्पेशल कालरा वर्कर पद पर अब तक पांच नियुक्तियां की गई हैं। उक्त पद के लिये न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल विज्ञान के साथ द्वितीय श्रेणी निर्धारित है। उक्त अर्हता न रखने के कारण नर्सिंग असिस्टेंट की पदोन्नति कालरा वर्कर के पद पर नहीं की गई।

हरदोई एवं बदायूं जिलों में जबरदस्ती नसबन्दी की शिकायत

*1—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फरवरी, 1973 में हरदोई एवं बदायूं जिले में नसबन्दी अभियान में ज्यादती एवं जबरदस्ती करने की शिकायतें जनता की ओर से शासन को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या-क्या हैं और उन पर शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां,

ये शिकायतें कतिपय अनुपयुक्त व्यक्तियों की नसबन्दी कराये जाने तथा पुलिस एवं प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा दबाव डाल कर नसबन्दी कराये जाने के बारे में हैं। इन शिकायतों के बारे में सम्बन्धित जिलाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए उनकी आख्या मांगी गई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

*10—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[11 वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

सहावर-सोरों मार्ग (एटा) पर व्यय

*11—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फ्रैस योजना के अन्तर्गत सहावर-सोरों मार्ग, जिला एटा पर मिट्टी का कार्य किया जा रहा है? उस पर दिनांक 20 जुलाई 1972 तक कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह सच है कि जो मस्टर रोल बनाकर भुगतान किया गया है उसमें फर्जी निशानी अंगूठा लगाकर तथा एक ही व्यक्ति के कई-कई अंगूठे लगाकर भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला एटा के सहावर-सोरों मार्ग पर त्वरित योजना के अन्तर्गत नहीं वरन् टेस्ट वर्क द्वारा मिट्टी का कार्य कराया गया और उस पर 20-7-72 तक 32,903 रु० का भुगतान मजदूरी के रूप में किया गया। यह सच नहीं है कि मस्टर रोल पर फर्जी अंगूठा निशान लगाकर मजदूरी का भुगतान किया गया। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*12—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

[11वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

तुलसीपुर-मांझा (गोंडा) के ग्राम समाज की भूमि का आवंटन

*13—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दिनांक 27 सितम्बर, 1972 को जिलाधिकारी, गोंडा को प्रार्थना-पत्र ग्राम तुलसीपुर मांझा के ग्राम समाज की जमीन पर जो हरिजनों को पट्टा पर दिया गया था और जिसकी निसानदेही भी नहीं की गई थी परन्तु बाहरी जबरदस्त लोगों ने कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

दिनांक 27-9-72 का प्रश्नगत पत्र जिलाधिकारी गोंडा के कार्यालय में प्राप्त हुआ नहीं पाया जाता। इसी विषय पर दिनांक 16-9-72 का पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में 21-9-72 को प्राप्त हुआ।

सन् 1970 में ग्राम तुलसीपुर मांझा की 1427.44 एकड़ उपलब्ध भूमि को 403 व्यक्तियों को आवंटित किया गया जिनमें 169 हरिजन थे। सभी भूमि का सीमांकन भी तत्काल ही किया गया था।

403 पट्टेदारों में केवल 199 पट्टेदारों ने ही पट्टे की भूमि पर कब्जा लिया। शेष पट्टेदारान, भूमि रेतीली एवं गांव से दूर होने के कारण कब्जा लेने को तैयार नहीं हुये। जिन पट्टेदारान ने सीमांकन के पश्चात् भूमि पर कब्जा ले लिया था उनकी भूमि पर किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती अनधिकृत रूप से कब्जा नहीं किया है। किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

डेरापुर (कानपुर) के जिला परिषद् अस्पताल का प्रान्तीयकरण

*14—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के डेरापुर कस्बे के जिला परिषद् के अस्पताल का प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है। यदि हां, तो इस अस्पताल के प्रान्तीयकरण करने में विलम्ब का क्या कारण है और कब तक प्रान्तीयकरण कर दिया जायगा?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां। जिला कानपुर के डेरापुर अस्पताल के प्रान्तीयकरण के आदेश 13 फरवरी, 1973 को जारी किये जा चुके हैं।

*15—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जनपद रायबरेली के तहसीलदार सलोन व परगनाधिकारी के न्यायालय में दाखिल खारिज के मुकदमे

*16—श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला रायबरेली के तहसीलदार सलोन व परगनाधिकारी सलोन के न्यायालयों में दाखिल खारिज के कितने ऐसे मुकदमें विचाराधीन हैं जो सन् 1972 के शुरू में दायर किये गये थे और उन पर अब तक निर्णय नहीं हुआ है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला रायबरेली के तहसीलदार सलोन व परगनाधिकारी सलोन के न्यायालयों में दाखिल खारिज के कोई एसे मुकदमें इस समय विचाराधीन नहीं हैं जो सन् 1972 के शुरू में दायर किये गये थे।

*17—श्री बंशीधर पांडेय—

[11वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

टिहरी गढ़वाल वन वृत्त के स्थाई निवासियों को लीसा निकालने हेतु अनुमति

*18—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टेहरी गढ़वाल बन प्रखण्ड में इसी महीने वन विभाग ने लीसा निकालने हेतु किन्हीं व्यक्तियों को अनुमति प्रदान की? यदि हां, तो यह अनुमति किस नियम के अन्तर्गत दी गई जब कि लीसा उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो चुका है?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

जी हां, टिहरी वृत के पर्वतीय क्षेत्र के स्थायी निवासियों को औद्योगिक विकास के लाभ तथा रोजगार देने के उद्देश्य से 13 स्थानीय इच्छुक व्यक्तियों को यमुना बन प्रभाग के रक्षित बनों से लगभग 5,64,194 लीसा घावों का आबंटन किया गया है। लीसा उद्योग का राष्ट्रीयकरण अभी नहीं हुआ है।

लोक सभा एवं विधान सभा के मध्यावधि निर्वाचन सम्बन्धी कार्य करने वाले जिला परिषद् मिर्जापुर के अध्यापकों के यात्रा भत्ते का भुगतान

*19—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि जिला परिषद्, मिर्जापुर के जिन अध्यापकों ने लोक सभा के मध्यावधि चुनाव 1971 और विधान सभा के उप निर्वाचन 1972 में चुनाव सम्बन्धी कार्य किया था उन्हें अभी तक यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक दिया जायगा ?

न्याय मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

जी हां।

विलम्ब का कारण जिला परिषद्, मिर्जापुर ने यह बताया है कि संबंधित अध्यापकों ने एक-एक करके बिल प्रस्तुत किए जिन्हें संकलित करने तथा उक्त बिलों में पाई गई त्रुटियों का निराकरण कराने में काफी समय लग गया, फलतः इन बिलों का महालेखाकार द्वारा पूर्व संप्रेक्षण आवश्यक हो गया। अब समस्त बिलों का भुगतान महालेखाकार द्वारा पूर्व संप्रेक्षण हो जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

बहराइच जनपद के ग्राम भरथापुर की जमीन का वन विभाग द्वारा अधिग्रहण

*20—श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद में तहसील नानपारा, परगना धर्मापुर के ग्राम भरथापुर में जमींदारी विनाश कानून लागू होने के पश्चात् कितनी अतिरिक्त भूमि ग्राम सभा, भरथापुर की मिली और दिनांक 18 फरवरी, 1973 तक कितनी भूमि उक्त ग्राम सभा को वन विभाग द्वारा नियमानुसार अधिग्रहण की जा चुकी और अब कितनी भूमि ग्राम सभा भरथापुर की व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त तिथि तक अवशेष है और इस अवशेष भूमि का डिमाकशन विधिवत् हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जमींदारी विनाश कानून लागू होने के पश्चात् ग्राम सभा भरथापुर में 4098.584 एकड़ भूमि ग्राम सभा में निहित हुई।

दिनांक 18-2-73 तक उक्त ग्राम सभा भरथापुर की 2313.737 एकड़ भूमि वन विभाग द्वारा नियमानुसार अधिग्रहण की जा चुकी है।

इस ग्राम सभा के 1641.154 एकड़ भूमि की व्यवस्था करना अवशेष है। इस भूमि का डिमार्केशन विधिवत् हो चुका है।

फिटकरी (मेरठ) में ओला वृष्टि से क्षति

*21—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28 फरवरी, 1973 को ओला वृष्टि से मेरठ जिले को कितनी क्षति हुई है ? क्या ग्राम फिटकरी, तहसील मवाना, जिला मेरठ के किसानों की गेहूं, चना और मटर की फसल पूर्णतया नष्ट हो गई है ? यदि हां, तो सरकार इन किसानों की क्या मदद कर रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मेरठ जिले की तहसील मवाना के केवल ग्राम फिटकरी में 28-2-73 को ओला वृष्टि से फसल क्षतिग्रस्त हुई परन्तु पूर्णतया नष्ट नहीं हुई। क्षति इतने क्षेत्र में और इतनी मात्रा में नहीं हुई कि किसी सहायता की आवश्यकता हो।

*22—श्री रामगोपाल सण्ड—

[11वें शुक्रवार के लिये ता० प्र० सं० 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*23—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[11वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

रुपई डिहा बाजार (बहराइच) में चिकित्सालय की मांग

*24—श्री सूरज लाल गुप्ता (जिला गोंडा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच के रुपई डिहा बाजार में चिकित्सालय खोलने की योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि की चिकित्सा संबंधी सामग्री 1971–72 में भेजी गई और चिकित्सालय कब तक खुल जायगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम रुपई, डिहा बाजार, जिला बहराइच में वित्तीय वर्ष 1971–72 में किसी अस्पताल की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी गयी है अतः सामग्री भेजने का अथवा उसके खुलने का प्रश्न नहीं उठता।

*25—श्री सूरज लाल गुप्ता—

[11वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

देवरिया जिले के सी०ओ० सर्किल भाटपाररानी में भ्रष्टाचार की शिकायत

*26—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया सी० ओ० सर्किल भाटपाररानी में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधी एक शिकायती पत्र 12–3–73 को एक विधायक द्वारा शासन को इस आशय का दिया गया है कि वर्तमान सी० ओ० द्वारा टारजेट के मुताबिक मुकदमों का फैसला न करना, क्षेत्रीय, दो ए० सी० ओ० को सी० ओ० के पद पर पदोन्नत कर उन्हीं क्षेत्रों में रखना, भाटपाररानी में कार्यालय में रखना, ग्राम छेरिहा सोहनपुर, सिकरहटा, कोटा गांवों का चक न काटना, ग्राम भरहेचौरा के किसानों का चक बिगाड़ना, हरिजनों के लिये आबादी की जमीन न देना, हरिजनों का चक बिगाड़ना तथा हरिजनों के बसने के नाम पर उनसे पैसा लेने आदि से है, प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच चकबन्दी निदेशालय के एक अधिकारी द्वारा कराई जा रही है।

*27—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[11वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

*28—श्री राम लाल भाई तथा श्री जगदीश प्रसाद—

[11वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

*29—श्री शेर सिंह दानू—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

आयुर्वेदिक चिकित्सालय देवाल (चमोली) के सम्बन्ध में जानकारी

*30—श्री शेर सिंह दानू—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय देवाल विकास क्षेत्र, थराली, जिला चमोली के भवन का आगणन शासन को पहुंच गया है? यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण कब तक किया जायगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं। प्रश्न का अन्य भाग नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश में खोले जाने वाले अस्पताल

1—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1971–72 और 1972–73 में किन-किन जिलों में कितने-कितने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी अस्पताल खोला जाना सरकार ने स्वीकार किया और किस-किस ग्रेड के यह अस्पताल खोले गये?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा यूनानी चिकित्सालय से सम्बन्धित सूचना† संलग्न है। एलोपैथिक अस्पतालों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है।

अनावृष्टि एवं सूखे के फलस्वरूप तहसील फरेंदा (गोरखपुर) जिला में सहायता कार्य

2—श्री रामलगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर की फरेंदा तहसील में अनावृष्टि और सूखे के कारण विगत खरीफ फसलों में सूखे की स्थिति रही है? यदि हां, तो संरक्षण प्रदान करने के लिये कौन-कौन सी कार्यवाहियां सरकार द्वारा की गईं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। अनावृष्टि एवं सूखे के कारण फरेंदा तहसील में सूखे की स्थिति रही। प्रभावित क्षेत्र में 67,985.04 रु0 निःशुल्क सहायता के रूप में तथा 3,77,500 रु0 आपदा तकावी के रूप में वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त 40 टेस्ट वर्क चलाये गये, जिन पर 17–3–73 तक 15,78,905.58 रु0 व्यय हुआ एक एकड़ तक के काश्तकारों को निःशुल्क तथा तकावी पर बीज देने की भी सुविधा दी गई। 31–3–73 तक के लिये कृषि देयों की वसूली भी स्थगित की गई।

3—श्री रामलगन दुबे—

क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को किस प्रकार की सुविधा शासन द्वारा स्वीकार की गई तथा प्रदान किये जाने की स्थिति क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

गोरखपुर जिले में विद्यार्थियों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता नहीं पाई गई ? शेष प्रश्न नहीं उठता।

---

†छापी नहीं गयी।

4—श्री रामलगन दुबे—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अभूतपूर्व भयंकर सूखे से प्रभावित जनपद गोरखपुर के फरेंदा तहसील में राहत पहुंचाने के लिये कौन कौन से कार्य-क्रम वर्ष 1972–73 में स्वीकार किये गये, तथा परिपालन की स्थिति क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

1972–73 में फरेंदा तहसील में सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को अहेतुक सहायता, आपदा तकावी, एक एकड़ तक के काश्तकारों को आधे एकड़ तक का मुफ्त बीज वितरण एवं टेस्ट वर्क द्वारा सहायता दी गई। बीज एवं आपदा तकावी के रूप में 3,75,000 रु0 तथा अहेतुक सहायता के रूप में 66,985 रु0 वितरित किया गया। 41 सड़कों पर टेस्ट वर्क आरम्भ किये गये। 25–3–73 तक टेस्ट वर्क से 16,52,02 व्यय हो चुका है। पुराने बकाया देयों की वसूली 31–3–72 तक स्थगित कर दी गई है।

लक्ष्मीपुर और बृजमनगंज (गोरखपुर) में राहत कार्य

5—श्री रामलगन दुबे—

क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र नौतनवा, लक्ष्मीपुर और बृजमनगंज से राहत कार्य क्रम के अन्तर्गत किन-किन मार्गों पर काम चलाने की मांग की गई, स्वीकृति दी गई तथा काम संचालित किया गया तथा कार्य-क्रम के कब तक चलाते रहने का विचार है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

विकास खण्ड नौतनवा, लक्ष्मीपुर व बृजमनगंज में क्रमशः 34, 43 व 14 मार्गों को बनवाने की मांग की गई थी उनमें से क्रमशः 16, 16 व 4 मार्गों पर कार्य चलाये गये। मजदूरों को रबी की फसल की कटाई में काम मिलने के कारण टेस्ट वर्क 25–3–73 से बन्द कर दिया गया है। जहां आवश्यकता होगी कार्य पुनः आरम्भ कराया जायगा।

श्री रमेश चन्द्र, प्रथम सहायक वासिल बाकी नवीस, प्रतापगढ़ का स्थानान्तरण

6—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या यह सही है कि किसी प्रथम सहायक वासिल बाकी नवीस का तबादला कलेक्ट्रेट प्रतापगढ़ से तहसील पट्टी में शासकीय आदेश संख्या 1/4983/15/194/52, दिनांक 7 अगस्त, 1952 के विपरीत किया गया और क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में अनेकों पत्रों द्वारा शासन का ध्यान सन् 1972 में आकर्षित किया गया? यदि हां, तो शासन ने तत्काल क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। श्री रमेश चन्द्र का स्थानान्तरण कलेक्टरी प्रतापगढ़ से तहसील पट्टी में सहायक वासिल बाकी नवीस के पद पर किया गया था परन्तु यह किसी राजाज्ञा के विरुद्ध नहीं था। जिस शासकीय आदेश को माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में लिखा है वह राजस्व विभाग द्वारा नहीं भेजा गया था। इस स्थानान्तरण को निरस्त करने के लिये एक पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिस पर शासन ने कलेक्टर से रिपोर्ट मंगाई। स्थानान्तरण आवश्यक था। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

7—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

तहसील कासगंज (एटा) में चकबन्दी

8—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले की कासगंज तहसील में कितने मौजे ऐसे हैं जिनकी अब तक चकबन्दी नहीं हुई है और कितने मौजे ऐसे हैं जिनमें चकबन्दी चल रही है? सरकार के कौन-कौन से मौजे ऐसे हैं जो कि चकबन्दी कराने के लिये विचाराधीन हैं और उनकी चकबन्दी कब तक हो जायगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

एटा जिले की कासगंज तहसील के केवल 58 ग्राम ऐसे हैं जिनकी अभी तक चकबन्दी नहीं हुई है और 81 ग्राम ऐसे हैं जिनमें चकबन्दी चल रही है। शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार उपरोक्त 58 ग्रामों में से केवल 3 ग्राम ऐसे हैं जो कि चकबन्दी कराये जाने हेतु चकबन्दी आयुक्त के विचाराधीन हैं। इनके सम्बन्ध में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है।

9—10—श्री रामकिशोर शुक्ल—

[11वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

बलिया जनपद की गांव सभाओं द्वारा भूमि आवंटन

11—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार के राजस्व (क) विभाग द्वारा 10—8—70 को एक शासनपत्र प्रत्येक जनपद को भेजा गया है कि गांव सभाओं में निहित भूमि को पट्टे पर उठाते समय यह ध्यान रखा जाय कि एक व्यक्ति को कम से कम 2 एकड़ और अधिक से अधिक 3 1/8 एकड़ भूमि का आवंटन किया जाय किन्तु बलिया जनपद में इस शासकीय पत्र के अनुसार भूमि का आवंटन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

राजस्व 'क' विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 410/1—क—1—2(7)/70 दिनांक 10—8—70 द्वारा आदेश जारी किये गये थे कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम कीधारा 198 के प्राविधानों के अन्तर्गत गांव सभाओं में निहित भूमि को पट्टे पर उठाते समय यह ध्यान रखा जाय कि एक व्यक्ति को अधिक से अधिक 3 1/8 एकड़ भूमि तथा कम से कम 2 एकड़ भूमि पट्टे पर दी जाय। बलिया जनपद में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 14—8—70 को प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 21—8—70 को परगनाधिकारियों एवं तहसीलदारों को पालन हेतु भेज दिया गया।

भूमि आवंटन में उक्त शासनादेश का पूर्णरूप से पालन नहीं किया गया है। तहसीलवार विवरण इस प्रकार है:—

तहसील बलिया में भूमि का आवंटन दिनांक 10—8—70 का उक्त शासनादेश मिलने के पहले ही पूरा किया जा चुका था। इस तहसील में 21—8—70 के बाद कोई भूमि आवंटित नहीं की गयी।

बांसडीह तहसील में उक्त शासनादेश की प्राप्ति के बाद केवल 3 ग्रामों में 56 पट्टे किये गये जिनमें प्रत्येक पट्टे पर 2 एकड़ से कम भूमि दी गयी। परगनाधिकारी ने प्रस्ताव को पहले अस्वीकृत कर दिया। परन्तु बाद में भूमि प्रबन्धक समितियों ने यह प्रस्ताव पास किया कि 2 एकड़ भूमि से कम भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव इसलिये किया गया था कि इस भूमि को खेती योग्य बनाने में पर्याप्त धन तथा साधनों की आवश्यकता है तथा इतनी ही भूमि आवंटित

की जाय जिसे संबंधित आवंटी अपने सामर्थ्य के अनुसार खेती योग्य बना सके। इस परिस्थिति में परगनाधिकारी ने 2 एकड़ से कम भूमि आवंटित किये जाने की स्वीकृति दिनांक 31-8-70 को दी।

तहसील रसड़ा में उक्त शासनादेश की प्राप्ति के बाद 28 ग्रामों में 560-69 एकड़ भूमि का पट्टा 280 व्यक्तियों को किया गया, जिसमें से 467.38 एकड़ भूमि का पट्टा 199 व्यक्तियों को उक्त शासनादेश के अनुसार ही किया गया तथा शेष क्षेत्रफल 93.31 एकड़ भूमि का पट्टा 81 व्यक्तियों को किया गया जिसमें प्रत्येक को 2 एकड़ से कम भूमि-भूमि प्रबन्धक समितियों के प्रस्ताव पर दिया गया। एक गांव सभा में आवंटन के लिये उपलब्ध कुल भूमि 2 एकड़ से कम थी इसलिये उसे एक ही व्यक्ति को दिया गया। शेष मामलों में आवंटी की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए भूमि प्रबन्धक समितियों ने जिसमें प्रत्येक को 2 एकड़ से कम भूमि भूमि प्रबन्धक समितियों के प्रस्ताव पर किया गया। एक गांव सभा में आवंटन के लिये उपलब्ध कुल भूमि 2 एकड़ से कम थी इसलिये उसे एक ही व्यक्ति को दिया गया। शेष मामलों में आवंटी की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए भूमि प्रबन्धक समितियों ने 2 एकड़ भूमि से कम भूमि देने का निश्चय किया जिससे आवंटी अपनी सुविधानुसार उसे कृषि योग्य बना सके।

उक्त शासनादेश की प्राप्ति के बाद बलिया जनपद के किसी भी तहसील में 31/8 एकड़ भूमि से अधिक गांव सभा भूमि का पट्टा किसी व्यक्ति को नहीं किया गया।

12—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[11वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

राजकीय आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सक संघ, उत्तर प्रदेश की मांगें

13—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हे राजकीय आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सक संघ, उत्तर प्रदेश की मांगों का कोई प्रतिवेदन जनवरी, 1973 से मार्च, 1973 तक मिला? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां। मांगों का परीक्षण किया जा रहा है।

मेरठ मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल के विरुद्ध शिकायतें

14—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

9 मार्च, 1973 के नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न 29 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुसद्दीलाल द्वारा 2 फरवरी, 1972, 18 अगस्त, 1972 तथा 24 जुलाई, 1972 के पत्रों में प्रिंसिपल, मेडिकल कालेज मेरठ के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें की गईं और किस आरोप के संबंध में सतर्कता विभाग से जांच कराने का निश्चय कराया गया?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इन तीनों तारीखों के पत्र श्री मुसद्दीलाल के नहीं बल्कि माननीय सदस्य महोदय के ही हैं और उनमें तथा उनके साथ संलग्न पत्रों में प्रिंसिपल, मेरठ मेडिकल कालेज के विरुद्ध जो शिकायतें की गयी हैं उनका संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्य महोदय के ही दिनांक 9 मार्च, 1973 के प्रश्न 29 के उत्तर में दिया जा चुका है।

पंथोलाजी के निजी जनरल्स को नेशनल बुक डिपो हाउस, आगरा को बेंचकर फिर उसे कालेज की लाइब्रेरी के लिए खरीदने सम्बन्धी आरोप की सतर्कता विभाग से जांच कराने का निश्चय किया गया है।

सुल्तानपुर जनपद में सूखे वृक्षों को काटने हेतु परमिट

15—श्री राम वचन यादव (जिला आजमगढ़, फूलपुर) तथा श्री रामनिहोर राय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, 1972 से 10 मार्च, 1973 तक जनपद सुल्तानपुर में उपरोक्त अवधि में सूखे वृक्षों को कटवाने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए उनमें से कितनों को परमिट दिया गया ? जिनको नहीं दिया गया उनमें प्रत्येक के क्या कारण थे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्नगत अवधि में 8 प्रार्थना-पत्र सूखे वृक्षों को काटने हेतु प्राप्त हुए और उनमें से सभी को परमिट दिया गया है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी जिले के विशाल शिविरों में नसबंदियों का लक्ष्य

16—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 12 जनवरी, 1973 से प्रदेश के पश्चिमी जिलों में परिवार नियोजन के विशाल शिविरों का आयोजन किया गया ? यदि हां, तो जिलेवार लक्ष्य क्या-क्या थे और प्रत्येक जिले में कितनी-कितनी नसबन्दी हुई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां, प्रदेश के चार पश्चिमी जिलों अर्थात् मैनपुरी, मथुरा, बदायूं एवं शाहजहांपुर में 12 जनवरी, 1973 से परिवार नियोजन के विशाल शिविरों का आयोजन किया गया। प्रत्येक जिले के लक्ष्य तथा उसमें हुई नसबन्दियों का विवरण निम्न प्रकार है :—

जिले का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि (पुरुष नसबन्दी)
1—मैनपुरी	7,450	3,282
2—मथुरा	6,680	4,186
3—बदायूं	8,495	7,595
4—शाहजहांपुर	6,625	4,375

17—श्री जगदीश गांधी—

[7वें मंगलवार के लिये प्र० सं० 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

18—श्री सूबेदार सिंह—

[11वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन्द किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री कमलापति सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया था जिस पर प्रश्नों के समय में मैंने कहा था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अत्याचार हो रहा है और विश्वविद्यालय को बन्द कर दिया गया है। आज वहां पर मिलिट्री और पुलिस का कैम्पस बना हुआ है। तो ऐसे गम्भीर सवाल पर आप सदन में बहस करने की इजाजत दें और इस मामले में पूरे सदन के माननीय सदस्यों की राय जान लें क्योंकि वहां पर प्रदेश की सरकार ने अपनी पुलिस लगा रखी है और वह इस बात की उत्तरदायी है बावजूद इसके कि वह यूनिवर्सिटी केन्द्रीय सरकार से गवर्न होती है। जहां घटना घट रही है वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है। माइनौरिटीज के अन्दर एक ऐसी भावना पैदा हो रही है कि आज वे सुरक्षित नहीं हैं, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं हैं जो उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस कामरोको प्रस्ताव पर बहस करने की इजाजत दी जाय ताकि यह प्रश्न सदन में अवश्य आये। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस विषय पर आपकी आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक कामरोको प्रस्ताव का सवाल है आपने भी दिया है और माननीय चरण सिंह जी ने भी दिया है। कामरोको के रूप में तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इस पर बहस हो सकती है। कामरोको प्रस्ताव के रूप में इस पर इसलिए बहस नहीं हो सकती है क्योंकि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, प्रदेशीय सरकार की इसमें जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए मैं इसको कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

सरकार ने पुलिस को वहां का प्रशासन दे दिया है और आप इस पर कामरोको प्रस्ताव की हैसियत से बहस का मौका नहीं देंगे ?

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

चूंकि आपकी रूलिंग हो गयी है उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन निवेदन है कि अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी यू० पी० के अन्दर स्थित है बेशक वह केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित होती है लेकिन यू० पी० के लोगों पर उसका असर पड़ता है। आपने जो बहस कराने का तरीका निकाला है, वह तो हमें मंजूर है लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसका असर हम पर पड़ता है। लिहाजा यह कहना कि चूंकि यह केन्द्रीय सरकार से संचालित होती है इसलिए हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाती है, यह बात नहीं है। यहां पर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के बारे में बहस हो चुकी है हालांकि वह भी विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित है। तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि यहां पर न कोई कत्ल हुआ, न मारपीट हुयी, यों ही बन्द कर दिया गया और जहां पर रोज कत्ल हो रहे हैं उसको केन्द्रीय सरकार ने या वाइस चांसलर ने बन्द नहीं किया तो यह बात ज्यादा महत्व की हो जाती है। आप इस पर बहस का मौका तुरन्त दें ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, इस पर तो आपकी रूलिंग हो गयी, तो क्या चौधरी साहब आपकी उस रूलिंग के विरोध में कुछ कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो उनको स्वीकार है। चर्चा हो सकती है लेकिन कामरोको प्रस्ताव की हैसियत से इस पर बहस नहीं हो सकती है। इस पर चर्चा कराने की मैं किसी दिन इजाजत दे दूंगा क्योंकि इसकी जिम्मेदारी प्रदेशीय सरकार की नहीं है। काम रोको प्रस्ताव तब आ सकता है जब हम यह मान लेंगे कि इसमें प्रदेशीय सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

आप इसके लिए कोई तिथि मुकर्रर कर दें? इस सरकार की जिम्मेदारी इसलिए हो जाती है...

श्री अध्यक्ष—

आप मेरी रूलिंग को चैलेंज करते हैं? रूलिंग तो माननीय चरण सिंह जी ने मान ली है।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, इसको आप नियम 52 में कर दीजिए?

श्री अध्यक्ष—

इस पर चर्चा के लिए मैं आपको समय दूंगा। क्या आप 12 तारीख को चाहते हैं? (कुछ आवाजें—ठीक है) तो ठीक है मैं 12 तारीख को समय दूंगा लेकिन यदि आप चाहें तो इसके लिए 17 तारीख रख दूं क्योंकि 12 को अधिक लोग नहीं आयेंगे।

श्री चरण सिंह—

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसके लिए 12 तारीख ज्यादा मुनासिब होगी?

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, आज यह सदन उठ रहा है। सदन जानना चाहता है कि 12 तारीख के अन्दर वहां पर कोई अप्रिय घटना तो इनकी पुलिस द्वारा नहीं होने पायेगी?

श्री अध्यक्ष—

वे न पुलिस के हाथ पकड़ सकते हैं और न विद्यार्थियों के।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप उनको आदेश दे दें? आपने तिथि निर्धारित कर दी है?

श्री अध्यक्ष—

यदि आप कोई दूसरी तिथि चाहते हैं तो कह सकते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैं चाहता था कि 12 के स्थान पर आप इसे 17 को ले लीजिए?

श्री चरण सिंह—

वैसे तो इसे आज ही होना चाहिए था लेकिन अगर आज संभव नहीं है तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि 6 दिन बाद ले लीजिए। इनको काफी समय मिल जायेगा सूचना प्राप्त करने का और वक्तव्य देने का। यदि इसको आप 17 तारीख को लेते हैं तो इसकी अर्जेन्सी ही समाप्त हो जाती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसे आप 12 को ही ले लें?

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, वहां पर हालत बड़ी खराब है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, वहां पर कोई घटना हो सकती है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

12 तारीख के लिए मुझे कोई आपत्ति न होती लेकिन मैं चाहता था कि इस बहस में मैं भी मौजूद रहूं। 12 तारीख को मेरा यहां रहना संदिग्ध है इसलिए मैंने निवेदन किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

तारीख निश्चय करने के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। दूसरा विषय कार्य-स्थगन के बारे में है और वह यह है कि मान्यवर, 11 हजार बिजली के कनेक्शन पड़े हैं, जिनका एग्रीमेंट हो चुका है, रुपये जमा हो चुके हैं, लेकिन उनको विद्युत शक्ति नहीं दी गयी है। कैबिनेट का निर्णय हो चुका है कि 30 जून तक बिजली नहीं दी जायेगी। लेकिन इस मंत्रि-मंडल ने सीताराम जयपुरिया को रायबरेली में एक नये संस्थान के लिये और कानपुर के इण्डस्ट्रियलिस्ट को बहुत मात्रा में बिजली दे दी है, अपने निर्णय के विरुद्ध। मान्यवर, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिये बिजली नहीं मिल रही है, सिंचाई के लिये बिजली नहीं मिल रही है, गेहूं के थ्रेशिंग के लिये बिजली नहीं मिल रही है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। अगर इनको बिजली दे देंगे तो अकाल पड़ जायेगा और सारी अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

उसमें तो तय हो चुका है कि 30 जून तक नहीं देंगे। कल ही जवाब दिया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यही तो एलीगेशन है। जवाब देने के बाद और कैबिनेट के निर्णय के विरुद्ध सीताराम जयपुरिया को और कानपुर के बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट को (जिसका नाम मुझे नहीं मालूम) 8 तारीख के उपलक्ष में, जिस दिन कि इंदिरा जी वहां आ रही हैं, बहुत भारी मात्रा में बिजली दी गयी है। मुख्य मंत्री जी अगर कह दें कि नहीं दी गयी है, तो हम वापस ले लेंगे।

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

मान्यवर, ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इनको कोई सूचना नहीं है, क्योंकि विद्युत् मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं। यह कह दें कि मेरी बात निराधार है, तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

वह आपका है कि सर्वविदित है कि बिजली का संकट नित्य-प्रति बढ़ता हुआ, बहुत भयंकर रूप धारण कर रहा है। इस प्रदेश में सिंचाई के लिये, गेहूं के पीसने तथा गेहूं की थ्रेसिंग का कार्य बन्द है। विद्यार्थियों को इस परीक्षाकाल में पढ़ने में घोर कठिनाई हो रही है—उसमें तो यही लिखा है—11 हजार बिजली के कनेक्शन बिना पूरा किये हुये पड़े हुये हैं, जिनके एग्रीमेंट हो चुके हैं, रुपये जमा हो चुके हैं, लेकिन 30 जून तक उन्हें बिजली न देने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। किसी को बिजली न दी जायेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

लेकिन इसके विपरीत इन्होंने रायबरेली में जयपुरिया को और कानपुर के और इण्डस्ट्रियलिस्ट को बिजली दे दी, क्योंकि रायबरेली में प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं और कपूर साहब आ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य के लिये है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उसमें ऊपर वाला पोरशन एक्सप्लेनेटरी है और नीचे वाला 'हर्ट आफ दि होल थिंग्स' है ।

श्री अध्यक्ष—

25–3–73 को ग्राम शिव, थाना विसंडा, जिला बांदा के हरिजनों पर कथित अत्याचार . .

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष—

वह नं0 8 पर आयेगा । अभी नहीं आया ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना मैंने दी थी।

श्री अध्यक्ष—

कोई विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे पास नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैंने कल ही भेजा है।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई (जिला बाराबंकी)—

ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर·····

श्री अध्यक्ष—

जो आपने मुझे भेजा है उसे मैंने अभी इसलिये स्वीकार नहीं किया है क्योंकि मैंने इस पर यह जानकारी मंत्री जी से हासिल करनी चाही है 207 करण में, कि उन्होंने जो रूल्स बनाये हैं उनको सदन में रखा है या नहीं ? उनका उत्तर आने पर ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जब पूछा है तो आपने रिजेक्ट कैसे कर दिया···· ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन स्वीकार अभी नहीं किया है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

आधा घंटे से किदवई साहब खड़े हैं, उनको भी आप सुनें . . .

श्री मुस्तफा कामिल किदवई—

मैं समझता हूं कि जो घटना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुई है उसको आप और यह सदन बहुत लाइटली ले रहा है। यह जो आपने कहा कि 12 तारीख कर दी जाय या 17, यह बिलकुल गलत है। यह इतनी सीरियस बात है कि इसको आप आज ही डिस्कस कीजिये, चाहे हमें लेट सिटिंग ही क्यों न करनी पड़े ताकि कम से कम मंत्री जी से और अपोजीशन पार्टी से यह बताया जा सके कि इसके क्या सीरियस रिपरेकशन्स हो सकते हैं और 7 रोज के लिये टाल रहे हैं। अगर सात रोज के लिए टाला जा रहा है। अगर सात रोज के अन्दर कोई बात हो गई या कोई लड़का मारा गया या यूनिवर्सिटी को कोई नुकसान हुआ या कमुनल राइट हो गया तो अध्यक्ष जी मैं कहूंगा कि इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी...

श्री अध्यक्ष—

आप जिम्मेदारी मेरे ऊपर कैसे डाल सकते हैं?

श्री बंशीधर पांडेय—

वह अपने दिल की पीड़ा में यह बात कह गये। उनके कहने का मतलब यह है कि इसकी इतनी अर्जेन्सी है कि यह आज ही हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

तो इसमें मेरे ऊपर कहां जिम्मेदारी आती है, पुलिस डंडे मारे, अध्यक्ष पर जिम्मेदारी होगी....

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

वह आपके द्वारा इस सरकार से कहना चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी की जिम्मेदारी होगी वह कह नहीं सके। जिम्मेदारी सरकार की होगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको काम रोको प्रस्ताव के अन्तर्गत नहीं ले सकता किसी भी हालत में।

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय किदवई साहब ने इसकी अरजेन्सी को सदन के सामने रखा। मान्यवर, अगर आपने इसको अस्वीकार कर दिया है तो आप इस पर आज कम से कम चर्चा तो करवा दें। यह बहुत ही इम्पार्टेंट मामला है।

श्री अध्यक्ष—

जब मैंने उसको स्वीकार कर दिया है तो समय भी तो तय करना पड़ेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप इस पर आज ही चर्चा करा दें। मुख्य मन्त्री जी से कहें कि आज इस पर चर्चा करा दें। अगर मुख्य मन्त्री जी इस पर चर्चा नहीं करवाते हैं तो मैं समझता हूं कि इधर के माननीय सदस्य, उधर के माननीय सदस्य सब का माननीय मुख्य मन्त्री जी तिरस्कार कर रहे हैं। आज ही इस मामले पर चर्चा होनी चाहिये। अगर चर्चा नहीं कराते तो मैं अपने दल के साथ पांच मिनट के लिये सदन त्याग करता हूं।

(श्री कल्पनाथ सिंह अपने दल के सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

कल्पनाथ सिंह जी आप बहुत डिस्टर्ब करते हैं।

श्री चरण सिंह—

जैसा कि किदवई साहब ने कहा आज शाम को हो जाय। अगर आज नहीं हो सकती तो मैं मुख्य मन्त्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। वहां डी० आई० जी० और पुलिस भेज दी गयी है और हुक्म हो गया है कि स्टूडेंट्स से होस्टल खाली करा दिया जाय। जब तक यहां बहस हो तो मुख्य मन्त्री की तरफ से आर्डर हो जाय कि लड़कों से होस्टल खाली न कराया जाय। होस्टल खाली कराने से लड़कों में रायट हो सकता है, ब्लड शेड हो सकता है। यह गवर्नमेन्ट के हित में ही होगा कि इस तरह का आर्डर दे दें कि स्टूडेन्ट्स से होस्टल बैकेट न करायें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

तीन चार सरकारें बनीं और जब कभी किसी विश्वविद्यालय में ऐसी स्थिति हुई तो होस्टल खाली कराये गये। जब-जब विश्वविद्यालय बन्द करने के आर्डर हुए हैं तो होस्टल खाली कराये गये हैं। अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का होस्टल खाली कराया जा रहा है तो इसमें नयी बात क्या हो गयी। अलीगढ़ के लिये ही क्यों ज्यादा सेन्टीमेन्टल हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं मुख्य मन्त्री से बात कर लूंगा और बाद में फैसला दूंगा।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मुख्य मन्त्री अन्तरिम आदेश दे सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि जब वहां की स्थिति बिगड़ जायगी तब हम यहां विचार करेंगे। उस समय जिम्मेदारी किसकी होगी। यह मामूली सा सुझाव है कि मुख्य मन्त्री जी आदेश दे दें कि होस्टल खाली न कराये जायं जब तक कि मुख्य मन्त्री का बयान न हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं मुख्य मन्त्री जी और चरण सिंह जी को बुला लूंगा और बातचीत करके फैसला दूंगा।

श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर)—

आपने कहा कि आपकी जिम्मेदारी किस तरह होगी। मैं कहता हूं कि अगर इस दौरान में कम्युनल टेंशन हो गया तो आपकी जिम्मेदारी इसलिये होगी कि आपने यहां सदस्यों को इस गंभीर विषय पर चर्चा करने का मौका नहीं दिया जिससे कि सदस्य सरकार के नोटिस में सारी बातों को ला सकते। यह जरूर है कि वह केन्द्रीय यूनिवर्सिटी है लेकिन वह पुलिस कैम्प बन गया है। पी० ए० सी० ने सारा कैम्प घेर रखा है। वहां क्या जरूरत थी कि इतनी पी० ए० सी० लगायी गयी जबकि वहां कोई घटना नहीं हुई, कोई डिमान्सट्रेशन नहीं हुआ। मैं कल शाम को ही बुलन्दशहर से आ रहा हूं। मेरे दो भाई वहां पढ़ते हैं। एक भाई रिसर्च करता है.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री शमीम आलम—

सरकार का इतना रुपया क्यों नष्ट हो रहा है। डी० आई० जी० वहां क्यों गये हैं? मैंने अलीगढ़ स्टेशन पर और खुर्जा स्टेशन पर देखा कि बहुत ज्यादा तादाद में पी० ए० सी० वहां थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

किदवई साहब कह चुके हैं। मैं बात कर लूंगा। आप बैठें। बहुत कह चुके।

श्री शमीम आलम—

हमने उनसे अलग से मिल कर निवेदन किया है। वह खुल कर आयें कि उनकी नीयत क्या है और आज वे मुस्लिम अकलियतों के साथ क्या करना चाहते हैं जो तरीकेकार उनका बना है उसका वह आज एलान करें, इस तरह से बच-बच कर भागने से काम नहीं चलेगा।

*श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, अभी आपने कहा कि इस विषय में हम लोग थोड़ी देर में बातचीत कर लेंगे। अगर ऐसी भावनाएं होंगी कि जल्द से जल्द बहस हो जाय तो आज ही हो जावे, उस पर हम निश्चित कर लेंगे। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को वहां के वाइस-चांसलर ने बन्द किया है। जैसा कि अखबारों से सूचना मिली। ऐसा होता है कि वाइस चांसलर यूनिवर्सिटियां समय-समय पर बन्द किया करते हैं और जब बन्द करते हैं तो हम से तो पूछते नहीं हैं। बनारस यूनिवर्सिटी नवम्बर से 4 बार बन्द हो चुकी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दो बार बन्द हुई, लखनऊ यूनिवर्सिटी दो-दो, तीन-तीन बार बन्द हुई और वहां के वाइस चांसलरों ने बन्द कर दिया है और हमसे पूछा भी नहीं है। इसी प्रकार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को वहां के वाइस चांसलर ने बन्द कर दिया है। केन्द्रीय सरकार के माध्यम से वह यूनिवर्सिटी चलती है। मेरे पास अभी उसकी कोई रिपोर्ट आयी नहीं है कि वहां क्या स्थिति है। शांति व्यवस्था के बारे में हमने जानने की कोशिश की है और शायद उसकी कोई रिपोर्ट आयी होगी। जहां तक किसी प्रकार के उपद्रव न होने देने का सवाल है वह जिम्मेदारी अवश्य इस सरकार की है और वह इस बात की कोशिश करेगी कि किसी प्रकार का उपद्रव न होने पावे। तो अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उसको बन्द किया है हमारी केन्द्रीय सरकार से बातचीत नहीं हो सकी कि इस सम्बन्ध में उनकी क्या पालिसी है और क्या विचार है? वहां की स्थिति के बारे में कोई रिपोर्ट अभी नहीं आ सकी है इसलिये मैं समझता हूं कि इस मामले में, आवेश में आकर कहीं ऐसी बहस न हो जावे कि उपद्रव न होने वाला हो तो उपद्रव आरम्भ हो जावे। इस मामले में जो भावनायें हैं.....

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

(व्यवधान) अगर वहां कुछ हो गया तब क्या होगा? (शोर)

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जो भावनायें माननीय सदस्यों की इस मामले में हैं उससे हम सब परिचित हैं किन्तु इन भावनाओं के कारण किसी प्रकार से ऐसा वातावरण उत्पन्न न हो जो शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचावें। हम अवश्य इस सदन में बहस मुबाहसा करें जिससे आज कल जब कि खास तौर से गरमी का वातावरण है उसमें और उत्तेजना आ जावे। इसलिये मैं समझता हूं कि आवेश की अधिक जरूरत नहीं है। विधान सभा बैठी हुई है, सही है कि वह आटोनामस हैं और उनका कार्य संचालन हमारे हाथ में नहीं है किन्तु थोड़ा बहुत अनुदान आदि हमारा भी है और इसलिये शांति व्यवस्था की दृष्टि से हम देखेंगे और हम केन्द्रीय सरकार से जानकारी करेंगे लेकिन मैं कहता हूं कि आज चाहे जैसे भी हो, चाहे आज बहस हो या 12 तारीख को बहस हो इस बात को देखकर बहस हो हम खाली सरकार को दोष देने के लिये इस तरह की बहस कर दें और उत्तेजना मिले जिससे शांति व्यवस्था को खतरा हो और प्रदेश को हानि पहुंचे। ऐसी बहस न होनी चाहिये चाहे इस पक्ष से हो और चाहे उस पक्ष से हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष जी जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने अभी अपील सदन से की है, मैं भी ऐसा समझती हूं कि उन्होंने सदन की भावनाओं को समझा है। अच्छा यह होगा कि आज शाम को जो भी पोजीशन हो उस पर थोड़ी देर के लिये प्रकाश पड़ जावे और फिर 12 तारीख को बहस हो जावे। क्योंकि अगर इस वक्त इस एक्साइटमेन्ट और आवेश में इन चीजों में इनको अगर किसी प्रकार से तथ्यों को छिपाने की बात करेंगे तो उसका असर दूसरा भी हो सकता है इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि थोड़ी देर में आज टेलीफोन का जमाना है जो भी इन्फार्मेशन हो जिससे जिस तरह से भी गवर्नमेन्ट मंगा सकती हो वह सब सदन को बता दें और उस के बाद अगर आवश्यकता हो तो 12 को बहस हो जावे।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मैं इस बात से अपनी बहन राजेन्द्र कुमारी जी से सहमत हूं कि प्रिलिमिनरी जो सूचनायें आज जितनी मिल सकें उस सम्बन्ध में घंटे डेढ़ घंटे आज चर्चा हो जाय और उसके बाद विधिवत् चर्चा 12 तारीख को हो जावे।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, यह तय करने के लिये सब लोग चरण सिंह जी भी, आप भी माननीय मुख्य मन्त्री जी भी आ जावें और वहां बातचीत कर लें, तय हो जावेगा।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

कितने बजे आप बुला रहे हैं?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या बगैर मुख्य मन्त्री या सरकार के आर्डर के आई० जी० यूनिवर्सिटी में घुस सकते हैं? क्या यह उनकी गलती नहीं है कि लड़कों को बसों में भेज रहे हैं और ट्रेनें लगायी हैं। आपके मजिस्ट्रेट, आई० जी० और तमाम अधिकारी बगैर हुकुम के सब गड़बड़ी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आशा करता हूं कि मुख्य मन्त्री जी, श्री चरण सिंह जी, श्री बंशीधर पांडेय, श्री किदवई साहब कृपा करके आयेंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

हम लोग कोई चीज नहीं हैं? मुख्य मन्त्री जी ने बयान दिया था। क्या वह आपको मान्य नहीं था। हम लोग भी तो बीच में हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

उसी बयान के हिसाब से बातचीत होगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

एक निवेदन आपसे मेरी यह है कि इस तरफ से माननीय नेता सदन, मुख्य मन्त्री जी आपके पास होंगे। कृपा करके और किसी को न बुलावें। वे ही काफी होंगे। किदवई साहब को भी न बुलावें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या ऐसा भी कोई विषय है जिससे विरोधी दल के नेता डिप्राइव किये जा सकते हों? आपका निर्णय क्या है?

श्री अध्यक्ष—

1 बजे मैंने कहा है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

किदवई साहब जरूर होंगे क्योंकि उन्होंने गंभीर संकट की चेतावनी दी है ।

श्री राम बचन (जिला आजमगढ़)—

स्थिति बहुत गंभीर है । मुख्य मन्त्री कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, मगर किदवई साहब कहते हैं कि गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है । प्रदेश में जगह-जगह उपद्रव फैले हुए हैं । मुख्य-मन्त्री जी से निवेदन है कि हर जिला अधिकारी को आदेश दे दिये जायें कि वे स्थिति को जिम्मेदारी के साथ देखें ताकि कहीं साम्प्रदायिक दंगा न हो और अगर कहीं हो रहा है तो केन्द्रीय सरकार और मुख्य मन्त्री देख कर जैसा उचित समझेंगे करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

श्री त्रिपाठी जी भी आजाएं ।

ग्राम शिव, जिला बांदा के हरिजनों पर कथित अत्याचार से एक हरिजन की मृत्यु होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

दिनांक 25–3–73 को 4 बज कर 45 मिनट पर अपराह्न में श्री बुलकिया हरिजन, निवासी ग्राम शिव, थाना विसंडा, जिला बांदा ने थाना विसंडा पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि लगभग 2 या 2.30 बजे दिन में जगन्नाथ ब्राह्मण व 5 अन्य व्यक्ति बन्दूकें, लाठियां, बैलगाड़ी लेकर उसके खलिहान में आये और वादी के दादा जगन्नाथ से राजी-राजी खेत का गल्ला देने को कहा । वादी के दादा जगन्नाथ ने गल्ला देने से इन्कार कर दिया । इस पर जगन्नाथ ब्राह्मण के ललकारने पर उसके चार साथियों ने वादी के पक्ष के लोगों को लाठियों से मारपीट की । जगन्नाथ ब्राह्मण, उसके भाई बैजनाथ तथा एक अन्य ने गोलियां भी चलाईं । गोली की चोट से सुन्दर की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । वादी के दादा जगन्नाथ को भी गोली से चोट आई व चार अन्य लोगों को चोटें आईं ।

उक्त सूचना प्राप्त होते ही थाना विसंडा बांदा पर धारा 147/148/149/302/307/323 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम हुआ व विवेचना प्रारम्भ की गई । क्षेत्राधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, बांदा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया । दिनांक 26–3–73 को दो नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । पुलिस की सतर्कता एवं सक्रियता के फलस्वरूप दिनांक 28–3–73 को 2 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया । शेष 2 अभियुक्तों के विरुद्ध 31–3–73 को धारा 87/88 जा0 फौ0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है । घटना स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पी0 ए0 सी0 लगा दी गई है ।

अभियुक्त गण द्वारा खलिहान की फसल उठा ले जाने की बात सही नहीं है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी ऐसा कोई आरोप नहीं है ।

ग्राम में जनजीवन सामान्य है तथा हरिजनों में किसी प्रकार का आतंक एवं भय व्याप्त नहीं है । जिला प्रशासन न घटना क सम्बन्ध में पूरी तत्परता के साथ आवश्यक कार्यवाही की और उदासीनता का आरोप सही नहीं है ।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्या कारण है कि आपके क्षेत्र बांदा जनपद में हरिजनों को बहुत मारा पीटा जा रहा है ? और इस घटना की सूचना के बाद पुलिस वहां कब पहुंची है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जहां तक इस दुर्घटना का सम्बन्ध है बांदा क्षेत्र बहुत बड़ा है और मेरा उस क्षेत्र से सम्बन्ध नहीं है लेकिन जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है जमीन का मामला है । जगन्नाथ और बैजनाथ ब्राह्मणों का जमीन के सम्बन्ध में हरिजनों से झगड़ा हुआ है ।

श्री रूपनाथसिंह यादव—

रिपोर्ट होने के कितनी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, दो आदमी गोली से मार दिये गये और 5 घायल हुए हैं, तो थानेदार ने क्या कार्यवाही की और कब की ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जैसे ही 25-3-73 को इसकी सूचना थाने पर पहुंची यह दुर्घटना हो चुकी थी, पुलिस उसके बाद ही पहुंच गई थी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

इस बात को देखते हुए कि पूरे बांदा जिले में लगातार हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है और इस हाउस में भी इस पर बहस हो चुकी है, यह दुर्जन भाई के क्षेत्र की बात है, वह ठाकुरों और अहीरों को हराकर यहां आये हैं, तो उनका बदला हरिजनों से तो नहीं लिया जा रहा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, किसे हराकर यहां आये हैं इसका प्रश्न नहीं आता है । यह तो जमीन जायदाद की बात है और उसी को लेकर हरिजनों से झगड़ा हुआ है ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

जबसे माननीय मन्त्री जी गृह मन्त्री हुए हैं हरिजनों पर अत्याचार बहुत हो रहे हैं तो क्या वहां के सवर्ण और पुलिस को उन का आशीर्वाद प्राप्त हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, मेरा आशीर्वाद किसको प्राप्त है और किसका मुझे प्राप्त है, इसकी जानकारी माननीय सदस्य को नहीं हो सकती है क्योंकि वह तो कानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन जब आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर लेगा तो क्या आप उसको रेसिस्ट नहीं करेंगे ? यह प्रश्न जो उठाया गया कि जब से मैं गृहमन्त्री हुआ ऐसी घटनाएं होने लगी हैं, यह आपकी कल्पना है । वहां की पुलिस सतर्क है और सक्रियता से अपना कर्तव्य पालन कर रही है और पूरे प्रदेश में कोई भी हो, सवर्ण हो या कोई भी हो उनके साथ रियायत नहीं करती है । यहां पर हरिजनों के बारे में ऐसी कल्पना करना बिलकुल अनुचित है और एक तरह से माननीय सदस्य का अन्याय भी है ।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

मन्त्री जी ने कहा है कि पुलिस ने बड़ी सक्रियता और सतर्कता से काम लिया । दो मुल्जिम तो अपनी तरफ से हाजिर हो गये, अगर सतर्कता से काम लिया होता तो दो मुल्जिम जो फरार हैं उनको पुलिस पकड़ती । पुलिस के होते हुए ही ऐसी घटनाएं होती हैं, मन्त्री जी बतायें कि उनके होते हुए हुई या नहीं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

दो मुल्जिम पकड़े गये हैं, जब पुलिस ने उनकी घिराई की तो हाजिर हो गये और जो फरार हैं उनके खिलाफ 87–88 की कार्यवाही हुई है और पुलिस उनको पकड़ने में लगी हुई है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मन्त्री जी को नाराज नहीं होना चाहिये। यह हकीकत है। बांदा के अन्दर इन हरिजनों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। मन्त्री जी को यह भी विदित है कि आल इंडिया के महामन्त्री ने जाकर वहां इंक्वायरी की है। तो इन चीजों को देखते हुए कि लगातार हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है और यह सौभाग्य की बात है कि मन्त्री जी वहां से आते हैं और पुलिस मन्त्री हैं, तो क्या बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे हरिजनों पर जो रोज अत्याचार हो रहा है और परेशानी आ रही है उसका बीच-बचाव हो जाय, ऐसी व्यवस्था करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

नाराज होने की बात तो सोच भी नहीं सकता। वहां जो घटनाएं हुई उनमें अधिकांश पोलिटिकली मोटिवेटेड हैं। उनको स्वीकार करता हूं जो सही है और उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक दृष्टिकोण से मोटिवेटेड हैं वह उन व्यक्तियों द्वारा लगायी जाती है जिनका व्यक्तिगत रूप से विरोध करना स्वाभाविक है। तो उनके लिये हम असमर्थ हैं, कुछ कर नहीं सकते। पर हरिजनों की सुरक्षा का तक जहां प्रश्न है, पूरी सतर्कता बरती जाती है और पुलिस तथा जिला प्रशासन द्वारा सक्रियता से जांच होती है।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या यह घटना खलिहान में हुई है। जगन्नाथ जी अपने चार साथियों को लेकर किस काम से खलिहान में गये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

वे खलिहान में जाकर बैलगाड़ी में अपनी फसल को कटवा कर लाने के लिये गये हुए थे।

श्री जयराम वर्मा—

क्या यह बात सही नहीं है कि उस दिन मड़ाई नहीं हो रही थी, तो गल्ला कैसे बांटा जाता?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मड़ाई हो भी रही थी और लाक भी बांटा जा सकता है।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आपका बार-बार यह कहना कि जमीन की भी मड़ाई हो रही थी तो इन्होंने खेतों को जोता, बोया और खलिहान काटा तो क्या यह सही नहीं है कि वह मजदूरी पर काम करने गये थे, उसकी जांच करवायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

बटाई में जिसको जमीन दी जाती है वही जोतता बोता है, लेकिन बटाई के बाद जब खेत काटा जाता है तो उसका बटवारा ही जाता है, उसी के बटवारे के लिये ये ब्राह्मण गये वहां पर।

श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

मन्त्री जी ने बताया कि बटाई का खेत लिये हुए थे। जमींदारी के पहले से उन हरिजनों ने जंगल साफ करके, खोद करके खेत बनाया और आज तक उन्हीं खेतों पर पैदावार करते चले आये और काबिज हैं। वह चाहते थे कि हम तुमसे आधा ले लेंगे जबरदस्ती। बैलगाड़ी

और बन्दूकें लेकर उन असहाय हरिजनों से बंटाई करने गये। कोई बन्दूकें लेकर बंटाई करने जाता है? तो मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सी० आई० डी० से जांच करवा सकते हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अगर माननीय सदस्य को सी० आई० डी० की जांच में संतोष है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जयराम वर्मा—

माननीय मन्त्री जी के जिले में बंटाई का क्या रिवाज है, गल्ला बांटा जाता है या फसल बांटी जाती है? और अगर वह बंटाई के लिये गये थे तो बन्दूकें और चार आदमियों की क्या जरूरत थी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

आमतौर से खलिहानों में गल्ला बांटा जाता है। चूंकि इसमें पहले से ही आपस में झगड़े की बात थी, वह लोग जबरदस्ती बंटाई नहीं करना चाहते थे इसलिये वे गये और जब यह दुघटना हुई उसके बाद पुलिस ने बकायदा कार्यवाही की। दो आदमी पकड़े गये, दो ने सरेन्डर किया और दो के खिलाफ 87–88 की कार्यवाही हुई। जब इस तरह का झगड़ा होता है तो पुलिस अपनी कार्यवाही करती है।

श्री जयराम वर्मा—

बन्दूक के बारे में क्या बताया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सुन्दर की तो बन्दूक से मृत्यु हो गयी थी और दूसरी पार्टी की तरफ से भी फायरिंग क आरोप है जिससे इस पार्टी के दो आदमियों को छर्रे लगे।

श्री रूपनाथसिंह यादव—

25–3–73 की घटना है और उसी दिन 4–45 बजे रिपोर्ट हो गयी। तो वहां की पुलिस कब रवाना हुई और कब मौके पर पहुंची? उन लोगों की बैलगाड़ी वगैरह पकड़ी या नहीं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

25 तारीख के सायंकाल की घटना है। जो हमारे पास उपलब्ध सूचना है उसके हिसाब से 26 तारीख को ही दो अभियुक्तों को पकड़ लिया था।

श्री रूपनाथसिंह यादव—

घटना हो गयी, दो कत्ल हो गये, गोली चल गयी। थाना वहां से दो मील है और इनकी पुलिस दूसरे दिन पहुंचती है। यही सतर्कता बरती है? सरकार हरिजनों को पिटवा रही है जो इत्तला के बाद भी मौके पर नहीं गया। ऐसे दरोगा को आप मुअत्तल करेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

गिरफ्तारियां हो रही हैं। अगर उसकी लापरवाही सिद्ध हो जायगी तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी।

श्री रूपनाथसिंह यादव—

यह डकैती और कत्ल के बराबर है। 25 को रिपोर्ट हो गयी और 26 को इनकी पुलिस जाती है। उसी दिन पुलिस क्यों नहीं गयी ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मन्त्री जी ने कहा कि पुलिस सतर्क है और कार्यवाही हो रही है और उन्होंने यह भी संकेत किया है कि इन सब मामलों में कुछ राजनीति की गन्ध है। यदि यह सही है तो इस प्रकार की बांदा में कई घटनाएं घटित हुई है। तो क्या आप अपने उच्च अधिकारियों से सलाह लेकर ऐसा निर्णय लेंगे कि बांदा में जो जानबूझ कर घटनायें करायी जा रही हैं उन पर कोई रोक लगे?

(इस समय 12 बज कर 54 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री बासुदेव पीठासीन हुए।)

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जब इस तरह की सूचनायें मिल जाती हैं तो उसके बारे में कार्यवाही भी होती है लेकिन जमीन वगैरह की जो घटनायें होती हैं वह अचानक होती है। इनके बारे में पहले से कोई सूचना मिलने पर ही कोई व्यवस्था की जाती है, ऐसे तो सम्भव नहीं है।

श्री दुर्जन—

मान्यवर, 25 तारीख की यह घटना है और जब मुझे पता लगा तो मैंने पुलिस कप्तान को फोन किया। उन्होंने कहा कि मैं इन्तजाम करता हूं। 27 तारीख तक पुलिस नहीं आयी। तो क्या मन्त्री जी इसकी जांच करवायेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

श्रीमन्, 26 तारीख को 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, अगर पुलिस पहुंची नहीं तो गिरफ्तारी कैसे हुई? यह दूसरी बात है कि पुलिस कप्तान 27 को पहुंचे हों।

श्री जयराम वर्मा—

यह देखते हुए कि बांदा जिले में बराबर हरिजनों के साथ इस तरह की घटनायें हो रही हैं। बांदा में हरिजनों की सुरक्षा के लिये मन्त्री जी कोई विशेष प्रबन्ध करेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसी सब को देखते हुए आई० जी० के साथ एक विशेष डी० आई० जी० को नियुक्त किया गया है जो मिस्टर आर्य हैं। मैंने उनको बांदा भेजा। कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिये पूरी व्यवस्था की जाती है।

श्री सजीवन लाल—

हरिजनों की सुरक्षा की क्या गारेन्टी ली गयी है? क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

वहां पी० ए० सी० भी लगी हुई है और पुलिस भी विशेष रूप से सतर्क है। इस घटना का हरिजन वर्ग से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो आपसी झगड़ा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, बांदा जिले में हरिजनों और सवर्ण के बीच आये दिन इस प्रकार की घटनायें सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। तो क्या मन्त्री जी ने जिलाधिकारी, बांदा से कोई ऐसी रिपोर्ट मंगायी है कि वहां ही इतनी घटनायें इस प्रकार की क्यों होती हैं? अगर कोई रिपोर्ट आयी है तो वह क्या है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, यह एक आपसी जमीन का झगड़ा है। इसमें ब्राह्मण, अहीर, हरिजन आदि सभी जाति के लोग हैं। जहां कहीं इस प्रकार के झगड़े होते हैं वहां किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की जाती और विशेष सतर्कता बरती जाती है। वैसे उसको आप जो चाहें कलर या रूप दे सकते हैं, लेकिन हमारी ओर से पूरी व्यवस्था उनकी सुरक्षा की रहती है।

कुरावली (मैनपुरी) में झारखण्डेश्वर शिवालय के रास्ते में ताजिया दफनाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

1—प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 26-3-1973 को चेहलुम का जुलूस कस्बा कुरावली में निकल कर रात्रि के लगभग 8 बजे शान्तिपूर्वक करबला पहुंच गया। ताजिया दफनाने के लिए एक स्थान पर गड्ढा खोदने पर विवाद उठ खड़ा हुआ और विवाद का हल न निकलने पर मुसलमान लोग करबला में ताजिये छोड़कर चले आये। मोहर्रम के अवसर पर वहां गड्ढा खोदने पर एक शंख निकला था जो पुराना नहीं मालूम पड़ता है। और नीचे खोदने पर वहां ताजिये की पन्नी आदि मिली थी जिससे पता चलता है कि वहां पहले भी ताजिये दफनाये जाते थे और वहां पर किसी व्यक्ति ने ताजिया दफनाने के कुछ समय पहले शंख रख दिया था।

2—दिनांक 27-3-1973 को परगना मजिस्ट्रेट तथा उप पुलिस अधीक्षक मौके पर गये और उक्त अधिकारियों ने दोनों पक्षों को एकत्र करके उनकी सहमति से समस्या का हल निकाल कर ताजिये दफनवा दिये। ताजिये किसी सड़क या रास्ते पर नहीं दफनाये गये बल्कि करबला में दफनाये गये हैं जहां मुहर्रम तथा चेहल्लुम के ताजिये पहले से दफन होते रहे हैं।

3—तथा कथित झारखंडेश्वर शिवालय का खसरा नं0 854 है और इसका क्षेत्रफल 9 डिसमिल है। यह नं0 चारों तरफ से खसरा नं0 855 (क्षेत्रफल 4.57 एकड़) से घिरा हुआ है। पहले यह दोनों नं0 854 व 855 याकूब अली शाह के नाम दर्ज थे और 855 अब भी उनके नाम दर्ज है। खसरा नं0 854 दिनांक 2-12-69 को चकबन्दी अधिकारी के आदेश से शिवजी महाराज झारखंडेश्वर व सरवराही, श्री नरेन्द्र देव, मंत्री झारखंडेश्वर नाथ कमेटी बतौर सीरदार दर्ज हुआ। इस नं0 पर मन्दिर का कोई भवन नहीं बना है। केवल एक छोटे चबूतरे पर शिव-लिंग रक्खा है। खसरा नं0 855 जो इस नं0 को चारों तरफ से घेरे हुए है, में बहुत से बेरी के पेड़ और मुसलमानों की कबरें हैं। तथा कथित शिवालय में जाने के लिए कागजात में किसी रास्ते का इन्दराज नहीं है। उभय पक्षों में मुकदमेंबाजी चल रही है।

4—यह आरोप निराधार है कि शासन को लाभ पहुंचाने तथा जनसंघ को बदनाम करने के लिए स्थानीय अधिकारियों ने एक पक्षीय निर्णय लिया है अथवा उस क्षेत्र की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। दिनांक 27-3-73 को चहलुम के ताजिये दफनाये जाने के बाद दिनांक 27-3-73 तथा 28-3-73 को किसी प्रकार का कोई विरोध अथवा रोष किसी पक्ष द्वारा प्रगट नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है इस बीच कुछ व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ के लिए कस्बे के कुछ विद्यार्थी तत्व को आगे करके दिनांक 29-3-73 को बाजार बन्द करवाया व जलूस निकाला। प्रदर्शनकारी भी अधिकारियों द्वारा वास्तविकता का बोध कराये जाने पर सन्तुष्ट होकर चले गये और बाद में बाजार खुल गया।

5—कस्बे में पूर्ण शान्ति है और इस समय कोई अप्रिय घटना होने की सम्भावना नहीं है। पुलिस स्थिति के प्रति पूर्णतया सजग व सतर्क है।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस विवादग्रस्त भूमि पर उसके बारे में कई कमीशनों की रिपोर्ट है कि वहां मन्दिर के उत्तर-दक्षिण, पश्चिम की ओर 20 फुट 10 इंच का रास्ता है? और क्या यह भी सरकार को पता है कि वहां पर यह एक पक्षीय निर्णय लिया गया है? क्योंकि मन्दिर कमेटी के लोगों से इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं पूछी गई है, केवल एक कांग्रेस मेम्बर से पूछ कर उनके रास्ते में ताजिये दफनवाये और इस तरह से एक पक्षीय निर्णय लिया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसमें कोई एक पक्षीय निर्णय की बात नहीं है । सब रिकर्ड की चीज है, कागजात में मन्दिर तक जाने के किसी रास्ते का इन्द्राज नहीं है । उन्हीं स्थानों पर ये ताजिए दफनाये गये हैं, जहां पर पहले से दफनाये जाते रहे हैं ।

श्री मलिखान सिंह—

श्रीमन्, मैं उस कुरावली क्षेत्र से सन् 57 से बराबर चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे पूरी जानकारी है । हमारे यहां कभी भी हिन्दू-मुसलमान के नाम पर कोई झगड़े, कोई ऐसी चीज नहीं हुई । सब मिल्लत से रहते हैं और एक दूसरे के फंक्शंस में भाग लेते हैं । बराबर इस मंदिर पर मेला लगता रहा है और यह जो रास्ता है, उस पर कोई घटना नहीं हुई, अब की किसी के द्वारा दो-तीन महीने से यह साजिश हो रही है और यह इस तरह का काम करवाया गया । इस 20 फुट 10 इंच जमीन के बारे में शांतिपूर्ण ढंग से अदालत में मुकदमा चल रहा है । अधिकारियों ने जो लिखा है कि दोनों पक्षों से बात कर ली है, वह बिलकुल गलत है, मंदिर समिति के किसी व्यक्ति से इस संबंध में वार्ता नहीं की गई, इसकी जानकारी क्या मंत्री जी को है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, कमीशन की क्या रिपोर्टें हैं, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो उपलब्ध पत्रावलियां हैं, कागजात हैं उसमें किसी मार्ग का इन्दराज नहीं है । 855 नम्बर पर जहां पर हमेशा दफनाये जाते रहे हैं, वहीं पर इस बार भी दफनाये गये हैं ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जब इस मंदिर के रास्ते के बारे में अदालत में मुकदमा चल रहा है तो आज उन्होंने कैसे यह कह दिया कि यह रास्ता ही नहीं है; क्या उनको ऐसा कहना चाहिये, इसकी जानकारी उनको है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

जब जमीन देखी गई तो उसमें ताजिये के पन्नी वगैरह निकली और फिर उसके नीचे शंख वगैरा निकला, तो क्या इससे यह शंका नहीं होती है कि किसी के द्वारा बलवा कराने का प्रयास किया जा रहा है ? और इस समय अस्थायी रूप से यह मामला शांत हो गया है, तो क्या स्थायी रूप से इसको निपटाने के लिय वह कोई कार्यवाई करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस जमीन का पूरा मामला अदालत में चल रहा है, अदालत का निर्णय ही अंतिम निर्णय हो सकता है । इस समय जो प्रशासनिक कागजात उपलब्ध थे, जो सबूत मिले, उसके अनुसार स्थानीय प्रशासन ने काम किया है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

प्रश्न यह है कि जब खोदा गया तो एक शंख निकला, उसके नीचे मुहरम्म के ताजिये की पन्नी वगैरह निकली । इससे निश्चित होता है कि किसी न किसी ने शरारत की है । उस शरारत की इनक्वायरी क्या करेंगे और पता चले तो क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिसने शरारत की है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

किसने शरारत की, कैसे हुआ इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिल पायी है । अगर ऐसे शरारती का पता चल जायगा तो कायवाही की जायगी ।

श्री बलिखान सिंह—

पुलिस की रिपोर्ट क्या है अगर उससे पहले ताजिये दफनाये गये, तहसीलदार वगैरह मौके पर रहते हैं वह मैजिस्ट्रेट की हैसियत से रहते हैं, एक एस०ओ० रहता है, पुलिस की रिपोर्ट क्या है वहां कभी ताजिया दफनाये गये या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैंने पहले निवेदन कर दिया कि ताजिया वहीं दफनाये गये हैं 855 नम्बर पर जहां पर पहले से दफनाये जाते रहे हैं ।

हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की दूसरी पारी में बिजली के अभाव से असुविधा के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं की दूसरी पारी (3 बजे से 6 बजे) में बिजली के अभाव में असुविधा होने के संबंध में श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री त्रिलोकचन्द, श्री मनोहर लाल, श्री श्रीकृष्ण बाजपेई तथा श्री सच्चिदानन्द गुप्त द्वारा दी गयी सूचना पर विद्युत मंत्री का केवल वक्तव्य ।

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

गत वर्षा ऋतु में अल्प वर्षा होने के कारण रिहन्द जलाशय अपनी सामान्य क्षमता तक नहीं भरा जिसके कारण बिजली के उत्पादन में भारी कमी हो गई । उधर अल्प वर्षा से प्रदेश में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे नलकूपों तथा पंपिंग सेटों की बिजली की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई । प्रदेश में उपलब्ध विद्युत शक्ति से नलकूपों तथा पंपिंग सेटों और उद्योगों को सुचारु रूप से चलाना कठिन हो गया था इसलिये बिजली के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा । इस समय समस्त औद्योगिक, रोशनी, पंखे तथा घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के मासिक उपभोग पर 40 प्रतिशत की कटौती की जा रही है विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं को रोस्टरिंग के आधार पर बिजली दी जा रही है।

2—जहां तक हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की दूसरी बेला में बिजली के अभाव से असुविधा उत्पन्न होने का प्रश्न है इस संबंध में यह कहना है कि वर्तमान बिजली की विषम परिस्थिति में शासन के पास बिजली की वर्तमान व्यवस्था के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है । जिन घंटों में शहरी क्षेत्र में बिजली बन्द रहती है उन्हीं घंटों में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई की जा रही है । यदि एक बजे अपरान्ह से 6.30 बजे अपरान्ह तक शहरी क्षेत्र में बिजली की सप्लाई की जाती है तो ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई के लिये बिजली बिलकुल ही उपलब्ध नहीं हो सकेगी जो सर्वथा अनुचित होगा । ऐसी परिस्थिति में वर्तमान समय में दूसरी बेला में बिजली की सप्लाई करना संभव नहीं है ।

3—साथ ही यह भी कहना आवश्यक है कि हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षायें 22 मार्च, 1973 से आरम्भ हुई हैं और अब तक कदाचित् अनिवार्य विषयों की परीक्षायें समाप्त हो चुकी हैं और केवल वैकल्पिक विषयों की परीक्षायें चल रही हैं । इसके अतिरिक्त यह भी कहना है कि प्रैक्टिकल परीक्षायें पहले ही समाप्त हो चुकी हैं और जो बाकी हों उनका आयोजन प्रातः से 1 बजे अपरान्ह तक किया जा सकता है । प्रदेश में विद्युत् शक्ति की वर्तमान विषय परिस्थिति में प्रदेश के सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है और इससे उत्पन्न होने वाली असुविधाओं को सहन करना पड़ेगा अन्यथा स्थिति और भी बिगड़ सकती है जो कि सरकार तथा सर्वसाधारण के लिये घातक सिद्ध हो सकती है ।

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

माननीय मंत्री ने कहा कि 22 मार्च से हाई स्कूल की परीक्षायें प्रारम्भ हुईं। अनिवार्य विषय की परीक्षायें समाप्त हो चुकी हैं। जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षायें खत्म हो रही है उसके फौरन बाद बी0ए0 और एम0ए0 की परीक्षायें शुरू होने जा रही हैं, क्या वह भी खत्म हो गयी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विषय में है। प्रश्न के विषय पर तर्क न कीजिये। अपने विषय पर रहिये। आप जा कर मंत्री जी को समझा दें। प्रश्न करना हो तो करें।

श्री मनोहर लाल—

हमारा दिया हुआ है कि बी0ए0 और एम0ए0 की परीक्षायें होने जा रही हैं। उसमें बाकायदा दिया हुआ है। मैं वह पूछ रहा हूं जो मैंने दिया हुआ है। उसका इसमें जिक्र नहीं है। यह किसकी गलती है ? मेरी गलती नहीं है। इसको पढ़ दें जो लिखा हुआ है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह तो विदित है कि इसके बाद बी0ए0 तथा एम0ए0 की परीक्षायें होंगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होंगी।

श्री मनोहर लाल—

विद्युत की कमी है लिहाजा क्या सरकार यह करने को तैयार है कि 4, 5 घंटे बिजली जो बन्द रहती है वह बन्द रखे लेकिन समय में परिवर्तन कर दे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार कर लिया जायगा।

श्री मनोहर लाल—

माननीय मंत्री ने कहा कि मेरे सुझाव पर वह विचार करेंगे तो क्या तत्काल विचार कर लिया जायगा जिससे लाभ पहुंच सके ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस समय सम्भव नहीं है। आगे इसके बारे में विचार किया जायगा।

श्री मनोहर लाल—

क्या यह संभव नही है कि 1 बजे के बजाय आप 10 बजे बन्द कर दें और 7 बजे के बजाय 3, 4 बजे खोल दें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैंने पहले ही कहा कि इसके बारे में विचार किया जायगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत सर्वश्री चरण सिंह, कल्पनाथ सिंह तथा बंशीधर पांडेय आदि का जो प्रश्न आया था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संबंध में, माननीय अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि इस पर विचार किया जायगा। लिहाजा यह मामला पहले ही हो चुका है।

दूसरा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का है बिजली के संकट के संबंध में उसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

प्रांत में 11 हजार कनेक्शंस पड़े हुए हैं और कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि 30 जून तक किसी को नया कनेक्शन नहीं दिया जायगा लेकिन इसके बावजूद प्रधान मंत्री 7 तारीख को रायबरेली में आ रही हैं और वहां बहुत अधिक मात्रा में बिजली दे दी गयी और दूसर कानपुर के एक बहुत बड़े उद्योगपति को बिजली दे दी गयी जब कि कोल्ड स्टोरेज को बिजली नहीं मिल रही है, आलू सड़ रहे हैं । आटे की पिसाई नहीं हो पा रही है । लिहाजा इस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव अवश्य स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

कैबिनेट के निर्णय की आपको कैसे जानकारी हो गयी ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

यह तीन माननीय मंत्री बतला दें कि यह बात निराधार है, गलत है कि 30 जून तक किसी को बिजली के कनेक्शंस नहीं दिये जायेंगे तथा कानपुर व रायबरेली में उद्योगपतियों को बिजली बड़ी मात्रा में नहीं दी गयी है ?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

इसकी मुझे इस समय कोई सूचना नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

कैबिनेट में क्या फैसला हुआ यह कह कर माननीय गोस्वामी जी टाल सकते हैं कि उनको मालूम नहीं है । लेकिन यह निर्णय पहले ही हो चुका था कि 30 जून तक किसी को बिजली नहीं दी जायगी और इसी कारण 11 हजार कनेक्शंस पड़ हुए हैं वर्षों से और उनको भी बिजली नहीं दी गयी?

श्री उपाध्यक्ष---

अध्यक्ष जी ने तो इसे अस्वीकार कर दिया है । वक्तव्य इस पर हो जायगा ।

श्री माधव प्रसार त्रिपाठी---

वक्तव्य से कुछ नहीं होगा । इस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लें अथवा ढाई घंटे की चर्चा करा दें ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसे स्वीकार किया गया है । ढाई घंटे के लिये आपको लिखना होगा । 51 में देंगे तो बहस करा दी जायगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसे अस्वीकार किया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, कल ही तो वहां रायबरेली में उद्घाटन है और ये वहां पर बिजली दे देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

तो अब क्या किया जाय....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

डिसकशन का मौका नहीं दिया है । मुझे तो इनकी चालाकी देखकर बड़ा आश्चर्य होता है । यह बात समझ में नहीं आती । कोई मंत्री कह दे कि ऐसा कैबिनेट का डिसीजन

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—]

नहीं था । स्वामी प्रसाद सिंह जी बैठे हुये हैं, वे ही कह दें । लेकिन वे नहीं कह सकते, मैं जानता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

हम बाध्य तो नहीं कर सकते ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

कोई मंत्री ऐसा नहीं जो इसका उत्तर दे सके···

श्री उपाध्यक्ष—

यदि आप चाहते हैं कि इस पर वक्तव्य दिलाया जाय तो उसे हम स्वीकार कर देंगे ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न मान्यवर, सुन लें । माननीय शिवानन्द नौटियाल ने यहां पर एक प्रश्न उठाया था...

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम आगे चले गये हैं । यह कोई विशेषाधिकार का सवाल नहीं है । यह विषय कार्यसूची 3 पर था । हम कार्यसूची 8 पर आ गये हैं ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय लिया था कि 2/3 दिन के बाद इस सदन में उस मसले पर विचार होगा...

श्री उपाध्यक्ष—

उसी समय आपको यह प्रश्न उठाना चाहिये था ।

प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत चर्चा

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैंने 301 का एक प्रार्थना-पत्र दिया है । मुझे अनुमति दी जाय । मैं बहस नहीं करूंगा । आप ही उसे पढ़ दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो अध्यक्ष जी ने अस्वीकार कर दिया । उसे बजट में···

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

बजट का इससे कोई संबंध नहीं है । मेरा कहना यह है कि प्रशासन में बड़ी ढिलाई आ गई और मंत्री पंगु हो गये हैं...

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 301 इस प्रकार से है—जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहें, जो औचित्य प्रश्न हों तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देंगे, जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेंगे जिसे वह सदन में उठाना चाहते हों तथा साथ में कारण भी बतायेंगे कि वे उसे क्यों उठाना चाहते हैं और उन्हें एसा उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिये दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, इसको मिस-रिप्रिजेंट न करें । जिससे इसका परपज ही डिफीट होता हो । मेरा कहना तो यह है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है । सारे मंत्री लोग पंगु हो गये हैं । बहुत से मंत्री जो आज बैठे हैं वे बिना किसी पोर्ट फोलियो के हैं । माननीय सालिगराम जी कह रहे हैं कि इसमें करीब-करीब 50 व्यक्ति भ्रष्ट हैं । मुख्य मंत्री जी भी उसमें राजी हो गये हैं और वे विचार करने के लिये तैयार हैं । यह बड़े चिन्तन का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष--

जैसा भी वे चाहें । अगर बहुमत उनके साथ है तो हम आप लाचार हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, कम से कम आप अपने लिये तो न कहें । अगर आप ही ऐसा कहेंगे तो हमारी कैसी स्थिति होगी ।

1973-74 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-- अनुदान संख्या--3 राज्य आबकारी तथा अनुदान संख्या 14--कारागार

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, आबकारी मंत्री अपना बजट पेश करने जा रहे हैं और उनके दल के कुल 11 सदस्य इस समय सदन में उपस्थित है, इसको जरा आप देख लीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कोरम है और 1 और 2 बजे के बीच में यह प्रश्न नहीं उठाया जाता। (व्यवधान)

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, आबकारी संबंधी कोई भी साहित्य हम लोगों को नहीं मिला है । आज मुझे ही कटौती का प्रस्ताव पेश करना होगा । कल शाम को मैंने उसके लिये प्रयास किया लेकिन उसे न कल पाया और न आज ही पाया । लाइब्रेरी में मैं गया, पुराने रेकार्ड्स सब जल गये हैं इसलिये वहां भी वह नहीं मिला और इस विषय के ऊपर शायद आधे दिन की ही चर्चा है । यह इतना महत्वपूर्ण विषय है और गांधी जी की फोटो के नीचे आपकी सदारत में सदन चलता है, तो आप बापू की आत्मा को शांति कहां तक दे रहे हैं । एक दिन पहले ही हमें साहित्य मिलना चाहिये था लेकिन वह नहीं मिला, आज भी नहीं मिला, इस वक्त तक नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष--

आधा दिन आबकारी पर और आधा दिन कारागार पर है । अगर दोनों को एक साथ रख दें तो दोनों एक दिन में पूरा होता है । प्रश्न यह है कि जो कागजपत्र दिया गया है, जितना हमारे पास आया है, जो नहीं आया वह नहीं दिया गया।

श्री रामबिलास पांडेय--

मुझे कोई साहित्य नहीं मिला है । यह व्यवस्था अध्यक्ष की ही रही है, अगर आप देखें कि 1970 में अध्यक्ष महोदय ने श्री कल्पनाथ सिंह के एक प्रश्न पर कहा था कि अगर सम्भव हो सके तो जिस मद पर बहस होने वाली हो उससे संबंधित साहित्य कम से कम एक दिन पहले बट जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

संभव हो तो सम्भव है कि साहित्य न हो इसलिये न बटा हो ।

*कारागार एवं आबकारी मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, आज आबकारी का बजट पेश होने वाला है तो आबकारी शब्द को देख कर सबेरे से ही माननीय सदस्यों में गरमागरमी बढ़ गयी । हमारे माननीय पान्डेय जी, त्रिपाठी जी और अन्य माननीय सदस्य भी आज दिन भर गरम रहे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पहले बजट पेश कर दें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3—राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 70,25,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा वाला भी पेश कर दें । बोलने वाले दोनों पर एक साथ बोल लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14—कारागर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,34,94,100 रुपये से अनधिक स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से पहले थोड़ा सा आबकारी विभाग के कुछ वाकयात रख दूं । हमारे आबकारी विभाग की मौलिक नीति जो संविधान के अनुच्छेद के द्वारा है, हम उत्तरोत्तर मद्यनिषेध लागू करने के लिये प्रयत्नशील हैं । किन्तु मद्यनिषेध योजना को सफल बनाने के प्रयास के साथ-साथ विभाग उचित और कुशल नियंत्रण द्वारा अधिकतम राजस्व के अर्जित करने का भी प्रयास करता है। नशाबन्दी योजना के संबंध में प्रदेश के 5 पर्वतीय जिलों को अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल पूर्ण नशाबन्दी के अन्तर्गत लाया गया है । राज्य के 3 तीर्थ स्थानों, हरिद्वार, वृन्दावन और ऋषिकेश में भी मद्यनिषेध लागू है । कुछ दिन पूर्व चित्रकूट में भी शराब की दुकानें बन्द की गई हैं । इसके अतिरिक्त मद्यनिषेध लागू करने के आदेश काशी, मथुरा और प्रयाग के लिये भी अगस्त सन् 70 में दिये गये थे परन्तु उच्च न्यायालय के आदेश से वे रद्द कर दिये गये । इसी नीति के अन्तर्गत हर मंगलवार को मादक द्रव्यों की दुकानें प्रदेश में बन्द रखी जाती हैं और उनके बन्द होने और खुलने के समय को नियंत्रित किया गया है । अफीम, गांजा और चरस पर पूर्ण मद्यनिषेध है और साल भर में दस-दस दुकाने जहां थीं वहां बन्द कर दी गई हैं । मद्यनिषेध की नीति को लागू करने के लिये एक योजना बनाई गई, लोगों को शिक्षित करने के लिये कि शराब पीना बुरा है इसके लिये हमारा एक विभाग है और उसके लिये प्राहिबिशन आफिसर के नियंत्रण में कई आफिसर हैं और वह बराबर प्रदेश में प्रचार करते हैं कि शराब पीना बुरा है, नहीं पीना चाहिये । मद्यनिषेध की नीति को चलाने के लिये हमारा विभाग बराबर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रयत्नशील रहता है लेकिन जहां मद्यनिषेध की पालिसी लागू कर दी गई है वहां राजस्व की जो हानि होती है उस पर भी बड़ा नियंत्रण रखा जाता है । सन् 60–67 से पहले यहां जो आबकारी का राजस्व था वह करीब 7–8 करोड़ था लेकिन 71–72 में वह 33 करोड़ हो गया जिस में कि 27.27 करोड़ अबकारी की बिक्री के और 6·47 करोड़ रुपये मोटर स्प्रिट की बिक्री के है। 72–73 के आंकड़े अभी नहीं आये हैं लेकिन पुराना जो राजस्व उससे काफी बढ़ोत्तरी उसमें हुई है । पिछले 72–73 वर्ष में शराब के आक्शन का पैसा 2 करोड़ बढ़ गया, उस पर 2 करोड़ ही ड्यूटी आना थी, इस तरह से कुल 4 करोड़ कुल बढ़ा है । 73–74 में जो आक्शन हुये हैं उसमें भी करीब 2 करोड़ 70 लाख की बढ़ोत्तरी हुई है । ऐसी बात नहीं है कि मद्यनिषेध कम हो रहा है बल्कि उसके होते हुए भी राजस्व की दृष्टि से यह बढ़ोत्तरी इसलिये हुई है कि अब बहुत कड़े प्रतिबन्ध लगाये गये हैं और काफी सरप्राइज विजिट्स होती हैं और कर्मचारियों की साजिश से नाजायज शराब अब नहीं निकल पाती ।

हमारे माननीय सदस्य सोचते होंगे कि आक्शन की बढ़ोत्तरी किस कारण से हुई, क्या ठेकेदार पानी मिलाकर नाजायज काम करते हैं ? ऐसी बात नहीं है बल्कि ठेकेदार और बीच के लोग जो सरकार का नुकसान पहले मिलकर करते थे उस में बहुत कड़ाई के कारण यह नीलाम की कीमत अब बढ़ गई है । इसके नियंत्रण के लिये हमारा जो सीमित स्टाफ है, शायद इस विभाग में स्टाफ की बढ़ोत्तरी कभी नहीं हुई और पूर्ण शक्ति के साथ जो मद्यनिषेध का प्रसार और मादक द्रव्यों के बहिष्कार का कार्यक्रम था वह नहीं अपनाया जा सका था लेकिन अब हमारे फ्लाइंग स्क्वैड जाकर देखते हैं और सरप्राइज विजिट्स वगैरह होती हैं और पूरा विजिलेंस रखा जाता है । कई हजार केस अनुज्ञापन के और पकड़-धकड़ के बढ़े हैं और ठेकेदारों द्वारा नाजायज काम करने के भी कई हजार केसेज बढ़े हैं । हमारी 11 डिसटिलरीज से जो माल निकलता था उसमें भी काफी अनियमिततायें होती थीं, वहां से काफी नाजायज तौर पर निकासी होती थी जिसकी ड्यूटी अदा नहीं होती थी, उन को सरप्राइज विजिट्स से पकड़ने से भी केसेज में वृद्धि हुई है ।

अब प्रदेश में 23 डिस्टिलरीज और 21 फार्मेसीज हैं और सैकड़ों ऐसी इंडस्ट्रीज हैं कि जो अल्कोहल के बेसिस पर चलती हैं । उन की व्यवस्था को ठीक करने के लिये आप के सामने कुछ प्राविधान की मांग की गई है और विभाग के पुनर्गठन की एक योजना बनायी गई है । विभाग का सुझाव है कि हर जिले में एक क्लास 2 आफिसर असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक का रखा जाय । अभी तक हमारे पास अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं थी और दस-दस मास में और एक-एक साल में वहां से केसेज एग्जामिन होकर आते थे, उस में बहुत देर होती थी और केसेज कामयाब नहीं होते थे । इसलिये अब प्रस्ताव है कि विभाग की अलग से एक प्रयोगशाला हो जिसके लिये इस बजट में प्राविधान किया गया है । दूसरे हमारे पास कोई अकाउन्ट्स का अलग से सेल नहीं था । कई प्रकार के हमारे अकाउन्ट्स हैं उस के लिये एक अलग से सेल की मांग की गई है । एक एडीशनल कमिश्नर और 2 डिप्टी कमिश्नर मांगे गये हैं ।

इसके अलावा शुगर मिलों से जो शीरा निकलता है उसके नियंत्रण के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं थी । अभी तक मिल में हमारा एक सब-इंसपेक्टर छोटे वेतन का रहता है जो उस पर काबू नहीं कर पाता है इसके लिये भी आपके सामने एक योजना रखी गई है और स्टाफ शीरे के नियंत्रण के लिये मांगा गया है । अब एक इंसपेक्टर हर मिल में रखा जायगा और उसके ऊपर फिर शुगर और शीरे के कंट्रोल के लिये एक सेल होगा जिसमें अलग-अलग अधिकारी होंगे । इसके लिये भी बजट में मांग की गई है । अपराधों को नियंत्रित करने के लिये भी आप से कुछ प्राविधान मांगा गया है जिसको कि राजस्व में काफी नियंत्रण होने पर पूर्ति हो सकेगी । अभी आपके द्वारा हमने दो कानूनों में संशोधन कराये

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह---]

है और जहां नाजायज तरीके से कुछ कार्य चलते थे उन को रोका गया है। मोटर स्प्रिट और डीजल आयल की जो चोरी होती थी उसको रोकने के लिये हमने अब कड़े दंड की व्यवस्था की है उससे आशा है कि आगे मोटर स्प्रिट और डीजल आयल में चोरी होती थी दंड के भय से वह अब न होगी। दूसरे जो मोटर स्प्रिट पर जो कर है वह एक पदीय किया गया है, जहां से माल निकलेगा वहां पर कर ले लिया जायगा कि ताकि बीच में जो चोरी होती थी वह न हो।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

ऐसा होगा तो क्या सेल्स टेक्स का नुकसान नहीं होगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जितना माल निकलेगा उतने माल पर ही ड्युटी अदा हो सकेगी।

सेल्स टैक्स अलग चीज है। एक्साइज की ड्युटीज अदा हो जानी चाहिये।

इसके साथ-साथ, आज कल बहुत ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने शराब के नाम ठेका लिया और विकृत स्प्रिट लेकर अपनी दूकान में उससे शराब बनाते हैं और उस ठेके के बहाने उसे बेचते हैं। ऐसी कुछ फार्मेसियां भी हैं, जिन्होंने दवा का लाइसेंस लिया और ब्लैक स्प्रिट लेकर शराब बनाई और कहीं टिंचर-जिंजर की लेबिल लगा दिया या किसी मेडीसीन के लेबिल लगा दिया और उसको दूसरी जगह बेच देते हैं। इसलिये आबकारी ऐक्ट में संशोधन किया गया, जिसको आप लोगों ने पास कर दिया। उसमें खास-खास यही व्यवस्था रखी गयी कि जो विकृत स्प्रिट को पेय के रूप में बनाने के कोशिश करें, उसको साल भर की सजा, और कम से कम 6 महीने होनी चाहिये और दुबारा दंड करेंगे तो एक साल की सजा और फिर 2 साल की सजा और अधिक से अधिक जुर्माना रखा गया है। यह इसलिये किया गया है कि वे भयभीत हों। अभी तक आबकारी विभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुए थे। इस हिसाब से उनको छूट रखी गयी थी। लेकिन अब काफी इस विभाग के द्वारा सरप्राइज्ड विजिट की जाती है और इधर-उधर फर्में भी पकड़ी गयी हैं। और जो छोटे-छोटे ठेकेदार हैं, वे भी शराब बनाते हुए पकड़े गये हैं

गत वर्षों में विदेशी मदिरा के विषय में कुछ सुझाव आये थे, जिसे भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा कहा जाता है राज्य सरकार ने उसके लिये आर्डीनेंस निकाला। लेकिन रिट, दायर करके, वह आर्डीनेंस रद्द कर दिया गया। अब वे जिस तरह की लाइसेंसीज थीं, उसी तरह की बदस्तूर हैं। इसके लिये राज्य सरकार के विचाराधीन यह मामला है कि हरियाना और पंजाब की पालिसी विदेशी मदिरा के लिये अख्तियार की जाय। वहां की पालिसी यह है कि डी0 एम0 के यहां से लाइसेंस होता है और जब लाइसेंस हो जाता है तो फीस 100 रुपये होती है उसके बाद गारन्टी होती है लाइसेंस की फीस से राजस्व की वृद्धि होती है अभी इस साल जो लाइसेंस रेन्यू किये गये हैं व तीन महीने के लिये रेन्यू किये गये हैं। यह मामला सरकार के विचाराधीन है कि कैसी पालिसी अख्तयार की जाय जिससे राजस्व की वृद्धि हो। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है कि ज्यादा दूकानें खोली जायं या न खोली जांय। लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ।

मैं माननीय सदस्यों का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। उनके जो विचार होंगे उन पर विचार किया जायगा और उन पर यथाशक्ति कार्यान्वित करने की कोशिश की जायगी

मान्यवर, आप कहें, तो जेल वाला भी रख दूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आबकारी और कारागर, दोनों के बारे में रख दें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, कैदियों के भरण-पोषण और उनके भावी जीवन को प्रोत्साहित करने के लिये यह कारागार विभाग है, ताकि कारागार से मुक्त होने के उपरान्त वे अच्छे नागरिक बन सकें और प्रदेश के छोटे-छोटे उत्पादन बढ़ाने का प्रयास इसमें किया जाता है। कोई भी ऐसा उद्योग नहीं जो जेलों में न होता हो। इन कैदियों को हर चीज का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपने भावी जीवन में, जब वे बाहर आवें, तो इनको कर सकें। इसमें जो अनुदान मांगा गया है, वह इन कैदियों के खाद्यान्न, कपड़े आदि के लिये तथा पुरानी ऐसी इमारतों के लिये है जो 100 और सवा-सौ साल पुरानी हो गयी थीं जेल विभाग का यह बहुत थोड़ा अनुदान है। मैं समझता हूं कि आप लोगों की ओर से इसमें कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा जायेगा। यह तो वैसे भी कम है। नान-प्लान है। अभी तक बहुत कम रुपया मिलते रहे हैं। इस साल कुछ मिल गया है इसमें जिससे कुछ करने की कोशिश की जा रही है।

डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)—

मानयोय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आबकारी विभाग ऐसा विभाग है....

श्री उपाध्यक्ष—

आप कटौती का तो प्रस्ताव पढ़ दें।

डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया—

मान्यवर मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 3–राज्य आबकारी के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, 'आब' शब्द की अगर व्याख्या करें तो उसका मतलब आता है, हिम्मत, स्मार्टनेस, मूड जनरल भाषा में कहा जाता है कि शराब के लेनेसे आपका मूड बन जाता है। बड़ी-बड़ी योजनायें सामने आ जाती हैं, और अच्छे और ऊंचे विचार आने लगते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज दुनियां में सेक्स, करप्शन और फैशन की लहर दौड़ गयी है और उसके साथ आबकारी विभाग का बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा गठबंधन है। और जितनी भी आपकी योजनायें बनीं हैं। चाहे वे समाजवादी नारे की हों, चाहे गरीबी हटाने की हों, बिजली की समस्या हल करने की हों सबमें आप विफल रहे और आपने गल्ले को अपने हाथ में लिया है। श्रीमन्, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ मूड बनाकर ही ये योजनायें बनाई गई हैं। ये जितनी योजनायें बनाई गई हैं। वे सब विफल हो गई हैं। मान्यवर, इससे सिद्ध हो जाता है कि नशाबन्दी करना कितना जरूरी है।

मान्यवर, जब तक आप नसबन्दी की तरह नशाबन्दी का अभियान नहीं चलायेंगे, जब तक इसके अवगुणों को समाज के सामने नहीं लायेंगे, तब तक नशाबन्दी पर आप कोई कंट्रोल नही कर सकते। आप तो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप किसी भी स्थान पर जहां नशाबन्दी पूर्ण रूप से है। जाइये, पहाड़ों पर जायें आपको शराब दुगुनी और तिगुनी मात्रा में पाने वाले लोग मिलेंगे। जब तक आप देश का समाज का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं करेंगे जब तक आप शराब के प्रति घृणा पैदा नहीं करेंगे, तब तक आप शराब बन्दी नहीं कर सकेंगे। आप चले जाइये, कवी-सम्मेलनों में, आप वहां पर पायेंगे कि जाम और शाकी पर तमाम चीजें होती हैं। इस तरह से हमारा नवजवान भ्रमित होता है। इसलिये मान्यवर, मैं इस नशाबन्दी पर दो-तीन सुझाव आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। हो सकता है छोटे मुंह बड़ी बात हो। आपके विभाग में एक इन्सपेक्टर रहता है, वह सभी काम करता है, नतीजा यह है कि वह पूर्ण रूप से देखभाल नहीं कर सकता। न ही स्टाक चेक कर सकता है और न जांच ही कर सकता है कि कोई

[डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया]

जहरीली चीज तो नहीं मिली। इसलिये आपको स्टाफ बढ़ाना होगा। एक की जगह तीन इन्सपेक्टर करने होंगे और 8-8 घंटे की ड्यूटी लगानी होगी।

दूसरी चीज यह है कि आपके आदेश हैं कि मंगलवार को दूकान बन्द रहनी चाहिये। आप झांसी या और किसी स्थान पर चले जाइये आप दूकान खुली पायेंगे। झांसी में 27-3-73 मंगलवार को अशोक होटल पर छापा मारा गया और वहां पर शराब पीते हुए लोगों को और शराब को पकड़ा गया लेकिन क्या हुआ कोई दंड देने के बजाय 'निपटारे' की योजना चलने लगी। मैं समझता हूं कि आपको देर से खबर मिलती है या इन चीज की जानकारी नहीं हो पाती। आप देखें कि इसी शराब की वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट के संबंध में आप पायेंगे कि 85 प्रतिशत ड्राइवरों ने शराब पी रखी होगी। आपको स्वयं अगर अपनी गाड़ी सड़क पर बचानी होगी नहीं तो वह एक्सीडेंट कर देंगे। मऊरानीपुर में लोग ठेके पर एक गोली का इस्तेमाल करते हैं। माल्टा शराब का लाल रंग होता है और इस ठर्रे में गोली को डालने से रंग लाल हो जाता है और महंगे दाम पर बेची जाती है। चूंकि गरीब मजदूर शराब पीता है। अतः न तो अच्छी क्वालिटी पाता है और दाम भी ज्यादा देता है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि जितनी भी दूकानें शहर या गांव में होती हैं, इनकी वजह से ही झगड़े होते हैं। मेरा सुझाव यह है कि इन दूकानों को शहर से या गांव से हटाकर कहीं दूर स्थापित की जाय आप यह मयखाने गांव की बस्ती में न रखें। जिससे गांव के भोले भाले लोग बच सकें और नौजवानों में गलत प्रवृत्ति पैदा न हो सके। जो पीने वाले हैं वे तो जा सकते हैं और जायेंगे लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिये। श्रीमन्, सिनेमा में, मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में जो होता है उससे शराब का प्रचार होता है। इस पर भी प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा। हमारे नौजवान सिनेमा देखने जाते हैं, मुशायरे में जाते हैं। वहां इस तरह की चीजें सुनते हैं जिनका उन पर अच्छा असर नहीं पड़ता। अगर कहीं कविता पाठ हो या शेरोशायरी हो तो उनमें साकी और और जाम पर न कहकर कुछ दूसरी चीजों पर कहना चाहिये। लेकिन आज हम देखते हैं शराब पीना एक फैशन हो गई है। इसको हमें रोकना चाहिये।

मैं एक चीज और कहता हूं कि जो हमारी शिक्षा है वह भी शराबबन्दी का एक माध्यम हो सकती है। प्राइमरी कक्षा से लेकर आगे तक जो पुस्तकें हैं उनमें शराब के दुष्परिणामों पर एक लेख जरूर रहना चाहिये। आज शिक्षा मुख्य चीज है। सभी शिक्षित हो रहे हैं। अगर आप नीचे से किताबों में शराब के बुरे परिणामों के बारे में बच्चों को जानकारी करा देंगे तो इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। अगर शिक्षा में यह बुनियादी चीज आप रखें तो आपको सफलता मिलेगी। श्रीमन्, आजकल सरकारीकरण की बहुत हवा चली है। नशाबन्दी के लिये जरूरी है कि या तो इसको बिलकुल खुला कर दें या फिर इसको बिलकुल बन्द कर दें। मैं गोवा गया था। वहां मैंने देखा कि शराब खुले आम बिकती है। अच्छी से अच्छी शराब भी चार-पांच रुपये में बोतल मिल जाती है। वहां लोगों को शराब पीने की बहुत कम इच्छा होती है। लेकिन जब शराब पर पाबन्दी रखते हैं तो लोग उसकी तरफ ज्यादा दौड़ते हैं। हमारे यहां अच्छी शराब साठ, सत्तर रुपये में बोतल मिलती है। लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा कीमती शराब है वह ज्यादा अच्छी होगी और उसके पीने के बाद ज्यादा अच्छी योजना बना सकेंगे। गरीब आदमी ठर्रा पीकर मस्त हो जाता है। और सोचता है कि उसका अब समाजवाद आया और मकान बन जायेगा। मैं तो कहूंगा कि चुनाव नजदीक है तो इसका सरकारीकरण कर दीजिये और अपने चमचों और प्रमुखों को लाइसेंस दे दीजिये।

श्रीमन्, पीने और पिलाने का आजकल एक आम ढर्रा हो गया है। बड़े-बड़े अफसरों को लीजिये, सब पीते हैं। यह एक फशन की बात हो गयी है कि बिना पिये मजा नहीं आयेगा। अगर शादी में पार्टी देंगे तो उसमें हलुवा पूड़ी, सब्जी होगी तो कोई नहीं जायेगा। लेकिन अगर मुर्गा और बोतल होगी तो सब जायेंगे। इसलिये जो नेता हैं, हम हैं आप हैं, सब की जिम्मेदारी है

हम लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं और सरकारी अफसर भी इसके जिम्मेदार हैं। जब कि गांवों और शहरों के आदमी यह दखते हैं कि कमिश्नर और डी0 एम0 लोग अपनी पार्टियों में और नेता लोग भी पार्टियों में यह सब काम करते हैं और वहां इतनी बोतलें चलती है और उनको छूट है तब वह भी सोचते हैं कि चलो हम भी चलने दें और विस्की और दूसरी अंग्रेजी शराबें न सही, वे ठर्रा ही चलाने लगते हैं।

श्री शिवकुमार पान्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

आपको भी मिलती है या नहीं ?

डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया—

हमारे लिये कहां रखा है वह तो सब आप लोग पी लेते हैं।

श्री पन्नालाल गुप्त (जिला फतेहपुर)—

यह तो अनुभव अनुभव की बात है।

डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया—

अनुभव तो आप बुजुर्ग लोगों का है, हम तो आप के अनुभव से कुछ सीख रहे हैं। यह सब आप लोगों से ही सीख रहे हैं। और आपका अनुभव ले रहे हैं। खैर, यह सब तो ब्यंग और बिनोद की बात है, समाज पर इसका असर क्या पड़ रहा है। होता क्या है आप सब यह करते हैं कि जब दावत करते हैं तो वेजीटेरियन इतने और नान-वैजीटरियन इतने, यह सब कराते हैं या नहीं, यह सभी लोग जानते हैं।

श्रीमन्, आयुर्वेद में शराब को जहर भी कहा गया और अमृत भी। उसके अमृत रूप को तो हमने निगलेक्ट कर दिया या दवा का जो रूप था, थोड़ी मात्रा में जो स्टिमुलेंट होता था या विटामिन टानिक के रूप में काम में आता था, आज भी 10 परसेंट, 15 परसेंट आलकोहल दवाओं में पड़ती है, लाभ करती है लकिन हमने वह न करके शराब का पानी का रूप ले लिया है और पानी की तरह पीते है और इतना पीते हैं कि जब तक नशा न हो जावे। शराब दवा भी है और दारू भी है। दवा क रूप में प्रचार हो तो लाभ करेगा, हम मगर इसको दूसरे रूप में करते हैं। उसके अवगुणों को हमने अपना लिया है इसलिये उसकी अच्छाई की तरफ नहीं जा पातें हैं। मैं नया-नया ब्यक्ति हूं इसलिये अधिक सुझाव नहीं दे पाया हूं लेकिन जो थोड़े से सुझाव दिये हैं उस पर आप अवश्य विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा हो कारागार पर भी कटौती का प्रस्ताव आ जावे और साथ ही साथ दोनों पर विचार हो। राम बिलास जी पांडय अपना कटौती का प्रस्ताव रख दें।

*श्री राम बिलास पान्डेय—

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा स प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14–कारागार के संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, गांधी जी का समय था, गुलामी के दिन थे, देश आजाद नहीं था उस समय शराब काफी तेजी पर देश में चल रही थी। उस वक्त गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम का हथियार लेकर शराब की दूकानों पर पिकेटिंग शुरू कराई थी। विदेशी कपड़े की दूकानों पर कग्रेस के स्वयं सेवक उन कपड़ो की होली जलवाते रहे थे उसक पीछे एक भावना थी और वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम विलास पांडय]

भावना थी कि किसी भी देश और किसी भी राष्ट्र की शक्ति उस राष्ट्र के नागरिकों के चरित्र पर निर्भर होती है, और गुलामी के दिनों में नागरिकों का चरित्र शराब पिला पिलाकर गिरा दिया गया था। देशवासियों ने शान्ति और अहिंसा क हथियार के साथ ही साथ शराब की दूकानों पर पिकेटिंग करना शुरू किया। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आजादी के इतने लम्बे अर्से के बाद भी शराब बन्दी इस प्रदेश में देश में नहीं हो सकी बावजूद इसके जब कि सन् 1937 में लोकप्रिय सरकार बनी यहां पर तो उसने फैसला लिया कि प्रदेश में शराब बन्दी बिलकुल कर दी जायगी और उस फसले के तहत सन् 1938 में 11 जिलों और 3 धार्मिक स्थानों में बन्दिश लगा दी गयी जिनमें हरिद्वार, ऋषिकेश व वृन्दावन भी शामिल थे। इसका नतीजा यह हुआ कि राजस्व में 1,60,00,000 रु0 की कमी हुई। राजस्व के लिये शराब की दूकान नहीं हैं। गांधीजी की आत्मा आज भी, मान्यवर, कोस रही होगी। हम लोगो का प्रयास सन् 1937 में लोक प्रिय सरकार आने के बाद हुआ और फिर सन् 1938 में प्रयास हुआ, परन्तु वह प्रयास सन् 1940 में गवर्नरी शासन आने पर खत्म हो गया। फिर शराब का दौर वैसे ही चलता रहा। फिर सन 1946 –47 में लोक प्रिय सरकार इस प्रदेश में आयी। तब फिर प्रयास हुआ उन 11 जिलों और कुछ धार्मिक स्थानों म। सार्वजनिक सभाओं में प्रयास किया गया और साहित्य और लिटरेचर बांटकर प्रयास किया गया। अवैतनिक लोगों के द्वारा प्रचार किया गया ताकि शराब की तरफ से लोगों का दिमाग मुड़े। यह प्रयास चलता रहा, लेकिन मुझे आश्चर्य है इस क्रम से जो कि आज कल चल रहा है। जो कार्यक्रम चला रहे थे गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिये वे क्यों भूल गये हैं। हकीकत आज यह है कि सुरा–सुन्दरी में सारे देश को डुबोया जा रहा है।

भारतवर्ष में मद्यपान क्यों होता है ? इसलिए होता है कि हमारे प्रदेश में श्रमिक अनपढ़ हैं। अनपढ़ श्रमिक ताड़ी और शराब पीते हैं। दिन भर का थका मांदा मजदूर परेशानियों को भूलने के लिए शराब पीता हैं और अपने दिल को बहला लेता है। उसके लिए मनोरंजन का कोई जरिया नहीं है। उसे परिवार की चिन्ता लगी हुई है। अपनी छोटी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा वह ताड़ी, शराब, गान्जा, सुल्फा, भाग में खर्च कर देता है। वह जाहिल है। सरकार का ध्यान बजाय उसे सुधारने के रेवेन्यू में प्रगति करने की ओर गया है। मंत्री जी ने बताया कि सन् 1960 में 60 करोड़ रुपये की आमदनी थी। आज प्रगति कितनी की है ? आज आमदनी है 1, 38, 88, 00, 000 रु0 और मद्य निषेध पर केवल 10 लाख रु0 खर्च कर रहे हैं। एक तरफ तो रेवन्यू पैदा कर रहे हे और दूसरी तरफ बन्दीपर केवल 10 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। इनकी भावना कहां है। हमारी समझ में बात नहीं आ रही है।

आप जो ठेके देते हैं उनमें हरियाना की पद्धति अपनाना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं पूरे प्रदेश में शराब की एक बूंद न बिके। यह बात पूरी हो सकती है लेकिन कायदे कानून से नहीं, वह सरकार के प्रयास से ही हो सकती है। आप अच्छे-अच्छे लिटरेचर निकालें और लोगों को इस बारे में ज्ञान करायें। पिछली सरकारों ने इस प्रकार के कार्य किये थे और इस तरफ बाबा बसंत दास और कबीर पंथी लोगों ने कार्य किया था। इसी प्रकार गोरखपुर में रेवती गांव में जहां पासी ज्यादा रहते हैं और जगदीश गांव में जहां मुसहार ज्यादा हैं और कर्नलगंज (गोंडा) में पिछली सरकारों ने चर्म उद्योग और टाट पट्टी का उद्योग हरिजन विभाग से इन लोगों को दिलाया था। वह लोग अपना पेट पालने के लिये भट्टियों से शराब बनाते थे। जब रोजी नहीं मिलती है तो आदमी को मजबूर होकर सभी कुछ करना पड़ता है। वह लोग स्प्रिट में पानी मिलाकर, महुये से और गन्ने के रस से शराब बना लेते थे और अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन पुरानी सरकारों ने उन लोगों को दूसरे उद्योग देकर इस कार्य को बन्द कराया था। हमारे यहां अमेरिका और यूरोप में जिस तरह के अस्पताल हैं उस तरह के नहीं हैं। अगर ऐसा हो जाता तो वहां भी इन लोगों को सुधारा जा सकता था, लेकिन जो भी हैं उनमें

उनको सुधारा जा सकता है । अभी हाल में आजमगढ़ और फैजाबाद में ठेके हुये हैं । 4 लाख में पिछले साल में हुये थे और इस साल 11 लाख में हुये हैं । तीन गुना पैसा अधिक मिला है । इससे राजस्व बढ़ेगा । यह इस कारण हुआ कि इक्साइज कमिश्नर नीलाम के समय ठेके पर मौजूद थे । ठेके के नीलाम के समय दो तीन लोग ही जाते हैं और एक को आगे बढ़ाकर बाकी लोग खामोश कर दिये जाते ह । इस तरह से नीलाम में पूरा पैसा सरकार को मिल नहीं पाता है । अब आप कहते हैं कि हरियाना की प्रणाली अपनाने जा रहे हैं तो ठीक है । वहां तो लाटरी सिस्टम ह । 100 रुपये की लाटरी खरीदी जाती है और जिसके नाम निकल आती है उसको ठेका मिल जाता है ।

आप कहते हैं कि शराब की दुकानों पर गांजा और अफीम नहीं बेंची जाती है लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी दुकान ऐसी नहीं है जिस पर यह न बेंचा जाता हो । अगर वह लोग ऐसा न करें तो जितने में ठेका लेते हैं वह पैसा न निकाल सकें इसलिये उनको यह चीज दुकान पर रखनी पड़ती है । यही नहीं एक दुकान आप शराब के ठेके में देते है लकिन दुकानदार उसको बिखरा देता है और 10, कहीं 15 और कहीं 20 बोतल रखता है । एक ठेकेदार बजाय एक ठेके पर शराब बेंचने के वह शराब को टुकड़ों में बखेर देता ह और इस तरीक से बिक्री होती है । साल के कुछ दिन शराब से लोगों को अलग रखा जाता है कि पांच पवित्र दिनों में शराब नहीं बिकेगी हिन्दुस्तान के अन्दर, प्रदेश के अन्दर । वह हैं 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और दीवाली और होली । और 57 दिन हैं मंगल को लेकर के साल भर में जिन दिनों लोग शराब से वंचित रहेंगे तो उनकी आदतें छूट जायगी, यह भावना इस सरकार की है । लेकिन होली के दिन, दीवाली के दिन इतनी शराब चलती है जितनी रोज के दिन भी नहीं चलती है । तो इस तरह से भावनाओं में कुछ दिन छोड़ करके शराब-बन्दी करके शराब से लोगों को हटाया नहीं जा सकता ह । केंद्रीय सरकार क नियोजन विभाग ने एक स्टडी टीम कायम की थी श्री टेकचन्द की अध्यक्षता में । उनकी रिपोर्ट 12 वर्षीय योजना की थी और उसमें यह था कि समूचे देश के अन्दर शराब-बन्दी कर दी जाय और अवैध जो शराब बनती है उसके लिये भी रिपोर्ट दिया, लेकिन वह टेकचन्द जी की रिपोर्ट आज भी उत्तर प्रदेश सरकार में पड़ी हुई है उसपर अब तक कोई विचार नहीं हो सका । यह है मद्य-निषेध की तरफ सरकार का ध्यान।

आज अपनी नीतियों के विपरीत क्लार्क होटल और दीप होटल को विदेशी शराब का ठेका दिया है, आजमगढ़ के जिला कांग्रेस कमेटी के आफिस में जो इंदिरा कांग्रेस का है जहां जिला कांग्रेस कमेटी का बोर्ड लगा है उससे मुश्किल से 12 इंच की दूरी पर शराब की दुकान लगी है यह भी देखा गया है । तो आज हमें कोई ताज्जुब नहीं हो रहा है हमने देखा है कि सुरा और सुन्दरी पर यह सरकार बना ली गयी थी । कपूर होटल शहादत में है इस सदन के और आपके सामने लखनऊ का । माननीय कपूर साहब जो इंदिरा जी क बड़ नजदीक है, सुरा और सुन्दरी बांट कर इधर से उधर ले गये और यह सरकार बनी । आज हालत यह हो गई है कि इस प्रदेश के बड़े से बड़ा अफसर शराब पीता है । आज अदालतों में न्याय मिलता है सुरा और सुन्दरी पर यह हो रहा है । इंदिरा कांग्रेस बिक रही है सुरा और सुन्दरी पर । रेलवे बोर्ड का मेम्बर एक ऐसा आदमी बनाया जाय जिसकी कोई पोलिटिकल जिन्दगी नहीं रही है । एक ही क्वालिफिकेशन रही-वह कम्युनिष्ट रहा औय शराब पीता रहा । उसे जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बना दिया गया । जिसने एक दिन भी कुर्बानी नहीं की, लेकिन उसके साथ सुरा और सुन्दरी है । सुरा और सुन्दरी में न केवल हमारा प्रदेश ही, न केवल देश क कर्णधार ही बल्कि समूचा देश डूबा जा रहा है । ऐसी भयावह स्थिति स हमें बचना है । आबकारी क बजट पर आधे दिन की चर्चा है । आपको जल्दी पड़ी है कि यह जल्दी स जल्दी पास हो जाय । आप गांधी जी की फोटो में नीचे बैठे हैं, उनके विचारों क मानने वाल हैं । मंत्री जी पीते नहीं

[राम बिलास पान्डेय]

हैं लेकिन मधुशालाओं में घूमते-घूमते आदी हो गये हैं। मैं केवल गन्ध पा कर आज बहका जा रहा हूं। जैसा कि मंत्री जी ने कहा। शराब पर कभी बोलने की इच्छा नहीं करता, आज बोलने चला हूं तो मादकता आ गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

नशे में न बोलिये।

श्री राम बिलास पान्डेय—

नशे में नहीं, क्षोभ और कष्ट है। केवल इन्कम बढ़ाने के लिये हम कोई ऐसा पेशा करेंगे जिससे इस देश और प्रदेश के लोगों का चरित्र गिरेगा। हम वह काम नहीं करेंगे। हम देश के लोगों को फाका कराकर भी इस देश के प्रचीन इतिहास को जिन्दा रखना चाहते हैं। हम पश्चिमी देशों की नकल नहीं करना चाहते।

आजमगढ़ में विकास सम्मेलन हुआ। उसमें सेन्टर और स्टेट के एक दर्जन मंत्री पहुंचे। चर्चा हुई कि उन पर ढले पड़े, जूते पड़े। वहां के इंटर कालेज के प्रिन्सिपल के पास आज भी 50 जोड़े जूते मौजूदा हैं। उसी के साथ-साथ वहां से 23 मील की दूरी पर मऊ में बिजली की चकाचौंध में निम्मी, शर्मिला टैगोर और नर्गिस आयी थीं जिनको गवर्नर बनाने को सोचा जा रहा है। जानी वाकर को इकट्ठा करते हैं। और उसका उद्घाटन इस प्रदेश के राज्यपाल करते हैं और ये मंत्री लोग तफरीह करते हैं विकास सम्मेलन के नाम पर। क्या यह सरकार गांधी जी की आत्मा को शांति देने के लिये उनके बताये हुए रास्ते पर चल सकेगी ?

श्री मुस्तफा कामिल किदवई (जिला बाराबंकी)—

उसमें आप भी थे या नहीं ?

श्री राम बिलास पान्डेय—

मैं उसमें नही था। मैं मऊ स्टेशन पर दो बजे रात तक मौजूद था।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर यह होते तो क्यों कहते।

श्री राम बिलास पान्डेय—

सरकार की एक स्पष्ट नीति होनी चाहिये। यह बात मेरी समझ में नहीं आ सकती कि हम शराबबन्दी भी करेंगे और शराब रखेंगे भी। अगर शराब रखनी ही है तो राष्ट्रीयकरण का नारा आप बहुत लगाते हैं, शराब का भी राष्ट्रीयकरण करके सारे सूबे में शराब बिखेर दीजिये गोश्रा की तरह जैसा कि हमारे साथी ने कहा और मद मस्त कर दीजिये यहां के गरीब लोगों को ताकि वे अपने पेट की भूख को आवाज को उठा न सकें। अगर आप चाहते हैं कि शराब बन्द हो तो उसे बिल्कुल बन्द कर दीजिये और उसके सुधार के लिये तरीके निकालिये। नसबन्दी के लिये आप लेखपालों को पुरस्कार देते हैं। जो कम्पटीशन में हार जाता है उसको दंड देते हैं। क्योंकि यह हो नहीं सकता कि जो इस काम में अच्छा काम करे उसको एक ओर आप पुरस्कृत करें और दूसरी ओर जो अच्छा काम न करे उसे दंड भी न दें। इसके साथ जो सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं, जो आपके शराब की भट्टियों को बन्द करवाते हैं। जिन्होंने बरेली में, गोरखपुर में, बलिया में, कई जगह कई शराब की भट्टियों को बन्द करवाया है, उनको आप एक ताम्र-पत्र भी नहीं बांटते हैं। आपको चाहिये कि ऐसे सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को आप पुरस्कृत करें जो शराब बन्दी के लिये समाज में अच्छा कार्य करते हैं। वे सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हैं। उन्हीं के द्वारा समाज में नैतिकता आ सकती है, आपको इन शराब की दूकानों से

नैतिकता आने वाली नहीं है। पहले सिनेमा घरों में मद्य निषेध संबंधी सिलाइड्स दिखाये जाते थे। प्रचार के लिये काफी साहित्य वितरित किया जाता था। अब इस ओर कम ध्यान दिया जाता है। आपने इसके लिये जो बजट में 10 लाख रुपया रखा है उससे आप गांधी जी के सपनों को साकार नहीं कर सकते। आपको इस मद से लगभग 9 करोड़ की आय होती है। आप को इस सारे रुपये को शराब बन्दी के कार्यों पर खर्च करना चाहिये।

मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। अभी मंत्री जी कानपुर से कुछ दिन हुए आ रहे थे। रास्ते म मंगल के दिन एक शराब की दूकान को खुले हुए मंत्री जी ने पकड़ा। उस ठेकेदार को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाद को वह छोड़ दिया गया। मैं पूछता हूं कि क्या इस तरह से भ्रष्टाचार रुकेगा और शराब बन्दी आप कर पायेंगे? मैं चाहता हूं कि आप यदि इसे रोकना चाहते हैं तो ग्राम सभाओं में कुछ लोगों की आप समिति गठित करें जो अपने प्रभाव से अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को समझा कर शराब न पीने के लिये बाध्य करे। उनके अन्दर ऐसी भावना पदा कर सकें। जिससे शराब पीने वाले शराब न पी सकें। आपने इसके लिये केवल दो भजन मंडलियां, 6 कर्मचारी, तथा 23 अन्य व्यवस्थापक आदि प्रदेश भर के लिये नियुक्त कर रहे हैं। इनसे क्या आप प्रचार कार्य करा सकते हैं। और क्या यह लोग कोई ठोस कार्य कर सकते हैं? समाज को धोखे में डालकर शराबबन्दी नहीं हो सकती। इसके लिये ठोस कार्य करने की जरूरत है। इसके लिये जितनी आय आपको इससे होती है वह सारा रुपया आप इस पर खर्च कर दीजिये। जो 50 अवैतनिक कार्यकर्त्ता रखे हैं, उनको वैतनिक कर दीजिये। उनकी तादात भी बढ़ाइये। सिनेमाघरों में सिलाइड्स द्वारा प्रचार करवाइये। जैसे कि अपने राष्ट्रीय झंडे के सम्मान में हमको खड़ा होना चाहिये। उसकी आदत डलवाई जाती है। सिनेमा-गृहों में। उन लोगों की आदत डलवाई जाती है। जिसमें अधिकांश उछृंखल हैं और मनचले हैं। इससे, क्या अब आपने यह नहीं देखा कि अब ऐसे लोग राष्ट्रीय गान के समय बैठे रहते हैं या भाग जाते हैं। धीरे-धीरे उनमें राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करने की आदत आई। आप अपने सिनेमा गृहों से मद्य-निषेध के लिये अवश्य प्रभावकारी प्रचार करायें। मैं चाहता हूं सिनेमा गृहों मे नित्य, प्रत्येक शो में राष्ट्रीय-गान की तरह मदिरा निषेध पर भी कोई चीज दिखाई जाय। साथ ही साथ आपके विभाग में जहां मद्य-निषेध के प्रचार के लिये 2 भजन मंडलियां हैं,उनकी तादाद आप बढ़ायें और उनकी संख्या जिले वाइज हिसाब से या कम से कम डिवीजन वाइज अवश्य करें। जो विभाग में 23 व्यवस्थापक हैं, वे भी बहुत कम हैं, ये भी हर जिले में होने चाहिये। आप इसके लिये व्यवस्था करें। अवैतनिक कार्यकर्त्ताओं का भी प्रबन्ध करें, वे भी मिलेंगे।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

आपके लिये भी आपके यहां किसी शराब की दुकान का प्रबन्ध कर दिया जाए?

श्री राम बिलास पान्डेय—

क्या यह सही नहीं है कि इंदिरा कांग्रेस के आफिस में एक जगह शराब की दूकान है।

श्री त्रिवेणी राय—

उससे तुम्हें रंजिश हो तो यहां दफ्तर में भी खुलवा दी जाय।

श्री राम बिलास पान्डेय—

मुझे नहीं चाहिये। मैं गांधी जी और मोरार जी का चेला हूं, उस मोरार जी का जिसका अपने प्रदेश में शासन नहीं है, लेकिन उसके प्रदेश में शराब बन्दी है।

एक सदस्य—

और गुप्ता जी के बारे में क्या कहना है?

श्री राम विलास पांडेय--

गुप्ता जी शराब नहीं पीते हैं। वह महान चरित्रवान हैं। पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं तो अपने लिये नहीं। इस देश के लिये, इस देश के लोगों के लिये लिया है। चारबाग से मोतीमहल तक उसका कीर्तिमान खड़ा है। जो साग-रोटी खाता है, मुर्गा नहीं खाता है। उसकी चर्चा आप यहां क्या कर रहे हैं। वह मोरार जी देसाई जो इन्द्रा गांधी के प्रधान मंत्री काल में उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। जो सदा उनके साथ अनुशासन में रहा है। कभी अनुशासन के बाहर नहीं गया और सब कुछ सहता रहा। आप तो चन्द्रजीत यादव, कुमारमंगलम और यशपाल कपूर के चेले हैं, आप हमसे क्या कहते हैं। (व्यवधान) देखिये हमें छेड़िये मत। यह सुरा सुन्दरी के युग में छेड़िये मत। आज आप कम्युनिस्टों के जाल में घिरे हुए हैं। आपके अन्दर परस्पर लड़ाई हो रही है, जो भी हमारे ख्याल के लोग आपके यहां मौजूद हैं, वे नहीं चाहते कि कम्युनिस्ट घुसपैठ वहां पर करें। श्रीमन्, इन्होंने हमें छेड़ना शुरू कर दिया, और मैं उधर चला गया, मैं अपने विषय में हट गया था .....

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

त्रिवेणी राय जी ने आपको छेड़ दिया और आप छिड़ गये ?

श्री उपाध्यक्ष--

छेड़ने-छाड़ने में आप लोग बहुत समय न नष्ट कीजिये। समय कम है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री राम बिलास पान्डेय--

मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी। मैं चाहता था कि आपको यह जलानी ही न पड़ती और मैं पहले ही समाप्त कर देता। लेकिन ठीक ही किया आपने। अन्त में मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस देश के नागरिकों का चरित्र-निर्माण आप करें, वगैर इस बात की परवाह किये कि आपको अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के लिये एक्साइज ड्यूटी का पैसा मिल सकेगा या नहीं। वे तो वैसे ही ठप हो गई हैं।

नैतिकता का परिचय दीजिये। अनैतिक कमाई से देश के निर्माण का प्रयास न कीजिये। आप यह प्रयास न करें कि शराब के रोजगार से हम पैसा इकट्ठा करेंगे और प्रदेश का निर्माण करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप एक फैसला दें कि इस प्रदेश में शराब बिलकुल नहीं बिकेगी और कोई दूकान सरकार नहीं देगी। हरिद्वार और ऋषिकेश में आपने बन्द किया है लेकिन वहींसे बारह मील की दूरी पर एक शराब की दूकान हैं, रुड़की है। इस शराबबन्दी से क्या फायदा है? हरिद्वार से करीब 12 मील दूर पर शराब की दूकान रख दिया। इसमें सुधार होने वाला नहीं है।

मैं कटौती का प्रस्ताव इस आशय से रख रहा हूं, माननीय मंत्री जी जो अनुदान लाये हैं, इसे वापस लेकर एक नया संकल्प लेंगे कि इस प्रदेश में पूरी शराबबन्दी की जा रही है। तब इस प्रदेश का कल्याण होगा और पूज्य बापू जी की आत्मा को सुख मिलेगा। आज उनकी आत्मा को बहुत कष्ट है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

*श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरा गला पड़ गया है बोलते बोलते। इसलिये मैं क्षमा चाहता हूं जो हमारे जेल और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आबकारी मंत्री ने प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं और इनकी कटौतियों का विरोध करता हूं और आशा यह करता था कि यह कटौतियां वापस ले लेंगे क्योंकि आबकारी और जेल के दोनों मंत्री राम और लक्ष्मण हैं। यह बहुत अच्छे ढंग से आबकारी और जेल विभाग को, माननीय स्वामी प्रसाद और माननीय राम पूजन पटेल बहुत ही अच्छे ढंग से सुचारु रूप से चला रहे हैं। इसके अन्दर जितना भी भ्रष्टाचार कम हो सकता है उसमें रात दिन अथक प्रयास कर रहे हैं कि कम करें।

मैं स्वयं इसके पक्ष में हूं कि टोटल प्राहिबिशन होना चाहिये, हर प्रकार की नशाबन्दी होनी चाहिये। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इसका समर्थन करता हूं कि होना चाहिये लेकिन होना तो बहुत कुछ चाहिये। परिस्थितियां कुछ ऐसी हुआ करती हैं जिनकी वजह से अभी तक यह सफल नहीं हो पाये हैं। प्रयोग चल रहा है, प्रयास चल रहे हैं। मैं भी इसको महसूस करता हूं कि जब तक देश में टोटल प्राहिबिशन की स्कीम नहीं लागू होगी कहीं न कहीं लुक-छिप कर यह कार्य होता रहेगा। जो सबसे बड़ी आर्थिक विषमता देश में है, खास कर उत्तर प्रदेश में है, उसकी वजह से शराब को प्रोत्साहन मिलता जाता है, राय बरेली जिले को मैं जानता हूं, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जितने उपेक्षित और पिछड़े जिले हैं, गरीब जिले हैं, जहां पर ताल्लुकेदारों और जमींदारों ने मिटाने और लूटनेमें कसर नहीं रखी उन जिलों की आर्थिक स्थिति यह है कि अगर आज शराब बनाना बन्द हो जाय, शराब एक काटेज इंडस्ट्री के रूप में चल रही है, और उत्तर प्रदेश के अधिकांश छोटे जिलों में काटेज इंडस्ट्री के रूप में इल्लिसिट डिस्टिलेशन चलता है, अगर आप बन्द करते हैं तो चोरियां और सेंध काटना शुरू हो जाता है। यह तो आर्थिक पहलू है। आप कहते हैं कि स्कूल खोलें, सड़कें बनवायें, अस्पताल खोलें, और तरह-तरह के अनुदान दो। आखिर यह रुपया कहां से आयेगा? जब तक शराब की दुकानों का आवंटन बन्द नहीं होता है तब तक उसके जरिये से रेवेन्यू बन्द नहीं हो पायेगी पान्डेय जी ने नैतिकता की दुहाई दी समझ में नहीं आता कि शराब बन्दी से नैतिकता कैसे खत्म हो जायेगी।

"मन्दिर मस्जिद बैर कराते प्रेम कराते मधुशाला" यह बच्चन जी ने कहा है। आपने शराबियों को लड़ते हुए नहीं देखा होगा। मैं शराब की वकालत नहीं कर रहा हूं। बुद्धिजीवियों को किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

गांधी जी भी तो बुद्धिजीवी थे?

श्री मदन मोहन मिश्र—

इस पचड़े में गांधी जी को मत घसीटिये। मंगल के दिन शराब की दुकाने बन्द रहती हैं। यह प्रयास सफलता पूर्वक चल रहा है। यद्यपि कुछ चोर बाजारिये गलत ढंग से पैसा कमाने वाले हैं वे भले ही मंगल को बैकडोर से खोल कर बेचते हों लेकिन सरकार की ओर से जो प्रयास चल रहे हैं उसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। 5 पर्वतीय जिलों में–चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल तथा पौड़ी गढ़वाल में नशाबन्दी पूर्ण रूप से लागू कर दी गई है। इसके लिये भी सरकार बधाई की पात्र है। ये जो तीर्थ स्थान हैं हरिद्वार, वृन्दावन और ऋषिकेश भी मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने काशी, मथुरा तथा प्रयाग में इन तीर्थ स्थानों में मद्य निषेध लागू करने के आदेश 1 अगस्त, 70 को दिये थे लेकिन न्यायालय में रिट दायर होने की वजह से वहां पर मद्य निषेध लागू नहीं हो सका। मुझे आशा है कि न्यायालय से जैसे ही फैसला हुआ इन तीर्थ स्थानों में भी पूर्ण नशाबन्दी लागू कर दी जायगी। मैं आशा करता हूं कि इसके साथ-साथ जो पुण्य स्थल और हैं वहां भी इसका प्रयोग किया जायगा। और पूरी नशाबन्दी लागू की जायगी। लेकिन आप देखें कि 70–71 में जहां शराब से 29 करोड़ का मुनाफा होता था वहां 71–72 में बढ़कर 33 करोड़ का हो गया। इसी तरह से क्रमशः

[श्री मदन मोहन मिश्र]

यह बढ़ता जा रहा है। गरीब लोग शराब ज्यादा पसन्द नहीं करते, शराब चन्द पढ़े लिखे लोग तिकड़मबाज ही प्रसन्द करते हैं। यह शराब पीना न बन्द करते हैं और न बन्द होने देते हैं। मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसका प्रभाव बच्चों पर गलत पड़ता है। बड़े बूढ़े जो पीते हैं उसकी नकल छोटे बच्चे करते हैं और जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उस पर इसका गलत असर पड़ता है।

मैं इसके साथ कारागरों की ओर भी सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम लोग जब जेल जाते थे उस समय हमने कुछ वायदे जेल के वार्डरों तथा जेल अधिकारियों से किये थे और आज 25 वर्ष बीतने के बाद भी हम उन वायदों को पूरा नहीं कर पाये। मैं इससे सहमत हूं कि जेल की इमारतें खराब हैं . . .

श्री पारस नाथ सिंह (जिला बहराइच)—

शराब बन्दी के खिलाफ जब आप आन्दोलन करते थे और उसमें जब जेल जाते थे तब के शायद ये वायदे हैं ?

श्री मदन मोहन मिश्र—

शराब बन्दी करते थे, सत्याग्रह करते थे और जरूरत पड़ती थी तो बदमाशों का मुकाबला पिस्तौल तथा बन्दूकों से करते थे। और कई तरह से काटते थे। मैं आज सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि जहां जेलों में सुधार हुआ है वहां के भोजन में सुधार हुआ है, क्वालिटी में सुधार तथा रख रखाव में सुधार हुआ है वहां पर इमारतों में भी सुधार करने की विशेष आवश्यकता है। वार्डरों की तनख्वाह बहुत कम है। हलांकि वेतन आयोग ने इस ओर सुधार किया है, उनका वेतन बढ़ाया है लेकिन फिर भी उनके कार्य और जिम्मेदारी को देखते हुये तनख्वाहों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। रायबरेली की एक जेल के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उसके अन्दर आज भी रहट लगा हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि वहां पर एक पंपिंगसेट लगाने की व्यवस्था करें कि बिजली द्वारा चलाया जाय ताकि कैदियों को सुविधा हो सके और मानवीय परिश्रम से बच सकें।

इसके अतिरिक्त जेलों में खेती भी होती है . . .

श्री राम बिलास पांडेय—

मान्यवर, मैं अभी खाना खाने के लिये गया तो मैंने देखा कि उसके बाहर एक लाश पड़ी हुई है। मैंने पूछा कि किसकी है, तो मालूम हुआ कि वह उस होटल में काम करने वाले की है वह एक मजदूर है। मैंने होटल के मैनेजर से उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मुझे मालूम नहीं है। मान्यवर, लेबर ऐक्ट में यह दिया गया है कि उसका नाम पता आदि लिखा जाना चाहियें। वह वहां पर लावारिश पड़ा हुआ है। तो उसे वहां से हटाने का आप प्रबन्ध तो कर दें . . .

एक सदस्य—

किस होटल में ?

श्री राम बिलास पांडेय—

यहां पर विधान भवन के अन्दर ऐग्रो का जो रेस्टोरेन्ट है, उसी में है।

श्री मदन मोहन मिश्र––

उसका प्रबन्ध हो जायेगा। मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि आज जेलों में ध्यान करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस ओर पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। जेलों में उद्योग भी चलाये जा रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिये मिसाल के लिये अम्बर चर्खे की योजना, साइफन, फिनाइल, छपाई, चिकें बनाना, निवाड़, कम्बल, तेल उत्पादन, गुड़, पीतल के सामान जैसे बाल्टी, तसले, कटोरियां, गिलास, घंटी आदि बनाने का काम जेलों में होता है। इसके अलावा कपड़े रेशम, दरियां आदि का काम भी वहां पर होता है। इन उद्योग-धन्धों के लिये जेलों में और अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए। इससे कैदियों को तो पैसा मिलेगा ही साथ ही साथ आर्टिफिशियल जो चीज आज कल हो रही है वह भी दूर होगी और इन चीजों के दाम भी कम हो जायेंगे। अन्त में मैं एक बार पुनः अपने आबकारी तथा जेल मंत्री श्री स्वामी प्रसाद सिंह तथा श्री रामपूजन पटेल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने काफी सुधार इस विभाग में किया है। फिर भी काफी और सुधार की अभी आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुये माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया है। आज जो आबकारी के ऊपर बजट आया है उसके ऊपर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मैं इस बजट की मांग का विरोध करता हूं। आज समाज में पिछड़े हुये जो लोग हैं जिन्हें हरिजन और बैकवर्ड कहा जाता है उनका शोषण इसी शराब के द्वारा हो रहा है। यदि आप किसी ताड़ीखाने में जायं तो देखेंगे कि यह तबका ही उसका मुख्य शिकार है।

दूसरा सवाल यह है कि हमेशा से हम यह देखते रहे हैं कि जितना ही यह सरकार कोशिश करती है कि शराब के ठेके बन्द किये जायं या लोगों द्वारा शराब न पी जाय, उतने ही ठेके बढ़ते चले जा रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे कि कितनी कीमत बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो सरकार शराबबन्दी की बात कहती है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि इसका पैसा स्कूल कालेज में लगाया जाता है। क्या स्कूल जैसी पवित्र संस्था में पैसे लगाने के लिये यही धंधा रह गया है? इस तरह से तो और भी कई धंधे हैं, अड्डे खुले हुए हैं जहां से पैसे कमाये जा सकते हैं, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है कि क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये इस तरह के धंधे अपनायेंगे? कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं और वे लोग इस तरह की बात कहें कि शिक्षा के प्रसार के लिये, विद्या मंदिरों में लगाने के लिये धन की आवश्यकता है तो मुझे इस बात से घृणा होती है कि कैसे इस तरह के शब्द वे लोग अपने मुंह से कहते हैं। आप कहीं भी चले जाइये, गांवों में ही जाकर देखें कि लोग टिंचर जिंजर पी कर सैकड़ों की तादाद में मर रहे हैं। लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। देहली व और कई जगह लोग इस तरह की शराब पीकर कहीं 100 कहीं 50 मरे हैं। उस पर सरकार क्यों प्रतिबन्ध नहीं लगाती? आज गरीबों को शराब नहीं मिलती तो वे स्पिरिट पीते हैं, न मालूम यह सरकार समाज को कहां से कहां ले जायेगी। आज यह कह कर इसे टाला नहीं जा सकता कि इससे आमदनी होती है। सरकार इस तरह का प्रचार क्यों नहीं करती और क्यों नहीं इसको टोटली बन्द कर देती? ऐसा करने में उसको क्या मुसीबत है? हमारी आमदनी भले ही घट जायेगी लेकिन इससे समाज की नैतिकता बढ़ सकेगी। आज गरीब आदमी शराब पीता है और उसके बच्चे देखते हैं, उसकी स्त्री रोती है लेकिन यह सरकार शराबबन्दी करा कर उन गरीबों के बच्चों को पढ़ाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम प्रसाद देशमुख]

लिखाने का श्रेय नहीं लेना चाहती। सरकार केवल यह चाहती है कि हमारी आमदनी बढ़ जाय, उसके सामने समाज का कोई महत्व नहीं है इसीलिये वह समाज में शराब बन्दी के विरुद्ध प्रचार नहीं करती है। सरकार अगर इसको बन्द करना चाहे तो वह कानून बना कर रोक सकती है। इसके लिये आप कड़ी से कड़ी सजा, समाज में इसका इतना प्रचार हो कि इसके पीने से बीसों आदमी रोजाना मरते हैं। अगर देखा जाय तो उनके खानदान के खानदान बरबाद होते जा रहे हैं, वे कर्जदार हो जाते हैं और उनके लेनदेन भी बन्द हो जाते हैं। शराब पीने के लिये उनकी आदत चोरी डकैती की पड़ जाती है। अगर शराब बन्दी हो जाय तो लोगों का समाज में भी आदर हो लेकिन सरकार को चाहिये कि इसके लिए साधन जुटावे जिससे जगह-जगह इसका प्रचार हो। जो बड़े लोग हैं वे शराब पीते हैं लेकिन अच्छी शराब पीते होंगे लेकिन गरीब जनता जो शराब पीती है उसको पीकर मर जाती है। कर्जा देने वाले जो उनको शराब पीने के लिये देते हैं वह इसीलिये कि उनसे इसका नाजायज फायदा उठावें। खासकर उत्तर प्रदेश जो हिन्दुस्तान का सब से बड़ा प्रदेश है, वहां के लोग चाहते हैं कि शराबबन्दी हो लेकिन इसमें भी हमरा प्रदेश पिछड़ा हुआ है, इसलिये सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

हमारे माननीय मंत्री जी को भी पता है कि आज जेलों के अन्दर कितना भ्रष्टाचार है, अगर कोई मिलाई के लिये जाता है तो बगैर पैसे के नहीं मिल पाता। यदि किसी कैदी के छूटने का आर्डर हो जाता है तो भी वह तब तक नहीं छूटता जब तक कि उसका कोई आदमी वहां नहीं पहुंचता। माननीय मंत्री जी को खुद मालूम है कि अलीगढ़ में उनको लाइन लगानी पड़ी और उन्होंने 10 रुपया दिया। इसी से आप समझ जायं कि वे औरों से क्या लेते होंगे। लेकिन आप उस आदमी के खिलाफ आज तक कुछ नहीं कर सके। मैंने कितनी बार उस सुपरिन्टेन्डेन्ट के बारे में कहा, वह बहुत ही करप्ट है, उसने न मालूम कितने कैदियों को वैसे ही बिना आर्डर के छोड़ दिया, उस के कागजात भी आप के पास तक पहुंचे लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ और वह मौजूद है। मैं नहीं जानता कि मंत्री जी इस तरफ क्यों ध्यान नहीं देते? बार बार उसको पकड़वाया गया लेकिन कोई तवज्जह उधर नहीं की जाती। इस तरह से मैं नहीं समझ पाता कि किस तरह से जेल व्यवस्था में सुधार होगा। आपने जब उस के कागजात भी मंगा लिये तो आप उसे क्यों नहीं निकालते? जमानत भी उसकी कोर्ट में हुई और उसे छोड़ दिया गया।

दूसरे जेलों में गल्ले की खरीद में और उसके दुरुपयोग की जो गड़बड़ चलती है उधर भी मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये। बाकायदा टेंडर नहीं लिये जाते। अधिकारियों के एजेन्ट और ठेकेदार लगे हुये हैं उनके द्वारा ही सारी वहां की सप्लाई ली जाती है। उनके द्वारा कैसी चीजें दी जाती हैं वह आप जानते हैं किस तरह से गोदामों में खराब माल और कम माल पहुंचता है। कितना खराब खाना बेचारे कैदियों को दिया जाता है इसकी रोज शिकायतें आती हैं। इसको आप चेक करायें। जितना सामान जेल में ठेकेदार देते हैं उस का आधा तो जेलर और अधिकारियों के घर पहुंच जाता है, आप भी जानते हैं और आपने यह सब देखा है, जेलरों के यहां 2—2 भैंसें पलती हैं और उनको तमाम सामान और रोटियां दी जाती हैं, ठेकेदार मिले होते हैं और तमाम सामान वहां पहुंचता है।

आप तो जाते रहते हैं आप जानते हैं कि कैदियों के साथ भी वहां कितना दुर्व्यवहार होता है। यहां तक हुआ है कि जेलर की इजाजत से एक कैदी को बाहर के आदमियों ने जेल के अन्दर आकर पीटा। ऐसी चीजों को देखकर बड़ा दुख होता है। आदमी समझता है कि जेल में आकर तो मेरी सुरक्षा होगी लेकिन वहां भी बाहर के लोग, जेल के भी नहीं, उसे पीटें तो इस से ज्यादा और दुख की बात क्या हो सकती है। कोई सुरक्षा जेल के भी नहीं रह गई है और जेलर जो चाहें करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरफ मंत्री जी ध्यान दें। साल भर हो गया लेकिन कोई ध्यान इस तरह की घटना होने पर भी नहीं दिया गया। इसलिये कि मैं विरोधी दल का

सदस्य हूं आप यदि ध्यान नहीं देंगे तो उचित न होगा मैं चाहता हूं कि आप तुरन्त इन्क्वायरी करा लें। हालत यह है कि मिनिस्टर साहब ने भी लाइन में खड़े होकर रिश्वत दी तो वह भी ले ली गई लेकिन उसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं होता तो आप किस तरह से जेल व्यवस्था में सुधार की आशा कर सकते हैं ? जेल के अन्दर आज कैदियों के लिये शराब और हर तरह की चीज मिल जाती है, वह पैसा देकर जो चाहें करते हैं वहां शराबबाजी और जुएबाजी जोर से चलती है, सारे काम वहां होते हैं और हर चीज पैसा खर्च करने पर मोहैय्या हो सकती है यह तमाम चीजें ऐसी हैं कि जिनका सम्बन्ध हमारे समाज से है। सभ्य आदमी से अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसके सुधार की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये। वहां उनके साथ दुर्व्यवहार तो होता ही है, बाहर आकर भी जो काम सीख कर वह जेल से बाहर आता है उसे उस काम को करने के लिये कोई सहायता नहीं दी जाती। उसे सीखे गये काम की दस्तकारी के लिये आप को हर प्रकार की मदद देनी चाहिये और इस पर ध्यान देना चाहिये कि बाहर आकर वह क्या वृत्ति जारी करता है। बिना सहायता के वह कोई रोजगार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता, नतीजा यह होता है कि वह फिर वही बुरे काम करता है और समाज को कलुषित करता है।

इन शब्दों के साथ मैं फिर निवेदन करूंगा कि जिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने इतने अत्याचार किये हैं उसके खिलाफ आप जरूर कार्यवाही करें। जब आप जरा सख्ती से काम लेंगे तभी जेल में सुधार हो सकता है। आज ठेकों पर बाहर की शराब आकर बिकती है और एजेंट सप्लाई करने वाले रेगुलरली लगे हैं और किसी न किसी रूप में समय बे समय वह बिका करती है। इसे रोकने के लिये सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

हमारे अलीगढ़ में एक जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट रहा था कंचन दास, वह बहुत ही ईमानदार आदमी है लेकिन उस को प्रोमोशन नहीं दिया जा रहा है। इस तरफ आप जरूर ध्यान दें। इन चन्द बातों को आप के सामने रखने के बाद मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री पन्नालाल गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सरकार ने आबकारी और कारागार विभाग का बजट पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिए और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आज गांधी जी का नाम ले लेकर उधर से मद्य निषेध की बहुत दुहाई दी जा रही है लेकिन मैं नहीं समझ पाता हूं कि जब वे लोग इधर होते हैं तो दुहाई नहीं देते हैं और जब उधर चले जाते हैं तो दुहाई देने लगते हैं। कुर्सियों की अदला बदली से जबान में भी बदल हो जाती है। आप कह जरूर सकते हैं कि यू० पी० में शराबबन्दी हो लेकिन सारे भारतवर्ष में चालू है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ दिन पूर्व मसूर और केरल आदि गया था, वहां पर मैंने देखा कि महात्मा गांधी के नाम पर जो स्मारक आदि बने हैं, उनके सामने शराब की दुकानें खुली हैं। कन्याकुमारी के मन्दिर में मीनाक्षी के मन्दिर के अन्दर शराब की दुकानें खुली हैं। यहां पर विरोधी दल की ओर से बम्बई की बड़ी दुहाई दी जाती है और मोरार जी का नाम लेकर उनकी बड़ी दुहाई दी जाती है कि उन्होंने यह किया, वह किया। मोरार जी ने बम्बई में मद्यनिषेध किया लेकिन क्या वे दावे के साथ कह सकते हैं कि वहां बिलायती शराब जितनी शराबबन्दी के पहले बिकती थी, अब उससे कम बिकती है, उससे ज्यादा ही बिकती है जहाजों में बिकती है, नावों में बिकती है और पहले तो दुकानों में ही बिकती थी अब तो घरों में जू में, पार्कों में और मन्दिरों में लोग शराब पीते हैं

(इस समय 2 बज कर 56 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रामसिंह, पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पन्ना लाल गुप्त]

इसी प्रकार से हमारे सूबे के 11 जिलों में शराबबन्दी हुयी थी, उन 11 जिलों में से हमारा जिला, (फतेहपुर) कानपुर, उन्नाव भी थे लेकिन इन जिलों के जितने बड़े-बड़े लोग थे वे वहां से मोटरों में आकर लखनऊ में शराब पीते थे और मदहोश होकर रात्रि के 11-11 बजे लौटते थे और उन्हें कोई नहीं पकड़ता था। आज गांधी जी के पुत्र नावों में बैठकर शराब पीते हैं। फतेहपुर में भी जवार के खेत में, ईख के खेतों में शराब की बिक्री होती थी। मद्य निषेध से पहले सरकार को आमदनी होती थी लेकिन अब हम जैसे लोगों को होने लगी है आप कहते हैं कि इसके लिए कानून बनाया जाय लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपके यहां पर आई0 पी0सी0 और सी0 पी0सी0 बने हैं लेकिन आपने कितनी डकैती, चोरी, और कितनी राहजनी बन्द की हैं? क्या कोई बल्वा आपने बन्द किया है? यह तो आदमियों के दिमाग की और शिक्षा की उपज है। आप, लोगों को ऐसा बनाइये, ऐसी शिक्षा दीजिए कि वे इसको छोड़ें। चमारों ने, पासियों ने, भंगियों ने और खटिकों ने शराब पीना बन्द कर दिया है अपनी घंटी पहना-पहना कर बन्द कर दिया। आज भंगी आपका जूठाखाना नहीं खाते हैं, यह कानून से बन्द नहीं हुआ है आज भंगी कोई भी जूठा खाना नहीं खाता है वह अलग से परोसा हुआ लेता है आपके जूठे खाने को वह कूकुर को खिला देता है। कभी उसी झूठे भोजन पर जीता था तो इसी प्रकार से आप शराबबन्दी का प्रचार कराइये जैसा माननीय पांडेय जी ने कहा कि सिनेमाओं में स्लाइड निकलवाइये, हर जगह पोस्टर्स लगवाएं तब जाकर जन साधारण पर कुछ असर हो सकता है। वैसे तो शराब देवता भी पीते थे और मानव भी पीते थे और हमारे यहां बड़े-बड़े नेता पीते हैं, कौन उन्हें मना करता है, मान्यवर, आज कोई ऐसी मेडिसन नहीं है, जिसमें कि अल्कोहल कुछ न कुछ मात्रा में न मिली हो। कौन सा आदमी है, जो दवा नहीं खाता और जो अंग्रेजी दवा खाता है वह अल्कोहल लेता है। चाहे अल्ला का नाम एक बार लो या सौ बार। मान्यवर, नशा बन्दी के संबंध में मेरा निवेदन है कि पहले इतनी शिक्षा और इतना प्रचार हो जाय, कि लोग उससे घृणा करने लगें और उसको अपने-आप छोड़ दें। आज कहा जाता है कि शराब गरीब आदमी पीता है और तबाह भी होता है। मैं दावा करता हूं कि अगर इसका बेरी फिकेशन कराया जाय तो 80 ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर शराब पीते मिलेंगे और केवल 10 प्रतिशत नीचे की कौमें के आपको मिलेंगे। जो अग्रवाल हैं, जिनके लहसुन और प्याज तक नहीं खाया जाता था, उनकी औरतें कांटा और बोतल का इस्तेमाल करती हैं।

मान्यवर, आज अंग्रेजी शराब का परमिट किसको दिया जाता है। उन्हीं को जो कलेक्टर के खैर-ख्वाह हैं या बड़े-बड़े साहूकार हैं या नेताओं के हमदर्द हैं। किसी गरीब आदमी को वे दुकनें नहीं मिलेंगी। लखनऊ में मान्यवर, 3 ड्रम शराब पकड़ी गयी। डी0 एम0 ने लिखकर भेजा कि उसको सस्पेंड कर दिया जाय लेकिन मि0 जोशी ने 50 रुपये में उसको कम्पाउन्ड कर दिया। मान्यवर, आज सारा कंट्रोल और प्रशासन इन आई0 ए0 एस0 और आई0 सी0 एस0 अफसरों के हाथ में है। आपको इस प्रशासन–व्यवस्था में तब्दीली लानी पड़ेगी। और जिलाधिकारी के हाथ से सारे अधिकार लेने पड़ेंगे। जैसे सेंट्रल एक्साइज में है कि उनका कलेक्टर है, उनका कमिश्नर है, उनका इन्सपेक्टर, सारे पावर उनके पास हैं। उसी तरह से अगर आप यहां इक्साइज की व्यवस्था को ठीक रखना चाहते हैं, उचित कंट्रोल रखना चाहते हैं, और कानून के हिसाब से काम हो, तो सारे पावर्स उनसे खींचना पड़ेगा। मान्यवर, वह शराब एक्साइज इंसपेक्टर ने नहीं, शराब मंत्री जी ने पकड़ी। मैं भी था। इंसपेक्टर साहब गायब थे इसलिये कि कहीं यदि कलेक्टर का हमदर्द हुआ और वह कुछ कर बैठा, तो उसे करेक्टर रोल इन्टरी मिल जायेगी। तो जिसको शराब मंत्री जी ने खुद पकड़ा, वह मामला 50 रु0 देकर कम्पाउण्ड कर दिया गया। तो आज अपराधियों को कैसे सजा मिले। कहते हैं कि इलाहाबाद में एक जज साहब ने शराब छोड़ दी। मान्यवर, वहां वकीलों के यहां शराब-खाना खुला है। जहां शराब रखते हैं और छड़ी हिलाते हुये वहां जाते हैं और पीते हुये लौट आते हैं। मैंने

पूछा कि आपका यह 5–6 हजार रुपये का खर्च कैसे चलता है तो कहा कि दो रिवीजन मंजूर कर दिये। तो कानून सुरा औ सुन्दरी पर बिकता है। सुरा सुन्दरी की वजह से बड़े-बड़े महाभारत हो गये, देवों और दानवों में लड़ाई हो गई और सुरा सुन्दरी की वजह से इन्द्र और ब्रह्मा महाराज बंध चले गये। इसलिये आपको सुरा और सुन्दरी पर कंट्रोल करना चाहिये। आज एक्साइज डिपार्टमेन्ट के सुधार के लिये हमारे मंत्री जी तत्पर हैं। ऐसे ही जेलों के बारे में अगर कहीं से जेल के विषय में एक चिट्ठी भी मिलती है तो 200 मील दौड़े चले जाते हैं और वहां पर पकड़ लेते हैं। अगर सभी डिपार्टमेंट में ऐसे मंत्री होने लगें तो हमारी सरकार में चार चांद लग जायं। जैसा पांडे कहा करते हैं यह नहीं हुआ, तो वह नहीं हुआ, तो यह जरूर है कि हमारे यहां खामियां हैं, लेकिन यह तो कुर्सी का भी असर हुआ करता है। जब उसमें हो जाता है तो कहने लगता है सब गलत है, लेकिन जब पद पा जाता है तो सभी ठीक है...

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मैं आपकी भाषा में जरा सुधार कर दूं—एक कविता है—

मंत्री पद की यह पावन शान
नहीं देखता दोष कहीं शासन में।

इधर की भी बात कह दूं—

भूतपूर्व मंत्री की यह पहचान,
सरकार बड़ी पापी है।

श्री पन्ना लाल गुप्त—

पांडेय जी बनारस के हैं, इसलिये कुछ कहना ठीक नहीं है नहीं तो बाबा विश्वनाथ की लिंग कहीं सिर पर न आ जाय। जेलों में काफी सुधार हुआ। एक जमाना था जब जेलों में दाल में दाने ढूंढ़ने पड़ते थे, तसला मिलता था। अब तक लोहे के तसले की जगह पीतल, लोटा, कपड़े, अखबार पढ़ने को, बीड़ी, दिया सलाई, सभी कुछ है। लेकिन एक कमी है कि इतने सुधार के बाद मस्तिष्क में सुधार नहीं हुआ। जब तक सुधार न होगा, तब तक जेलों का उपयोग नहीं हो सकता। बदमाश को भला आदमी नहीं बना सकते। मैंने बरेली का शिशु सदन देखा। वहां पर मस्तिष्क में सुधार हुआ है। वहां का अपराध किया हुआ लड़का एम० ए० में पढ़ने के लिये जेल से कालेज जाता है बिना किसी निगरानी के और पढ़कर जेल में वापिस आ जाता है एक भी कैदी वहां से नहीं भागा। सितारगंज की खुली जेल से भी आज तक एक भी कैदी नहीं भागा, जब कि इनकी नैनी की जेल से कैदी भाग जाते हैं। रिवाल्वर पहुंचा दिये जाते हैं, बेड़ी काटने की आरी पहुंचा दी जाती है। मुजफ्फरनगर की जेल से कैदी भाग जाते हैं। मगर खुली जेलों से आज तक कोई भी कैदी नहीं भागा। क्या है? उनको खुली हवा मिलती है। उनको ऐतबार है कि हम दोहरी सजा काटकर छूट जायेंगे। इस तरह से आपको खुली जेल करनी चाहिए। 396 वाले 36–36 साल, 33–33 साल सजा काटने के बाद जेल में बन्द हैं अब सरकार ने यह कर दिया है कि 396 का कैदी भय रेमीशन के 20 साल की सजा काट लेगा तो छोड़ दिया जायगा। मैं एक जेल में गया। एक डकैत ने बतलाया कि 33 साल हो गये। जब मैंने कहा कि अब सरकार ने यह कर दिया है कि उसने ठंडी सांस ली और कहा कि एक महीने में हम भी छूट जायेंगे। इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि वहां जेल में कम से कम एक मास्टर रखें, धार्मिक उपदेशक रखें, आर्यसमाज वालों से कहो कि वहां जाकर हर इतवार को स्पीच दें, उन्हें समझायें और उनके मस्तिष्क में नयी चीजें डालें। जैसे शिशु सदन है ऐसे ही और सदन खोलें जिससे कि सुधार हो सके।

आबकारी के लिये भी सुझाव है। सबसे पहले आपको आबकारी मैनुअल को चेन्ज करना चाहिये। यह अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। लेकिन आज भी आप देखें कि आपके एक्साइज के मुकद्दमें छूट जाते हैं तो वह सिर्फ एक्साइज

[श्री पन्ना लाल गुप्त]

मैनुअल की खामी की वजह से छूट जाते हैं । आज जो आई0ए0 एस0 वगैरह हैं उनके हाथ में सारी पावर्स हैं । मैं किसी का नाम नहीं लूंगा । एक जगह तीन लाख का टार्गेट रखा गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक्साइज आफिसर को पांच लाख का आफर हो गया। मंत्री महोदय फिराक में थे । वह वहां पहुंच गये। टार्गेट तीन लाख का था वहां वह नीलाम 26 लाख का हुआ । आज आई0 ए0 एस0 आफिसर्स हमारी गर्दन को इस तरह से दबोचे हुये हैं कि हम सांस नहीं ले पाते । इसलिये मेरा सुझाव है कि एक्साइज विभाग अलग हो । जिस तरह से सेंटर का एक्साइज डिपार्टमेंट है उसी तरह से रखें । इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आजाद रखें तभी यहां का मंत्री, यहां की गवर्नमेंट काम कर सकेगी । आज कलेक्टर के हाथ में उनकी गर्दन है। वह उनका करेक्टर रोल लिखता है। इसलिये जैसा कलेक्टर कहता है वैसा ही वे करते हैं । अधिष्ठाता महोदय, आपने लाल बत्ती जला दी है । मैं इन शब्दों के साथ इन दोनों मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री जंग बहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने प्रारम्भ में यह स्वीकार किया कि जेल की जिस प्रकार से उन्नति होनी चाहिये और बंदियों का जिस प्रकार से सुधार होना चाहिये कि वह जेल से निकलने के बाद अपना जीवकोपार्जन कर सकें वह नहीं कर पाये हैं । जब हमारे देश को पाकिस्तान से और चीन से युद्ध करना पड़ा था तो हमारे प्रदेश के बंदियों ने घायल सैनिकों के लिये खून दिया और उन्होंने पैसा बचाकर राष्ट्रीय कोष में धन दिया, इस तरह से जो भी प्रयास उनसे हो सका, जेल में ज्यादा काम करके, देश के हित को सामने रखकर उन्होंने कार्य किया । कैदियों का जो कर्तव्य था उससे वह पीछे नहीं रहे । हजारों की संख्या में युद्ध में जाने के लिये उन्होंने सरकार से आग्रह किया । लेकिन आज हम देखें तो इस प्रदेश के अन्दर जितने भी विभाग हैं जेल विभाग उन सबमें सबसे ज्यादा उपेक्षित है । जैसा अंग्रेजों के जमाने में था आज उससे कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है । पांच छः जेल तो ऐसे हैं जहां बिजली की आंशिक व्यवस्था है । लेकिन अधिकांश ऐसी जेलें हैं जहां बैरकों में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है । पीने के लिये पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । न वहां पंपिन्ग सेट्स हैं और न वहां ट्यूबवेल की व्यवस्था हो पायी है । इस तरह से वहां बिजली और पानी का अभाव बना हुआ है । मैं केवल सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं और न पुस्तकों में पढ़ी हुई बात ही बता रहा हूं । मुझे भी जेल जाने के अवसर प्राप्त हुये हैं । मैंने देखा है कि कैदियों को वहां भोजन तो कम नहीं मिलता लेकिन जिस प्रकार का भोजन उनको मिलना चाहिये वह अच्छा भोजन उनको नहीं मिल पाता। सरकार की ओर से जो व्यवस्था होती है उसमें ठेकेदार जो आटा सप्लाई करते हैं वे मिट्टी मिलाते हैं, कूड़ा मिलाते हैं और चोकर मिलाते हैं। मैंने इन चीजों को अपनी आंखों से देखा है कि इस तरह का सामान सप्लाई किया जाता है । दूध को देखें तो उसमें तीन परसेंट तो शुद्ध दूध रहता है बाकी पानी रहता है । जेलों में जो रोटियां दी जाती हैं वह कच्ची होती हैं । उसका कारण है कि जेल मैनुअल में जितने ईंधन की व्यवस्था होनी चाहिये उतना पर्याप्त ईन्धन वहां नहीं मिलता है । इसलिये ईन्धन की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिये । और अगर वह बढ़ा दी जायगी तो उनको सिकी हुई रोटियां मिलेंगी । रोटियां वजन में तो कम नहीं दी जाती हैं क्योंकि मंत्री लोग दौरा करते हैं तो उनका प्रमुख काम रहता है कि वह रोटियां तौला लेते हैं । लेकिन जेल के अन्दर बड़ा भ्रष्टाचार है । रोटी जो मिलती है वह पर्याप्त होती है लेकिन जो जेल के अधिकारी हैं उनके पास जो गायें और भैंसे हैं या जो वार्डर्स हैं उनके पास जो बकरियां हैं अगर उनकी शक्ल सूरत देखें तो शायद मंत्री जी अपने जानवरों को वह खाना नहीं दे सकते लेकिन जरा जाकर उनके गाय भैंसों को देखें तो अन्तर उनकी समझ में आ जायगा ।

आज जेल में अन्न की कमी नहीं है । लेकिन उनको अच्छे प्रकार का भोजन नहीं मिल पाता है । वहां चोरी बहुत होती है । 25 वर्षों की आजादी के बाद भी आज यह स्थिति

है। मुझे मालूम हुआ कि हमारी सरकार ने कुछ एक्सपेरीमेंट 5 बन्दियों को इच्छा भर भोजन देने को कुछ जेलों में किया था। लेकिन हमारे जेल के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने स्थानों पर बहुत घाटा दिखाया। कई हजार क्विन्टल राशन एक वर्ष के अन्दर घाटा दिखलाया गया। वाराणसी सेन्ट्रल जेल के अधिकारियों ने काफी बचाया था। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बेरकों में परेड लगा कर खाना बटवाता हूं। पहले तीन चार दिनों तक तो लोगों ने ज्यादा रोटियां खायीं लेकिन चार दिनों के बाद उनके खाने की मात्रा कम होने लगी और उनका भोजन औसत भोजन हो गया यानी जो 4 या 5 रोटियां थीं वही रह गयीं। हां कुछ ऐसे कैदी थे जो 10 या 12 रोटियां तक खाते थे लेकिन वैसे यह प्रयोग वहां सफल हुआ लेकिन दूसरी जगह के अधिकारियों ने घाटा दिखाया। आजादी मिलने के बाद भी हमारे जेलों के अन्दर खाने-पीने की व्यवस्था जितने अच्छे प्रकार की होनी चाहिये वह नहीं है।

आप सब्जी को देख लें। जेल मैनुअल के हिसाब से जो सब्जी दी जानी चाहिये उनको जेल अधिकारी भी महसूस करते हैं कि उतनी पैदा नहीं होती है। मैं तो समझता हूं कि उससे बहुत कम होती है। उससे कम सब्जी भी बन्दियों को दी जाये तो भी संतुष्ट रहेंगे लेकिन अच्छी सब्जी उनको दी जानी चाहिये। अगर उनको कम मात्रा में दी जाती है तो वहां के अधिकारी-गण भी सझते हैं कि अगर मंत्री जी कहीं पहुंच गये तो उनका गला नप जायगा कि वह क्या करते हैं।

जेलों के लिये आवश्यक सब्जी पैदा की जाये। जेलों में पानी की व्यवस्था नहीं है, पम्पिंग सेट नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है और जमीन होते हुये भी आवश्यकतानुसार सब्जी उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। मूली, शल्जम का जब वजन बढ़ जाता है तो चारा काटने की मशीन में सब्जियों को काटकर बंदियों को दी जाती है। मैं समझता हूं उनको अच्छे प्रकार की सब्जी दी जानी चाहिये। अगर आवश्यक हो तो मात्रा कम कर दी जानी चाहिये।

अभी माननीय पन्ना लाल जी ने बताया कि 1 डब्बू दाल मिलती थी जिसमें दो दाल मिलती हैं अब 5 मिलती होगी। मैं कह रहा हूं कि दाल की मात्रा कम कर दी जाय लेकिन अच्छे प्रकार की दाल दी जानी चाहिये।

आज बंदियों को क्या दवा दारू मिलती है ? मैंने खुद वाराणसी सेन्ट्रल जेल में देखा है कि किसी प्रकार का मरीज क्यों न आ जाये भले ही उसे दूध दिया जायेगा लेकिन खिचड़ी जरूर देंगे। 20–30 बोतलें रहती थीं। जैसे जानवरों को दवा पिलायी जाती है वैसे ही डाक्टर या कम्पाउन्डर पूछते हैं कौन सी बोतल से पीना चाहते हो, मीठी पीना चाहते हो या खट्टी पीना चाहते हो और कह देते हैं कि 25 नम्बर की बोतल से पिला दो। क्या दवा है और कौन सा रोग है ? इस प्रकार की दवायें जेलों में दी जा रही हैं।

जहां तकभ्रष्टाचार का सवाल है मंत्री जी को बताता हूं—मंत्री जी तो स्वयं ही एक अच्छे वकील रहे हैं अभियुक्त के वकालतनामें पर हस्ताक्षर कराने वाले को 20 आना, 2 1/2 रु0 या 5 रु0 तक जेल अधिकारियों को देने पड़ते हैं।

मिलाई के लिये प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। प्रार्थना-पत्र लोग उन्हीं से लिखाते हैं जो जेलों के बाहर बैठे रहते हैं जिनका हिस्सा जेल अधिकारियों के साथ रहता है। मैंने कई जेलों में देखा है कि अभियुक्तों से मिलने आने वालों के लिये बैठने तक की व्यवस्था नहीं है और अधिकांश जगह पर तो पानी की भी व्यवस्था नहीं है। पहले या दूसरे फाटक के अन्दर ही मिलने दिया जाता है। लेकिन जिनके पास पैसा होता है वे जेल अधिकारियों को पैसा देकर किसी भी समय बन्दियों से मिल सकते हैं।

एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरे ही मकान में सिविल सर्जन रहते थे। उनके यहां कैदी काम करने जाया करते थे। जौनपुर के आजकल

[श्री जंग बहादुर यादव]

के सिविल सर्जन तो बहुत ही ईमानदार हैं । उनकी बात नहीं कहता इनके पहले जितने भी सिविल सर्जन हुये हैं सब अपने बंगले पर खेती करवाते थे और जेल से बीज, बैल और कैदी लेते थे । अगर सिविल सर्जन के पास गाय और भैंस थी तो जेल से घास तक भी पहुंचती थी । जो अच्छी किस्म की सब्जी होती थी वह अधिकारियों में बंट जाती थी । यह सारा लाभ ये अधिकारी बराबर लिया करते हैं ।

आज हमारे प्रदेश में बहुत सी ऐसी जेलें हैं जिनके पास 50–50, 60–60 एकड़ जमीन है और नैनीताल, सितारगंज, मिर्जापुर में जो फार्म हैं वहां पर तो 4–4, 5–5 या 6–6 हजार एकड़ जमीन है । और भी कई जेलें हैं जिनके पास फार्म हैं जैसे:—

बरेली	..	..	..	50 एकड़ ।
नैनी	..	..	..	89.89 एकड़ ।
मेरठ	..	..	..	60 एकड़ ।
राय बरेली	..	..	..	60 एकड़ ।

इन जेलों के अन्दर कुछ हिस्सों में तो सब्जी पैदा होती है । पानी के पर्याप्त साधन नहीं है, लेकिन जो बाकी जमीन होती है, हर जिले में देखा गया है कि जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट बाकी जमीन को या तो लगान पर उठा देता है या वह अधिया के रूप में अनाज लेकर उसका उपभोग कर लेता है । उप मंत्री जी इलाहाबाद जिले के हैं । मैं उनको नैनी जेल की बात बतला रहा हूं । वहां पर 15, 16 एकड़ में पपीता की खेती की गई थी और 50 रुपये में नीलाम हुई थी । कौल साहब आये थे तो बतलाया था कि इसकी सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी चल रही है । पता नहीं कि उस पर क्या ऐक्शन हुआ है ।

1956 में जेल इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी, उसने कुछ सुझाव दिये थे । हमारा लक्ष्य यह है कि जो व्यक्ति भी वहां जाता है उसके विचारों में परिवर्तन आना चाहिये । उसको इस प्रकार की शिक्षा दी जाय कि जब वह वहां से छूटकर आये तो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके लेकिन मैं देखता हूं कि जेल के अन्दर जो अन्डर ट्रायल्स हैं और जिनके मामले विचाराधीन हैं उनको डकैतों या दूसरे लोगों के साथ रक्खा जाता है, उनसे वह खराब आदतें सीख लेते हैं और खराब हो जाते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को दूसरे कैदियों से अलग रक्खा जाय जिससे वह अच्छी आदतें सीख सकें । और बुरी आदतें लेकर बाहर न आयें । मंत्री जी ने अम्बर चर्खे का जिक्र किया है लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि अम्बर चरखा जेल के बाहर भी सफल नहीं हुआ है । इसलिये उन लोगों को मशीनों और बिजली का उपयोग करना सिखाया जाय यह जो शिशु सदन हैं उनके बच्चों को मोटर का वर्कशाप में काम करना सिखाया जाय जिससे कि वह बाहर निकलकर अपनी जीविका कमा सकें ।

*श्री मोती लाल देहलवी—

जिस तरह से दूसरे विभागों में भ्रष्टाचार है वैसे ही आबकारी विभाग में भी है । रोजाना इस तरह की खबरें अखबारों में निकलती है इतना गांजा पकड़ा गया, इतनी अफीम पकड़ी गई लेकिन यह सुनने में नहीं आता है कि उस पर कार्यवाही क्या की गई और क्या दंड मिला, जिससे कि जरायम करने वाले लोग हतोत्साहित हों, उनको प्रोत्साहन न मिले । श्री पन्ना लाल जी ने बतलाया कि मंत्री जी ने 3 ड्रम शराब पकड़ी और 50 रुपये में कलेक्टर ने केस समाप्त कर दिया । जाहिर है कि मान्यवर, जिसकी शराब पकड़ी गई वह उस धन्धे को बहुत समय से कर रहा होगा और किसी तरह एक बार पकड़ा गया । उसको सिर्फ 50 रुपये लेकर छोड़ दिया गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, न मालूम कितना रुपया कमाया और सजा मिली सिर्फ 50 रूपया । इससे तो अवैध शराब बेचने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा । हम तो यह अपेक्षा करेंगे कि माननीय मंत्री जी में अगर यह भावना है कि अवैध शराब न बिके तो लखनऊ के कलेक्टर साहब पर कोई न कोई कार्यवाही होनी चाहिये । तभी जरायम करने वालों का उत्साह कम होगा और उपेक्षा करने वाले अफसरों को एक नसीहत मिलेगी । यह मामूली बात नहीं है कि 3 ड्रम शराब पकड़ी जाय और केवल 50 रुपया लेकर छोड़ दिया जाय यह बहुत बड़ी बात है । कल मुझे मालूम हुआ कि मंत्री जी फर्रुखाबाद की तरफ से आ रहे होंगे उन्होंने हमारे क्षेत्र बिल्हौर में मंगल के दिन शराब खरीदी या खरिदवाई । वहां के आबकारी इंसपेक्टर मंत्री जी को नहीं मिले। मंत्री जी ने वहां के दारोगा को बुलवाया और सुनते हैं दरोगा ने मंत्री जी को बताया कि यहां से लगाकर कानपुर तक मंगलवार को शराब बिकती है और लोगों को मिल जाती है । तो जब एक पुलिस इंसपेक्टर को जानकारी है कि मंगल के दिन शराब बेचा जाना जुर्म है, मंगल-बन्दी होती है शराब की और शराब बिकती है तो उस पुलिस इंसपेक्टर के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये थी । मैं नहीं समझता कि मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की अपने आबकारी इंसपेक्टर के खिलाफ ।

इसी तरह से मान्यवर, अब शराब में मिलावट हो रही है । न मालूम उसकी वजह से कितनी मौतें हो चुकी हैं । जितनी मौतें इस तरह से हुई हैं वह अकाल मौतें हैं जो कि मिलावट की वजह से हुई हैं । हमको जानकारी है कि कोई एक मटर की तरह की काली-काली चीज आती है, एक मशीन बनी हुई है उससे नकली शराब बनायी जाती है और वह ठेकों पर पंहुच जाती है और सिर्फ इसलिये कि नशा ज्यादा आये वह जिस तरह से इंजेक्शन लगता है उसी तरह से सील बन्द बोतलों में वह जहरीली चीज, नकली शराब में मौत करने वाली चीज मिला दी जाती है । इसी तरह से हजारों मौतें प्रदेश में हुई हैं । मंत्री जी को अच्छी तरह से जानकारी है । यह सही है कि मंत्री जी उस जहरीली चीज को पकड़ने में असमर्थ हैं, उस मशीन को बन्द करवाने में असमर्थ हैं लेकिन प्रश्न यह है कि जब कभी आबकारी विभाग ने इस तरह की गिरफ्तारी करके लोगों को थाने में पंहुचाया है, उस तरह के मुकदमें का गोल-माल हो जाता है । हमने आज तक नहीं सुना कि इस तरह से जहरीली चीज पकड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई हो और कोई सजा मिली हो । मेरी जानकारी में कई केसेज हैं । हमने इक्साइज कमिश्नर को भी बतलाया कि आप किसी तरह से खुफिया आदमी लगाइये, मैं दो-चार आदमियों को जानता हूं जो इस तरह की जहरीली चीजें बनाते हैं और ठेके पर बेचते हैं । एक इन्सान की जिन्दगी का मामला है । जाहिर है कि जब शराब गवर्नमेंट बिकवा रही है और दिल्ली में महान नेता लोग शराब पीते हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं है वह दिल्ली के महान नेता जिनके इशारे पर तमाम हिन्दुस्तान की सरकारें चल रही हैं मुझे तो एक बार रेल में यहां तक जानकारी हुई कि वह इतनी शराब पीते हैं महान नेता कि ड्राइवर उनको उठा कर गाड़ी में बिठाता है तो फिर दूसरे गरीब आदमी भी शराब पियेंगे । लेकिन प्रश्न यह है कि जिस शराब को गरीब आदमी पीता है और सरकार ने शराब खोल रखी है तो उसकी जिन्दगी की हिफाजत भी होनी चाहिये । इसलिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनको इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये ताकि उनकी जिन्दगी से खिलवाड़ न हो सके ।

इस विभाग में एक बहुत बड़ी खराबी यह है कि मंत्रीजी समदर्शी नहीं रह गये हैं । कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील में एक सिपाही और एक इंस्पेक्टर के बच्चों में झगड़ा हुआ । दोनों पर मुकदमा कायम है । लेकिन कई साल के बावजूद इंस्पेक्टर वहीं कायम है और गरीब सिपाही ठोकरें खाता घूम रहा है । हमने यह जानते हुये कि इस सिपाही की कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि वह जाति का मुसलमान है, मंत्री जी की जानकारी में यह बात लाये कि इस गरीब सिपाही के साथ इन्साफ हो । अगर मुअत्तल या बरखास्त करना है तो दोनों को करो, बच्चों के झगड़े का मामला है कोई उसका अपना झगड़ा नहीं है । बच्चों के झगड़े में गरीब सिपाही दर-दर की

[श्री मोतीलाल देहलवी—]

ठोकर खाये और इंस्पेक्टर वहीं बना रहे यह बहुत अन्याय की बात है बहुत अफसोस की बात है । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे गम्भीरता से लेंगे ।

मान्यवर, हमारी तो उम्र ही हो गयी है जेल काटते काटते बाहर अगर कोई रिश्वत ले तो उस पर मुकदमा चलेगा और उसको जेल हो जायेगी । अगर रंगे हाथों रिश्वत लेते हुये पकड़ा गया तो उसको सीधे जेल भेज दिया जायगा ।

मैं मान्यवर, दावे के साथ कहता हूं कि उतनी रिश्वत बाहर अदालतों में या अन्य जगह नहीं है जितनी रिश्वत जेल के अन्दर चलती है । (व्यवधान) जेल के अन्दर जो सबसे बड़ा बदमाश और गुन्डा होता है उसको हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है । या फिर उस आदमी को सुविधा मिलती है जो पैसा खर्च करता है । जेलर को, डिप्टी जेलर को तथा अन्य कर्मचारियों को जो पैसा खिलाता है उसी को हर तरह की सुविधा प्राप्त होती है । अस्पताल में भी उसको जगह मिल जाती है, जेल भर में घूमने के लिये भी उसको स्वतंत्रता मिल जाती है ।

मान्यवर, एक बात मैं जेल मैनुअल के बारे में कहना चाहता हूं। आज 25 वर्ष की आजादी के बाद भी हमारा जेल मैनुअल वहीं पुराना अंग्रेजों के वक्त का चला आ रहा है। मैंने डी0 आई0 जी0 व आई0 जी0 से बात भी की । वह कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हम क्या करें । जेल मैनुअल के हिसाब से 6 आना रोज खुराक का निर्धारित है । आजकल महंगाई के जमाने में 6 आने कहां से कोयला आयेगा, कहां से आटा आयेगा कहां से दाल या सब्जी आयेगी, मुझे मान्यवर. जेल का बहुत अनुभव है । वहां बड़ा ही खराब खाना मिलता है । अच्छा खाना उसी को मिलता है जो गुन्डा है, बदमाश है, या जो अपना पैसा खर्च करता है। यह बड़े ही शर्म और अफसोस की बात है कि आज 25 साल के बाद भी इतनी महंगाई के जमाने में जब कि दो-दो हजार मासिक वेतन पाने वाले भी शिकायत करते हैं जेल में खोराक वही 6 आने के हिसाब से मिलती है। साधारण कैदियों को इसी हिसाब से खाना मिलता है। इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है । आज 6 आना में खाली लकड़ी भी नहीं मिलेगी खाना बनाने के लिये । आज ऐसी सब्जी, दाल व रोटी जेलों में मिलती है जिसमें दुर्गंध आती है और कोई खा नहीं सकता । कीड़े दिखाई देते हैं सब्जी और दालों में । कीड़ वाली रोटी खिलाई जाती है । और मान्यवर, इस 6 आने में भी खोराक का आधा हिस्सा जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों के पेट में चला जाता है । जब दूसरी जेल वाले अपने यहां के कैदियों को अच्छी खोराक खिला सकते हैं अच्छी दाल खिला सकते हैं वगैर कीड़े की, अच्छी सब्जी खिला सकते हैं वगैर कीड़े की तो मान्यवर, इस लखनऊ जेल के लोग क्यों नहीं खिला सकते । लकिन यह दुर्भाग्य है कि इतनी शिकायतें होने के वावजूद लखनऊ जेल के अधिकारी—सुप्रिन्टेन्डेन्ट साहब ज्यों के त्यों वहां पर कायम हैं । उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की गई। इसमें मंत्री जी क्या कर, एक जातिवाद चल रहा है.....

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया है, अब कोई आपका समय नहीं है, आप बैठ जायें, श्री त्रिलोक चन्द्र ।

श्री मोती लाल देहलवी—

श्रीमन्, मुझे एक-आध मिनट और दे दें । मैं मंत्री जी की मजबूरी बता रहा हूं, यह तो पूरा कर लेने दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

जो कुछ आपको बताना था, अपने समय में बताते, अब हमारी भी मजबूरी है, समय बिलकुल नहीं है । मैंने त्रिलोक चन्द्र जी को बुला लिया है ।

*श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे यहां आपने बोलन का मौका दिया । मेरे साथियों ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं, और ज्यादा कुछ न कहकर कुछ सुझाव ही देना ज्यादा उचित समझूंगा, जिनके बारे में मैं चाहूंगा कि कुछ मुख्य सुधार जेल विभाग में होने चाहिये और जिनकी जरूरत भी है । हमारे जेलों की जो अंग्रेजों के जेलों से तुलना की जाती है, उस बारे में मैं निवेदन करूंगा कि यह तुलना उनसे नहीं करनी चाहिये, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में हम गुलामी में रहते थे और अब हमें 25 साल आजाद हुये हो गये हैं और अब उनकी तुलना में यह कहें कि हमारे जेलों में अंग्रेजों के मुकाबले में बड़ा सुधार हो गया है । तो वह अनुचित होगा ।

जहां जेल मैनुअल की बात हमारे साथी ने कही, वह पुराना ही है । उसमें समय के परिवर्तन के साथ काफी खामियां आ गई हैं, जिनको दूर किया जाना चाहिये । जब आप यह समझते हैं कि उसमें खामियां है तो उस पर पुनर्विचार करना चाहिये और उसमें स्थान-स्थान पर आवश्यकतानुसार तब्दीली लानी चाहिये । हमने देखा, हमारे देश का संविधान सन् 50 में लागू हुआ और उसमें तब से अब तक 29 संशोधन हो चुके हैं । तो जब उसमें इतनी जल्दी-जल्दी तब्दीलियां की जा सकती हैं तो जेल-मैनुअल कोई ऐसी किताब नहीं—यह वेद या पुरान नहीं, जिसका परिवर्तन न किया जा सके जिसमें संशोधन की जरूरत न हो, अतः कोई कारण नहीं कि इसमें भी आवश्यक परिवर्तन शीघ्र से शीघ्र न कर दिये जायें । यह अंग्रेजों की हुकूमत में बना था, उन्होंने उसे अपने हिसाब से जैसे गुलाम रहते हैं, जैसा उनका जीवन निर्वाह होना चाहिये, उसके अनुसार बनाया था इसलिये मंत्री जी से निवेदन है, उनको मौका मिला है तो उसमें सुधार करायें । जहां-जहां खामियां हैं, उनको दूर करायें । मंत्री जी ने एक दफा घूरमा के मजदूरों के बारे में कहा था कि उन्हें 5 रुपया माहवार जो खर्चे को मिलता था उसमें तब्दीली करके उसे अब 10 रुपया कर दिया गया है । यह एक अच्छी बात है, मैं चाहूंगा कि उसमें अगर और गुंजायश समझें तो 3–4 रुपया और उनका बढ़ा दें जिससे आज के महंगाई के जमाने में अपनी आवश्यकता की चीजें, तेल, कंघा, साबुन, मंजन आदि प्राप्त कर सकें ।

इसके अलावा मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं । हमारे जेलों में कुछ ऐसे कैदी रह जाते हैं, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है और वे नाकाबिल देखने, चलने, और बोलने से हो जाते हैं, ऐसे कैदी चाहे 396 के ही हों, मैं निवेदन करूंगा उनको ऐसी हालत में छोड़ देना चाहिये किन्तु ये डकैती और कत्ल आदि के कैदी जिनकी ऐज कम हो, उन्हें नहीं छोड़ना चाहिये—मैं इसका पक्षपाती हूं । लेकिन जो अपंग है उनको रखना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके रहने से जेल पर भार पड़ेगा ।

दूसरी बात यह है कि जेलों के सिस्टम में भी कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है । कई तरह के कैदी होते हैं । कत्ल, डकैती, के कैदी होते हैं कहीं जमीन का झगड़ा हो जाता है खामखा गुस्सा आ जाता है, झगड़ा हो जाता है, या छोटे छोटे क्राइम होते हैं, उनके नेचर में और 396 या 379 के क्राइम के नेचर में अन्तर होता है । वह दो चार दफा काम कर लेता है तो हैबिचुअल हो जाता है वह जल्द सुरधने वाला नहीं है । लेकिन जहां भाई-भाई में झगड़ा हो जाता है, एक भाई मर जाता है, दूसरा भाई जेल चला जाता है, घर की रंजिश से, घर के क्लेश से झगड़ा हो गया, ऐसे कैदियों को बीस साल तक रखना और उनसे उम्मीद करें कि उनका कोई सुधार होगा यह उचित नही समझता । उनको चार पांच साल की सजा दी जाय, उसी में उनका दिमाग अपने आप ठीक हो जाता है। एक भाई मर गया, दूसरा जेल में है, दोनों के बच्चे बेकार पड़े हैं, खेती बारी बेकार पड़ी है । ऐसे मामलों में हमें नियमों में परिवर्तन करना चाहिए। जिस नेचर का क्राइम हो, उस नेचर का सजा देने या रियायत देने के नियम में परिवर्तन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री त्रिलोक चन्द्र–]

करना चाहिये। हमारे यहां नियम है कि 20 साल में एक चौथाई काट ले उसके बाद अमूमन छोड़ देते हैं रेमिशन वगैरह लगा कर। उसमें और सुधार करना चाहिए। साढ़े सात साल अब न काटना पड़े क्योंकि उनको कोई मानसिक रोग नहीं होता है कि आफेंडर को ज्यादा दिन रखा जाय। इसको मंत्री जी सोचें। जिस तरह से गुंजायश हो करें।

हमारी जेलों में जो आज मैला उठाने की बात है, यह पूरे समाज में एक कलंक है, इस काम को हमारे कुछ भाई करते हैं, लेकिन जेल में रहते हुए हमारे कुछ भाई मैला उठाने का काम करते हैं। मंत्री जी के सामने मजबूरी होगी। हर जेल में फ्लश सिस्टम नहीं किया है। अगर कर दिया हो तो आप जबाव दे दें। आपने कुछ जेलों में फ्लश लैटरिन किया है। जहां पर आपके पास पानी का साधन, ट्यूबवेल नहीं है वहां आपने नहीं किया। इस लिए यह कहना कि जेलों में कोई आदमी मैला नहीं ले जाता यह ठीक नहीं है। आपको पता होगा आपने कर दिया हो तो ठीक है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी उत्तर दें तो आप कह दें।

श्री त्रिलोक चन्द—

मंत्री जी ने जौनपुर, हमीरपुर, नैनी, लखनऊ, बनारस वगैरह में फ्लश लैट्रिन्स बनाने की व्यवस्था की है। जहां तक मैंने देखा। हो सकता है कि मुझे इस बात की जानकारी न हो। मैंने काफी दिन से जेल देखा नहीं। अगर नहीं हुआ है तो करना चाहिए। यह ऐसी समस्या कि अगर पूरे प्रदेश में दूर नहीं कर सकते तो जेल में अवश्य दूर करें।

एक दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं चक्की से आटा पीसा जाता है जिसे आदमी पीसते हैं उसके बारे में आपकी और विभाग की दलील यह रही कि अगर आप बाहर से पिसवाएं तो हमारी मजबूरी होगी सीक्योरिटी के हिसाब से ठीक नहीं है कि बाहर से आटा पिसवा कर खिलाएं। आप जो गेहूं मंगाते हैं मैं बुलन्दशहर की मिसाल देता हूं, वहां पर गेहूं नहीं पैदा होता है, गेहूं मेरठ की जेल से मंगाते हैं। आप आटा भी मेरठ की जेल से पिसवा कर मंगवा सकते हैं। क्योंकि मेरठ जेल में चक्की है। विभाग से पूछ कर तुरन्त इसको खत्म कराने की कृपा करें और अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है चक्कियों की बीमारी आपने दूर कर दी। आपके विभाग में जो पैसा मिलता है वह आपके कर्मचारियों पर ज्यादा खर्च हो जाता है। जो सहूलियत आप देना चाहते हैं उसमें भी आपको बड़ी दिक्कत रहती है। खुश किशमती यह है कि आबकारी विभाग आपको बहुत बड़ा रवन्यु देता है आप उससे कुछ पैसा लेकर जेल की दस्तकारी को दे सकते हैं और आपकी जेलें आत्मनिर्भर हो सकती हैं अगर उनको ठीक मशीनें दी जायं और छोटे उद्योग धंधे उनको दिये जायं। ऐसा करने पर मुझे आशा है कि जेलों पर हमको जितना पैसा देना पड़ता है उसमें तनख्वाह के अलावा हमको ज्यादा न देना पड़ेगा। वैसे जेलों की मशीन खराब हो जाती है, कोल्हू खराब हो जाता है तो बहुत दिनों तक वह खराब पड़े रहते हैं पैसे की कमी की वजह से वे ठीक नहीं हो पाते और जितना पैसा विभाग को मिलता है उसका बहुत बड़ा भाग अंडर ट्रायल्स पर खर्च हो जाता है जो कोई काम जेलों में नहीं करते। 35,40 हजार जेलियों की संख्या थी उनमें 16,17 हजार तो अंडर ट्रायल्स ही थे जो जेल के बजट पर रहते है और जेल के कदी भी इसी बजट पर रहते हैं। इस तरह से जेलियों की दाल आटा की मात्रा अपने आप कम हो जाती है, ठीक व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसको देखने की जरूरत है।

मेरा यह भी सुझाव है कि 396 के जो कैदी हैं उनको आप एक ही जेल में कंसंट्रेट करके रखें तो यह छूत की बीमारी दूसरे जेलियों में नहीं फैलेगी। अधिकारियों पर भी उनकी वजह से

जो दबाव रहता है वह नहीं रहेगा । ये मेरे चन्द सुझाव जेलों पर हैं जिन पर सरकार विचार करेगी ।

अब मैं चन्द सुझाव आबकारी के बारे में देना चाहता हूं । दोनों तरफ के माननीय सदस्यों की ओर से यह बात कही गयी कि यह विभाग भ्रष्ट है, इसमें बेईमानी होती है, गड़बड़ी होती है और आपने भी कहा कि रेवेन्यु इतनी बढ़ गयी है । जब हम मद्य निषेध की ओर जाना चाहते हैं तो यह स्थिति देखकर हमारे प्रदेश व देश के लिये कलंक की बात है ।इसकी मिसाल हमको मालूम है । आजादी से पहले अंग्रेजों के जमाने में 40 करोड़ की रेवेन्यू हमको मिलती थी चीन को अफीम भेज कर लेकिन आजादी के बाद चीन ने अफीम बिलकुल बन्द कर दी । क्या उनका काम बिना अफीम के नहीं चला या उनके यहां अफीम पैदा होने लगी ? नहीं, उन्होंने खाना ही बन्द कर दिया । लिहाजा अगर हम यह सोचते रहेगें कि हमारे यहां रेवेन्यू इससे होती है, स्कूल, धर्मशालायें तथा सड़कें इससे बनती हैं इसलिये इसको समाप्त नहीं करना चाहिये यह गलत है । इसलिये रेवेन्यू बढ़ती रहे ऐसा सोचकर हम अपने आप को प्रदेश व देश की जनता को मद्य निषेध की बात कह कर धोखा देते हैं । मद्यनिषेध हमको करना होगा । यह बुरी चीज है देश तथा प्रदेश के लिये और अपनी नयी पीढ़ी पर हमको टोटल रेस्ट्रिकशन लगाना होगा दो चार साल रेवेन्यु न मिलने से हमको परेशानी हो सकती है लेकिन बाद में खत्म हो जायगी इतना पैसा तथा अनाज हमने बंगला देश को भेजा और उसका भार बर्दाश्त किया तो 40 करोड़ की रेवन्यू को भी बर्दाश्त कर सकते हैं लिहाजा पूर्ण मद्य निषेध लागू करें,बगैर यह सोचे कि हमारी रेवेन्यू का क्या होगा । नैतिक इरादे के साथ अगर हमारा डेवलपमेंट होता है तो रेवेन्यू कहीं न कहीं से आयेगी ही । हमारे नौजवानों तथा नागरिकों में आज जो इससे दोष पैदा हो गये हैं इससे बच जायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)--

अधिष्ठाता महोदय, सबसे प्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी साहब ने मुझे बाहर बुलाया था इसलिये मैं बाहर चला गया था । न कि इसलिये कि आपने मुझे बोलने का समय नहीं दिया था । राम बिलास पांडेय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव आबकारी पर दिया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । कुछ पहाड़ी जिलो में सरकार ने मद्य निषेध जारी किया लेकिन पास के जिले बिजनौर और बरेली से मोटर के जरिये वहां शराब लाई जाती है । मुझे बड़ा दुख हुआ यह देखकर कि हमारे एक अधिकारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज शराब के नशे में चूर होकर बहुत शोर शराबा किया । उनकी शिकायत डिप्टी कमिश्नर साहब को की गयी लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नही की गयी। मेरा कहना यह है कि शराब हमारे गढ़वाल में खूब बिक रही है । कुछ अधिकारी भी बहुत पीते हैं, पटवारी भी पीते हैं और होटलों में भी शराब पी जाती है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । म आशा करता हूं कि इसमें कड़ी कार्यवाही की जायगी अगर मद्य निषेध आपको पूर्ण रूप से चलाना है तो अधिकारियों को आदेश देने होंगे कि वे सख्ती से कार्यवाही करें । गढ़वाल में मद्य निषेध आपने किया लेकिन शराब बिकती है । पिछले साल तो एस0 डी0 एम0 तथा पुलिस ने मिलकर दो तीन लाख पये की घूस ली और शराब बिकती रही । वहां आफिसर्स तथा मंत्री कम जाते हैं और डिप्टी कमिश्नर 75 मील दूर पौड़ी में रहते हैं जिससे निगरानी कम होती है । मैं आशा करता हूं कि निगरानी ज्यादा की जायगी और सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी ।

एक महानुभाव ने सुझाव दिया कि विभाग के ही मैजिस्ट्रेट तथा सिपाही हों, वहीं चालान करें और सजा दें । ऐसा हो तो ठीक ही है । ईरीगेशन डिपार्टमेन्ट में इसी तरह की व्यवस्था है । लेकिन यदि इस तरह से हर डिपार्टमेंट में अलग-अलग शेल बनाये जायेंगे तो बहुत खर्च पड़ेगा । अंग्रेजों के जमाने में हर विभाग के

[श्री मेहरबान सिंह–]

आफीसारान समय-समय पर गोष्ठियां करते थे और चीफ सेक्रेटरी आर्डर करता था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हिदायत चीफ सेक्रेटरी दे देते थे कि वे सख्ती से काम लें। अभी एक साहब ने कहा कि लखनऊ में 3 ड्रम शराब के पकड़े गये थे और वह 50 रुपये में केस कम्पौन्ड कर छोड़ दिया गया। तो यदि इसी प्रकार की कार्यवाही होती रही तो मैं समझता हूं कि मद्य निषेध का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। इसलिये चीफ सेक्रेटरी इस सम्बन्ध में सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को एक सर्कुलर निकाले कि कुछ ऐसे मुलजिमान को कम जुर्माना न करें। कुछ जिलाधीश ऐसे भी हैं जो सिफारिश नहीं सुनते हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा जाये कि वे सख्ती से कार्यवाही करें, बजाय इसके कि अलग-अलग डिपार्टमेंट इसके लिये खोले जायं। उसमें कठिनाइयां हो सकती हैं।

दूसरी बात यह है कि मद्य निषेध में 10 लाख रुपये प्रोपगेण्डा में व्यय होता है और वास्तव में कुछ फायदा हो नहीं पाता है। इसलिये मद्य निषेध सम्बन्धी बातों का प्रचार अच्छे पैमाने पर किया जाय, लोगों को समझाया जाय। एक साहब ने कहा कि फेमली प्लानिंग इसलिये सफल हुआ क्योंकि उनकी गाड़ियां बहुत दौड़ती हैं। मद्य निषेध भी सफल हो सकता है यदि सरकार उसको कार्यान्वित करना चाहे। आपकी सरकार तो बहुत मजबूत सरकार है। कोई वजह नहीं है आप इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल न बना सकें। यदि आपकी सरकार इसे सफल न बना सकी तो कोई दूसरी सरकार नहीं बना सकती है।

श्रीमन्, गढ़वाल जिले में बहुत टिंचरी बिकती है। श्रीनगर और कोटद्वार में तो इस तरह से बिकती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। स्कूलों के बच्चे भी टिंचरी पीने लगे हैं। एक वहां पर मित्तल नामक व्यक्ति है जिन्होंने कि सहारनपुर में एक डिस्टलरी भी खोल ली है उन्होंने इससे लाखों रुपये कमा लिये हैं। सरकार का इस ओर जरा भी ध्यान नहीं है। पिछले वर्ष भी मैंने यहां पर प्रश्न उठाया था आज भी गढ़वाल में वही हालत है वहां टिंचरी काफी मात्रा में बिक रही है। क्या इन साहबानों के लिये छूट दे दी गई है। उन्हें कोई सजा नहीं दी जाती। यदि इस तरह की वहां पर स्थिति रही तो मद्य निषेध करने में बड़ी कठिनाई होगी। इससे तो बेहतर यही था कि सरकार मद्य निषेध ही न करती और अपना नुक्सान न उठाती। मद्य निषेध करना ही है तो इन खराबियों को पहले दूर करना होगा और योजना को असफल बनाने वाले लोगों को सजा देना होगी। इस प्रदेश के आदमी बहुत गरीब हैं और ज्यादातर गरीब आदमी ही शराब पीते हैं। जिनको एक हजार रुपया या ज्यादे तनख्वाह मिलती है वे पी लें तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो मजदूर है, गरीब है किसी तरह से दिन भर में 4–5 रुपया कमाता है और शाम को शराब पी जाता है तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो मेरा निवेदन यह है कि अगर सरकार चाहती है कि मद्य निषेध का कार्यक्रम सफल हो तो वह हो सकता है। देखा यह जा रहा है कि वह सफल ऐसी हालतों में नहीं होगा क्योंकि सरकार इसमें इन्टरेस्ट नहीं लेती है और न लेना ही चाहती है। हम लोग भी सरकारी नौकर रह चुके हैं। कोई गवर्नमेंट आर्डर आता था तो उसको सेन्ट-परसेन्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे, नहीं तो 80 प्रतिशत तो इम्प्लीमेंट करते ही थे।

श्रीमन्, आजकल बहुत ढिलाई से काम हो रहा है। शासन में कुछ ढिलाई हो गयी है। पहले के जमाने में गजटेड आफिसर खास कर एस0 डी0 एम0 एक्का दुक्का घूस लेते थे लेकिन आजकल ओपेनली एस0 डी0 एम0 पैसा लेते हैं, वे गजटेड आफिसर हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसके सम्बन्ध में मैंने पिछले दिनों भी कहा था और यहां सेक्रेटरी साहब से शिकायत भी की थी लेकिन अब भी पैसा ले रहे हैं। उनकी तरफ आखें बन्द कर लेने की वजह से करप्शन हो रहा है। अगर एस0 डी0 एम0 सख्त हो, अगर डी0 एम0 सख्त हो और कमिश्नर से कहा जाय कि वे सख्ती करें और लोगों को बतलावें शराब की वजह से मनुष्य अस्वस्थ्य रहता है कि यह मद्य निषेध आपका सक्सेसफुल होगा और आपके सरकार की जो नीति है वह सक्सेसफुल हो सकेगी।

श्रीमन्, अब मैं थोड़ा सा कारागार के सम्बन्ध में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पौड़ी में एक जेल है जो करीब 70 वर्ष से पहले का बना हुआ है और वह जेल भी बीच बाजार में है। उस जेल के अन्दर में भी अच्छी तरह से नहीं घुस सकता हूं। वह काल-कोठरी की तरह से बना हुआ है, इसलिये उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिये, जेल बहुत खराब हालत में है और बीच बाजार में है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आपके कार्यकाल में बहुत तरक्की हुई है और खाना भी अच्छा मिलता है लेकिन साथ ही साथ में यह कहूंगा कि अगर आप सभी कैदियों को बढ़िया खाना देंगे तो कुछ लोग समझ सकते हैं कि बाहर से बेहतर है जेल के अन्दर रहना। जो पोलिटिकल प्रीजनर्स हों, या ऐसे प्रीजनर्स हों जो क्रीमनलस्न हों, डाका न डालते हों, चोरी न करते हों, उनको तो आप सुविधायें अवश्य दीजिये, यह मेरी अपनी राय है, वैसे तो कैबिनेट और गवर्नमेंट की जो राय होगी, होगा वैसा ही लेकिन अगर आप बदमाशों को बढ़िया खाना दीजियेगा, और उनके लिये फ्लश लैटरिन बनवाइयेगा तो मैं समझता हूं कि हर आदमी सोचेगा कि यहां रहने के बजाय जेल में चले जायं तो अच्छा रहेगा। मैं आशा करता हूं कि खासकर के जो मैंने पहले कहा आबकारी के सम्बन्ध में आप कृपा करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर साहबान को लिख दीजियेगा कि आपके इलाके में बहुत ज्यादा शराब बिक रही है, इसलिये कड़ी कार्यवाही की जाय।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)––

मान्यवर, आजादी के बाद जो सरकारें दिल्ली या लखनऊ में बनीं उनका रिश्ता व्यापारियों से बहुत भ्रष्ट रहा है। आज सुबह ही इस सदन में चर्चा रही कि बिजली की कमी और संकट के बावजूद किस तरह से जयपुरिया और कानपुर के एक दूसरे उद्योगपति को बिजली के नये कनेक्शन दिये गये हैं। उसी तरस की एक मिसाल मैं यहां रखना चाहता हूं और यह एक तरह से प्रमाणित मिसाल है क्योंकि विधान सभा में जो प्रश्न पूछे गये थे उनके उत्तर पर यह आधारित है। मान्यवर, एक प्रश्न यहां 18–12–72 को पूछा गया था जो इस प्रकार है––"क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि मोहन मीकिन प्राइवेट लिमिटेड ने विगत कई वर्षों से अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक शराब का उत्पादन एवं बिक्री किया, यदि हां, तो सरकार ने अब तक उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की? यदि नहीं तो क्यों' इसका जवाब मान्यवर, जो सरकार से मिला वह इस प्रकार है––"मोहन मिकिन ब्रीवरीज, लखनऊ का उत्पादन उनकी अनुज्ञापित उत्पादन क्षमता से कम और मोहन मीकिन ब्रीवरीज, गाजियाबाद का अधिक रहा है। बिक्री की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

उत्पादन क्षमता भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यू० पी० एक्साइज ऐक्ट के अन्तर्गत अनुज्ञापित सीमा से अधिक उत्पादन करने पर कोई कार्यवाही करने का प्राविधान नहीं है।"

दूसरा प्रश्न 12–3–73 के उपवेशन में चौधरी रामपाल जी ने पूछा था। वह सवाल इस प्रकार था––"क्या सरकार को जानकारी है कि मोहन गोल्ड वाटर ब्रिवरीज लिमिटेड, लखनऊ को केवल बियर बनाने का ही लाइसेन्स प्राप्त है, परन्तु बाजारों में इसके द्वारा निर्मित की गई व्हिस्की व ब्रांडी बेची जा रही है, यदि हां, तो ऐसा क्यों? और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की?" इसका उत्तर दिया गया––"मेसर्स मोहन गोल्ड वाटर ब्रि० लि०, लखनऊ को केवल बीयर बनाने का लाइसेंस दिया गया है। वे नियमानुसार व्हिस्की व ब्रान्डी नहीं बना सकते। इनके द्वारा व्हिस्की या ब्रांडी बनाने अथवा बाजार में बेचने की कोई सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

[श्री अनन्तराम जायसवाल–]

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है कि जितनी इस प्रकार की डिसटिलरीज हैं उनको एक लाइसेंस मिला हुआ है, उसके द्वारा निर्धारित किया गया है कि वह इतने से अधिक उत्पादन नहीं कर सकेंगे लेकिन गाजियाबाद की मोहन डिसटिलरी अपनी निर्धारित कैपेसिटी से ज्यादा शराब बना रही है, यह सरकार ने खुद माना है और इसके आगे भी सरकार ने एक बात और कह दी है कि उनकी बिक्री पर भी कोई पाबन्दी नहीं है। यह चीज तो पहली बात से ही जुड़ी हुई है कि वह अपनी निर्धारित केपेसिटी से अधिक शराब नहीं बना सकते, इसका अर्थ यह हुआ कि जितनी उनकी निर्धारित केपेसिटी है उससे ज्यादा वह बेच भी नहीं सकते इसलिये वह सवाल पूरे तौर से सही नहीं है। सरकार इसलिये बनाने देना चाहती है क्योंकि प्रदेश के कानून में कोई व्यवस्था नहीं है इसकी जहां तक यू० पी० एक्साइज एक्ट का सम्बन्ध है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि केन्द्रीय सरकार ने क्या कोई कार्यवाही की, और नहीं की तो क्या प्रदेशीय सरकार ने उन पर कोई दबाव डाला। कोई लिखा-पढ़ी की कि ऐसी कोई चीज न हो। यह एक दिन का सवाल नहीं है बरसहाबरस से यह चला आ रहा है। इसके अलावा निर्धारित मात्रा से ज्यादा जो शराब बेची गई उस पर आय कर वगैरा भी अदा नहीं किया गया। इस तरह से इस कई साल की बढ़ी अवधि में काफी मुनाफा एकुमुलेट हुआ है और उस पर आय-कर और बिक्री-कर की बचत की गई है। इस आमदनी को मोहन और सरकार के बीच में बांटा गया है। इस तरह के इन के संबंध चलते हैं। मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा कि अगर सरकार चाहती तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से भी इस चीज को रोक सकती थी क्योंकि जहां तक शीरे की सम्पूर्ति का सवाल है वह भी यू० पी० सरकार ही करती है और जब इस सरकार के नोटिस में यह चीज आ गई थी इस प्रश्न के द्वारा कि गाजियाबाद की डिसटिलरी निर्धारित मात्रा से अधिक शराब बना रही है तो वह शीरे की सप्लाई उतनी मात्रा में कम कर सकती थी लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। यह एक मिसाल है कि किस तरह से भ्रष्ट रिश्ते व्यापारियों और सरकार के बीच कायम हैं।

दूसरी बात यह है कि बताया गया कि मेसर्स गोल्ड वाटर ब्रिवरीज को खाली बीयर बनाने का लाइसेंस था और वह व्हिस्की या ब्रान्डी नहीं बना सकते थे। तो जब लाइसेंस नहीं था तो वह कैसे उसकी शर्त को तोड़ कर यह दोनों चीजें बनाते हैं। जिस पर सरकार का मासूम उत्तर आ गया कि "इसके द्वारा व्हिस्की या ब्रान्डी बनाने अथवा बाजार में बेचने की कोई सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई। तो क्या आप यह उम्मीद करते थे कि हम आप की शर्तों को तोड़ रहे हैं और आयकर और सेल्स टैक्स की चोरी कर रहे हैं और तमाम कानून तोड़ रहे हैं? मैं जानना चाहूंगा अभी लोगों ने मुझे बताया कि आपके आवास के सामने ही मोहन मीकिंग का साइनबोर्ड विज्ञापन लगा है मुस्काड ब्रांडी का। उस पर आपका ध्यान गया होगा। उसी से मालूम होता है कि मोहन गोल्ड वाटर वाले अपनी लाइसेंस की शर्तों को तोड़कर ब्रांडी बना रहे हैं। एक तरह की नहीं बल्कि कई तरह की ब्रैन्डस हैं जैसे ह्वाइट मुस्तंग व्हिस्की, टाप सैक्रेट व्हिस्की, रेड हार्स व्हिस्की, मसकाट व्हिस्की और गोल्ड वाटर ब्रान्डी और इसके अलावा, जो हम को सूचना नहीं मिल पायी है, अनेक प्रकार की व्हिस्की ब्रांड गोल्ड वाटर के द्वारा बनायी जा रही है। जो लेबिल मोहन मेकिन का लगा है, उसमें लिखा है "बोटल्ड फार गोल्ड वाटर ब्रैवरीज।" इसका मतलब क्या हुआ ब्रान्डी की बंड के बनाने का जो नुस्खा वह है, वह गोल्ड वाटर ब्रैवरीज के जरिये से बना है लेकिन चूंकि बोटलिंग और पैकिंग मोहन मैकिंग द्वारा हुयी इसलिये उनकी तरफ से मोहन वाला लेबिल लगा दिया जाता है "बोटलिंग फार गोल्ड वाटर, ब्रेवरीज।" तो इस तरह का लेबिल कानूनन नाजायज है और ये इस लेबिल को लगा नहीं सकते हैं और अगर इस प्रकार का लेबिल पास हुआ तो कमिश्नर की इजाजत से हुआ होगा। तो सरकार को जवाब देना चाहिये था कि कमिश्नर ने इस प्रकार का लेबिल लगवाकर कानून तोड़ने की इजाजत क्यों दी। गोल्ड वाटर ब्रैवरीज मैसर्स मोहन की एक नयी छोटी कम्पनी है। मोहन मैकिंग

क्या करता है कि उनके द्वारा बनायी हुयी सामग्री को बोटलिंग करता है और मुनाफे के एक हिस्से को मुन्तकिल करता है ताकि इनकम टैक्स अधिक न देना पड़े। अगर मोहन मेकिंग का मुनाफा ज्यादा बढ़ता जाता तो जितनी ज्यादा आमदनी होती है उतना ही अधिक इनकम टैक्स पड़ जाता है और फिर आगे चल कर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो व्यापारी अपने मुनाफे को इस प्रकार खिसका देते हैं। मेसर्स मोहन मैकिन गोल्ड वाटर ब्रेवरीज के लिए यह काम नहीं कर सकता है। सारा कार्य गैरकानूनी ढंग से चल रहा है। पिछली बार जब राज्य सभा का चुनाव हुआ था उसके प्रोप्राइटर मोहन साहब सत्तारूढ़ कांग्रेस के उम्मीदवार थे, यह बात किसी से छिपी हुयी नहीं है। तो मान्यवर, इस प्रकार से भ्रष्ट रिश्ते चलते हैं।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं सन् 72-73 में, जो पिछला साल गुजर गया है उसमें उन्नाव में जो डिस्टीलरी है, उसके खिलाफ यह शिकायत प्राप्त हुयी कि यह नाजायज तरीके से सरकार की ड्यूटी बचा कर अपनी शराब कानपुर में स्मगलिंग करती है। इसकी जांच हुयी, सी0 आई0 डी0 द्वारा या विजीलेन्स द्वारा और वह जांच अब भी चल रही है, और सरकार ने यह निर्णय लिया था कि कानपुर का जिला इस डिस्टीलरी से हटा लिया जाय, उसका अच्छा नतीजा निकला और कानपुर में शराब की बिक्री पर जबरदस्त असर पड़ा। अब जांच अभी तक पूरी नहीं हो पायी है तो किन कारणों से फिर इस डिस्टलरी को कानपुर शहर में शराब बेचने की इजाजत दे दी गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर ऐसी भी क्या बात है और अगर यह सच है तो मैं प्रार्थना करूंगा कि इस पर सरकार पुनर्विचार करने की कृपा करे और कानपुर जैसे पहले उन्नाव से अलग था, वैसा ही करे। यह सरकारी रेवेन्यु के इन्टरेस्ट में है।

इसी प्रकार से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक कमेटी की ओर दिलाना चाहता हूं बावेजा कमीशन बना था और बावेजा कमीशन की फाइंडिंग्स थी। दिल्ली में जहरीली शराब से बड़ी तादाद में लोग मरे थे। सरकार की तरफ से छापे मारे गये थे। अनियमितताये पकड़ी गयी थीं। वहां मुकदमा वगैरह चला था। इंसपेक्टर और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। लेकिन जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। पिछली बार भी जब मैंने इस संबंध में अपना भाषण दिया था, तो आपका ध्यान खींचा था और अब फिर कहना चाहता हूं कि उसमें ए0सी0 स्तर की सुनवाई नहीं हुई।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ कुछ मनमानी भी विभाग में की जाती है। उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मान्यवर, मैंने 2-4-73 को मेरे एक सवाल का जवाब आया है। मैं केवल जवाब पढ़ रहा हूं।

> "यह सही है कि 1967-68 में आबकारी अधीक्षकों के रिक्त स्थान को लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये व्यक्तियों से भरने के बाद से आबकारी अधीक्षकों के उपलब्ध पदों पर भी वर्ष 1967-68 में आयोग द्वारा तैयार की गयी सूची से ही पदोन्नतियां की गयीं। सूची वर्ष 1967-68 में लोक सेवा आयोग द्वारा बनाई गयी चयन सूची में कुछ अभ्यर्थी शेष थे। अतः उन्हीं में से आबकारी अधीक्षकों के पदों पर पदोन्नतियां की गयीं जो नियमानुकूल हैं।"

मान्यवर, मेरा विनम्र निवेदन है कि वह नियमानुकूल नहीं है। गवर्नमेंट के पास जो रिक्तियां होती हैं और जो पब्लिक सेवा आयोग से भरी जाने वाली होती हैं, उसके लिये जो आदमी आयोग के सामने एपियर होते हैं, उनको देखकर छांट कर सूची तैयार की जाती है। साधारण नियम है कि वह सूची खाली उसी वर्ष के लिये होती है। जितनी जरूरत होती है, उससे कुछ ज्यादा नाम छांटे जाने का उद्देश्य यह है कि मुमकिन है कि

[श्री अनन्तराम जायसवाल—]

कुछ लोग न उत्पीड़न करें और उनको कोई दूसरा बेटर जाब मिल जाय । लेकिन वह सूची उसी साल वालों के लिये रहती है । दूसरे साल जब फिर नियुक्तियां करनी होती हैं, तो फिर से लोक सेवा आयोग के पास भेजा जाता है । लेकिन, मान्यवर, वर्ष 1967–68 में जो सूची तैयार हो गयी, उसी सूची से एक्साइज सुपरिंटेंडेंट की भरती आज तक की जा रही है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री तो पढ़े लिखे आदमी हैं आपका ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया कि यह सूची सिर्फ एक साल के लिये थी। इससे उन तमाम क्वालीफाइड लोगों को लोक सेवा आयोग के सामने जाने का मौका नहीं मिला और उनके साथ इतनी बड़ी बे-इंसाफी हुई जोकि उसमें आ सकते थे । मैं समझता हूं कि इसमें अगर कानूनी राय ली गयी होगी, तो वह वही दी गयी होगी, जोकि मैं कहता हूं । लेकिन कुछ लोगों को पक्षपातपूर्ण ढंग से बढ़ावा देने के लिये और दूसरों के हक को छीनने के लिये उसी 67–68 में तैयार की गयी सूची से भरती करते रहे। आप इन साधारण नियमों को जानते हैं और दूसरे लोग भी इसे जानते हैं। नहीं, तो फिर हर साल पब्लिक सर्विस कमीशन से चुनाव करने की जरूरत क्या है एक सूची तैयार कर लीजिये और उसी में से लेते चले जाइये और नये लोगों को कोई मौका न मिले । तो मान्यवर, ऐसा नहीं होना चाहिये ।

इसी तरह से डिपार्टमेंट के कुछ लोग रिटायर किये गये हैं फोर्स्ड रिटायरमेंट हुआ है । मान्यवर, पंत जी के समय में एक डिस्प्लीनरी कमेटी बनी थी । उसमें है कि जो 25 साल तक की सेवा कर लेते हैं वे अपनी इच्छा से जा सकते हैं, उनकी चाहे 55 साल की उमर पूरी हो या न हो और फिर जब 55 साल पूरे हो जाते हैं तो सरकार की तरफ से फिर स्क्रूटिनी होती है कि इसमें से किन लोगों को 58 साल तक एक्सटेंशन दिया जाय और किनको नहीं । मोटे तौर पर यह भी ध्यान में रखा जाता है कि पिछले 10 वर्षों में प्रतिकूल प्रविष्टि तो नहीं मिली या इस पीरियड में ई0बी0 तो नहीं रुकी और दिमागी तथा जिस्मानी तौर पर यह सरकारी नौकरी करने लायक है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ कि यहां पर कुछ ऐसे लोगों को निकाल दिया गया जो इन सब शरतों को पूरा करते थे । यह अनुमान किसी का हो सकता है कि फलां आदमी बहुत बेईमान है, लेकिन जहां तक रिकर्ड का सवाल है वह इस राय के बरखिलाफ है और उनको निकाल दिया गया । पहली तो ज्यादती यह हुई और दूसरी यह हुई और इस तरह से ज्यादती बढ़ती जाती है तो मजबूर होकर अदालत की उनको शरण लेनी पड़ती है और माननीय मंत्री जी को मालूम होगा कि इन दोनों मामलों को लेकर अदालत में रिट फाइल हो चुकी है और इस तरह से बराबर मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलता है

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

अभी दो मिनट में समाप्त करता हूं । जहां तक स्थानान्तरण का सवाल है उसमें भी सरकार हस्तक्षेप करती है । विभागाध्यक्ष को यह अख्तियार होता है कि इन्सपेक्टर लोगों को कहां रखना है और कहां से हटाना है । इसके कुछ मोटे नियम भी हैं कि जो 3 साल रह चुका है तो उसको हटाया जाय, लेकिन यहां पर भी आजकल यह है कि यह सारा अख्तियार शासन में निहित है । कोई भी विभागीय स्तर पर स्थानान्तरण नहीं हो सकते जब तक कि उनके लिये सरकार का अनुमोदन न हो जाय । अभी फरवरी की बात है कि शासन के अनुमोदन पर बरेली के सेक्टर नम्बर एक में एक एक्साइज इन्सपेक्टर हैं श्री गोविल उनको तैनात किया गया और 3–4 दिन के बाद वहां से उनको हटाकर दूसरे आदमी शायद शर्मा हैं उनको तैनात कर दिया । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या थोड़ी देर के लिये भी सरकार के यह ख्याल में नहीं बात आती कि स्थानान्तरण में पैसा खर्चा होता है और पब्लिक एक्सचेकर को नुक्सान उठाना पड़ता है। यह पूरे साल भर तक होता रहता है और नतीजा यह होता है कि

लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है और कोई डिस्पिलिन नहीं रह जाती। जब दिमाग का कंट्रोल समाप्त हो जाता है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सेक्रेटेरिएट में, विधायक निवास में लाबिंग होने लगी है कि यहां पर इसको जगह मिल जाय और वहां पर उसको। नतीजा यह है कि फिर कार्यालयों में करप्शन की काफी गुंजाइश हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

एक मिनट और। इसके साथ ही जेलों के बारे में कहना चाहता हूं। हिन्दुस्तान को अगर आजादी मिली है तो जेलों में रहकर मिली है, ऐसा कहना अतिश्योक्ति न होगी। लेकिन आजादी के बाद जेलों में सुधार की तरफ सरकार ने यथोचित ध्यान नहीं दिया है। आज भी अंग्रेजों के शासन काल से जेलों में शासन चुगली पर चलता है। वार्डर जो कैदियों में से होता है, उसको कुछ सहूलियत खाना और कपड़े की मिल जाती है, यह कैदियों में रहकर चुगली करता है जेल के अधिकारियों से और पूरा एटमास्फियर चुगली और झूठ का बना रहता है और वह जुल्म ढाता है। उसी तरह से किताबों और मैग्जीन, अखबारों के कानून हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता। जो राजनैतिक कैदी हैं जो जेल जाते हैं उनको भी अखबार पढ़ने की सहूलियत है और मैग्जीन के विषय में यह है कि जो वह पसन्द करें, लेकिन इस ओर भी कोई परवाह नहीं करता और जैसी पहले सख्ती चली आ रही थी इस मामले में वैसे आज भी चली जा रही है। तीसरी बात यह है कि जेल तो एक तरह का सांपघर है। वहां पर आदमी डाल दिया तो भाग नहीं सकता। बेचारा उफ भी नहीं कर सकता।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें। 22 मिनट हो गये।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

यह वाक्य पूरा कर लूं। जैसे सामान की चोरियां पहले चलती थीं वैसे ही आज भी आपकी तरफ से छापे मारे जाते हैं लेकिन रोग इतना बड़ा है कि यह प्रभावी नहीं हो पाते। आज भी एक ही तसला कैदियों को दिया जाता है सब काम के लिये। गंदगी भी बहुत रहती है जाड़ों में वहां चिलवा ही चिलवा मिलेगा। गरमी में खटमल और मच्छर मिलेंगे और बरसात में कनखजूरे मिलते हैं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती का समर्थन करता हूं।

(डा० भगवत दयाल सिलोइया का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामबिलास पांडेय—

मेरा भी कटौती का प्रस्ताव था।

श्री अधिष्ठाता—

भगवत दयाल जी का भी था। वह नहीं हैं। आप ही कहें।

श्री रामबिलास पांडेय—

मुझे ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि समय कम है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मंत्री जी की तारीफ तो करनी है।

श्री रामविलास पांडेय—

जहां तक मंत्री जी का सवाल है तो मंत्रिमंडल के जितने मंत्री हैं उनमें ईमानदारी में सबसे पहला स्थान मैं इनको देता हूं । मैनेजर सिंह जी इसमें मुगालते में नहीं हूं । एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपने मंगलवार को अपने दौरे में एक दुकान पर शराब बेंचते हुए पकड़ा और पुलिस के हवाले किया । लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। आप अपने नीचे के अधिकारियों में भी नैतिकता पैदा करें तब जाकर आप कुछ काम कर सकेंगे। मैं एक कहावत कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं पहले मनुष्य मदिरा को पीता है, फिर मदिरा मदिरा को पीती है और अन्त में मदिरा मनुष्य को पी जाती है मंत्री जी आप शराब नहीं पिलाते हैं, जहर पिलाते हैं । अन्तमें मैं पूज्य बापू जी की आत्मा की शांति के लिये कहूंगा कि जो सपना उन्होंने गुलामी के समय देखा था कि भारत का नागरिक चरित्रवान बनेगा तो वह तब तक चरित्रवान नहीं बन सकता जब तक कि देश में शराब खत्म न हो । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(इस समय 4 बजकर 36 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

*श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये मैं उनका स्वागत करता हूं । यह बात सही है कि स्कीमें होती हैं और स्कीमों के होने के बावजूद भी करप्शन चलता है । एक्साइज में सख्ती होती है । करप्शन मिट गया या मिट रहा है तो विभाग में खराब आफीसर्स होते हैं, अच्छे आफीसर्स भी होते हैं। जैसे हमारा कानून है कि मंगलवार को नशाबन्दी होगी, पहाड़ों में और तीर्थ स्थानों में नशाबन्दी होगी । लेकिन प्रैक्टिल रूप से वहां जब चाहें शराब मिल सकती है । यह सुझाव आया कि टोटल प्राहिबिशन हो तो टोटल प्राहिबिशन भी कामयाब नहीं हो सकता है क्योंकि गांजे का टोटल प्राहिबिशन है । चरस का टोटल प्राहिबिशन है, अफीम का टोटल प्राहिबिशन है लेकिन दूसरे स्टेट्स से नेपाल से बाकायदा इम्पोर्ट होता है और उसमें पुलिस भी और पब्लिक के आदमी भी जो रोजगार करते हैं शामिल होते हैं । जब तक मद्यनिषेध आस-पास के सूबों में न हो तो वैसे डिस्ट्रिक्स या सूबे हैं तो मद्यनिषेध उस जिले या सूबे में कामयाब नही हो सकता है गुजरात में कम्पलीट प्राहिबिशन है क्योंकि वहां महात्मा गांधी की जन्मभूमि है लेकिन वहां के बारे में भी एक पुस्तिका सेन्ट्रल प्राहिबिशन कमेटी में मिली और उन्होंने भी बताया कि लाचारी है कि आसपास के राज्यों से और समुद्र के रास्ते से हमारे सूबे में भी शराब का आना रुकता नहीं है । तो राजस्व की वजह से राज्य सरकार कम्प्लीट प्राहिबिशन नहीं करना चाहती है ऐसी बात नहीं है, सरकार की नीति है अगर कम्पलीट प्राहिबिशन हो तो राजस्व की कमी भी हो तो इतनी फिक्र की बात नहीं है लेकिन जहां-जहां हमने कम्पलीट प्राहिबिशन किया है, जिन-जिन गांवो में दुकानें बन्द कर दी गयी हैं लेकिन वहां पीने वालों की कमी नहीं है । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कानून में ऐसी बात नहीं हो सकती जिससे कम्पलीट प्राहिबिशन हो सके और इंसानियत का सुधार हो सके और शराब का पीना बुरा समझ सकें । इस बात को तो हर इंसान मानेगा और मैं इस बात का कायल हूं कि संसार में शराब से कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन जब तक सामाजिक सुधार और सामाजिक बिचारों में परिवर्तन नहीं होगा और हमारे माननीय सदस्य उसमें पूर्ण रूप से सहयोग नहीं देंगे तब तक पूर्ण मद्यनिषेध होना कानून से चाहें हम कर भी दें लेकिन उससे सिवाय राजस्व के हानि के दूसरी कोई बात होने वाली नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बहुत से सुझाव आये हैं उन पर मैं विचार करूंगा। लेकिन दो हमारे माननीय सदस्य हैं जिन्होंने कुछ कहा है उनमें एक देहलवी साहब हैं उन्होंने जरा कुछ परसनल सा किसी जेल के संबन्ध में जिक्र किया है उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने यह तजकिरा किया है कि घाटमपुर में एक एक्साइज इंस्पेक्टर थे और उनका सिपाही था। उन दोनों में झगड़ा हुआ। दोनों के खिलाफ एक दूसरे की पुलिस में रिपोर्ट हुई और दोनों का पुलिस ने इन्वेस्टीगेशन किया। तो जिस इंस्पेक्टर के खिलाफ सिपाही ने शिकायत किया उसमें तो फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी लेकिन सिपाही के खिलाफ मारने-पीटने की चार्जशीट आ गयी। उसके दो तीन रिप्रेजेंटेशन्स भी आये उनका रिजेक्शन हो गया। उसके बाद जब तीन-चार बार मंजूर नहीं हुई तो देहलवी साहब आये और मैंने उनसे कहा कि अदालत में किस्सा है और एक में फाइनल रिपोर्ट लग गयी है और दूसरे चार्ज शीटेड हैं। उसमें इंस्पेक्टर का कसूर नहीं है क्योंकि कहा गया था कि उस सिपाही ने उस इंस्पेक्टर की औरत को मारा था तो एक सबार्डिनेट का अपने सुपीरियर के खिलाफ, इस तरह का व्यवहार हो और फिर वह जांच हमारे विभाग ने नहीं की वह जांच पुलिस कर रही है और अदालत में दोनों केसेज हैं। तो उसमें मैं लाचार था और सिपाही को नहीं रोका और इंस्पेक्टर को जबतक उस शिकायत का फैसला न हो, ट्रांसफर कर दिया।

एक दूसरी बात उन्होंने जिला जेल कानपुर के बारे में शिकायत की थी कि वहां बड़ा भ्रष्टाचार है। मैंने मुआयना किया और मुआयना करने के बाद वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट का तबादिला किया। तो देहलवी साहब हमारे कांग्रेस आर के कानपुर के हरिजन एम0एल0ए0 ज्वाला प्रसाद जी भी आए और दोनों ने कहा कि यह गलत फहमी है और कहा गया कि यह बहुत अच्छा जेलर है और उसको वहीं रोक दिया जाय। एक तरफ तो माननीय सदस्य कहते हैं कि भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार जब पकड़ा जाता है तो उसी जेलर की सिफारिस करने लगते हैं और फिर बाद में उसी जेलर की शिकायत करने लगते हैं। ये दो इंस्टान्सेज मैंने इसलिये कहे कि उन्होंने जेल और एक्साइज डिपार्टमेंन्ट्स का स्पष्टीकरण किया था।

जब हमारे जायसवाल साहब ने 2–3 बातों की ओर इशारा किया। पहली बात तो मोहन में किन के बारे में है। आपको जवाब मिलने के बाद यह कहना चाहिये था कि वह गलत है। हम इंक्वायरी करवा देते। मैं अब भी मानता हूं कि अगर कोई ऐसी चीज है तो हम उसकी इंक्वायरी कर वायेंगे।

दूसरी बात उन्नाव डिस्टिलरी के बारे में कही। पहली बात तो यह है कि टेन्डर्स इंवाइट होते हैं। हर डिस्टिलरी टेन्डर देती है कि फलां जिले को इतने रुपये के हिसाब से सप्लाई करेंगे। हमें शिकायत मिली। मेरा क्वेशचन आवर था इसलिये मैं डिप्टी मिनिस्टर माननीय राम पूजन पटेल जी को भेजा। उन्होंने अनियमितता पायी। एक पास से दो ठेले पास करते थे। डिस्टिलरी का लाइसेन्स तो कैंसिल नहीं हो सकता था लेकिन उसके जिले की सप्लाई हमनें कैंसिल कर दी। साल भर कैंसिल रही। प्ले औफ हुआ और लीकर भी बरबाद हुई। प्रोडक्शन भी करीब करीब खत्म हो गया। राज्य सरकार ने कोई रहम नहीं किया। उसके ऊपर। इस साल फिर रिटेन्डर हुआ। आबकारी और उनका टेंडर सब डिस्टीलरीज से कम था। ये जो टेंडर एक्सेप्ट होते हैं वे इलाहाबाद में होते हैं। जितना दंड था वह तो उन्हें मिल गया। अगर हम नये टेंडर को एक्सेप्ट न करते तो रिट हो जाती कि नया टेंडर यों एक्सेप्ट नहीं किया। अगर किसी अनियमितता की ओर माननीय सदस्य फिर कहेंगे तो हम उनका टेंडर डमिनेट कर देंगे।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मंत्री जी ने कहा कि एक पास पर कई-कई ट्रक भेज देते थे। जो आदमी या फैक्टरी बेइमानी कर सकती है उसका टेंडर तो लोएस्ट होगा ही। साधारण कानून यह है कि खाली सबसे कम टेंडर की ही बात नहीं है। एक्साइज कमिश्नर ने उनको मान लिया है। क्या आप अपने स्तर पर कार्यवाही करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दुबारा कैंसिल करने का कोई औचित्य नहीं है,। नये सब अधिकारी कर लिये हैं। अगर वे अनियमितता करेंगे तो हम कैंसिल कर देंगे। नये कर्मचारी वहां इंतजाम करने वाले हैं। अगर कोई कतल के केस में छूट जाय तो फिर क्या उसे कतल के केस में भेज दिया जाय। माननीय सदस्य लीगल एडवाइस ले लिया करें।

मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उनका एक्साइज में काफी अनुभव है। कुछ इंसपेक्टर्स एक्साइज सुपरिटेन्डेंट्स बना दिये गये। क्यों बना दिये गये? कोई रूल नहीं था, रेगूलेशन नहीं था और ला डिपार्टमेंट की राय नहीं थी। इसका एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं हाउस के सामने। सन् 1967–68 में पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्शन हुआ था। गवर्नमेंट ने जो क्लीयर वैकेन्सी थीं उनका नम्बर भेजा और यह भी लिखा कि इतनी एक्सट्रा वैकेंसीज के लिये और सेलेक्शन कर दिया जाय, शायद आगे सिलेक्शन न हो सके। हम उसी लिस्ट में से लेते चले जायेंगे। सरकार ने मान लीजिये 40 वैकेन्सी 20 क्लीयर और 20 इन इक्सपेक्टेशन भेजी। पबलिक सर्विस कमीशन ने क्या किया कि बजाय 20 के 30 इन इक्सपेक्टेशन कर दीं। पबलिक सर्विस कमीशन हर साल नहीं बैठता। 1966–67 में बैठा, तब से नहीं बैठा है, तो उन्होंने रिजर्व लिस्ट बना दी। सरकार ने उम्मीदवारों के जो नाम मांगे थे उनकी तदात उन्होंने बढ़ा दी। वैकेन्सीज क्रिएट हो गईं और जो क्लीयर में आये थे वह लग गये। उसके बाद रिजर्व लिस्ट ली गयी। चूंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के जल्दी बैठने की कोई आशा नहीं थी, तो जो एक बार कमीशन में बैठ गया और सेलेक्ट हो गया, उनको नेचुरल जस्टिस और सेलेक्शन के आधार पर ले लिया गया है चाहे वह किसी लिस्ट ए, बी या सी का हो। हमने इस बारे में न्याय विभाग से भी राय ली थी और उन्होंने कहा कि उनको अपग्रेड कर सकते हैं। इस बिना पर उनको अपग्रेड किया गया है। इस पर अगर कोई नाराज है तो ठीक बात नहीं है। तो यह न्याय विभाग की राय से हुआ है और नेचुरल जस्टिस की भी बात थी।

इसके बाद रिटायरमेंट की बात आती है। चूंकि इक्साइज में इस बारे में रिट चल रही है तो मुझसे भाषण कराना चाहते हैं कि उसको वहां दाखिल कर दें। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि इक्साइज विभाग में 55 की आयु के बाद किसी आदमी को रखना जनहित में ठीक नहीं है। नये अधिकारी आयेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा इसलिये 55 के बाद जिन 5, 6 असिस्टेंट कमिश्नरों और सुपरिटेन्डेन्टों को रिटायर किया है उनका अदालत में फैसला होगा। वह ठीक होगा, लेकिन जनहित में उन्हें 55 से 58 नहीं देना चाहिये।

अब ट्रांसफर की बात आती है। इसके लिये माननीय सदस्य ने कहा है कि इसका अधिकार कमिश्नर को है कि नान गजेटेड का ट्रांसफर करें। उन्होंने कहा कि इस बारे में शासन ने आदेश दिये हैं। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि वह फिर मुख्य मंत्री जी से क्यों ट्रासफर कराना चाहते हैं। वह एक बात पर आ जायं। कि इंटरफिरेंस करने की कोशिश न करें। कोई इंटरफिररेंस नहीं होता यह तो सुझाव दिया जाता है। कमिश्नर का अधिकार इससे छीना नहीं जाता है। सुझाव देने का कमिश्नर को अधिकार है। अगर ट्रांसफर में कोई मैलाफाइडी है तो दूसरी बात है। आपने कहा, मैंने ट्रांसफर कर दिया। प्रजातंत्र में यह चीज संभव है।

और होना चाहिये। किसी के साथ ज्यादती की जाती है और सिफारिश आती है तो उसको देखना पड़ता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, 4 दिन में क्या गड़बड़ी हो गई। 4 दिन पहले उसको आपने एप्रूव करके भेजा और फिर हटा दिया।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जैसे कि माननीय सदस्य ने एक इंसपेक्टर के लिये लिखा था कि उसकी मां और सास बीमार थीं। उनको कानपुर वेअर हाउस दे दिया जाय। तो मैंने कहा कि वेअर हाउस दे देने से क्या उसकी मां और सास अच्छी हो जावेगी। वेयरहाउस दे दिया जाय तो ज्यादा अच्छी दवा मिलेगी और फारमेसी में पोस्टिंग हो जाय तो खराब मिलेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इन्होंने छेड़ा तो कहता हूं कि इनकी हालत यह है कि एक इन्सपेक्टर हैं सहगल जो शुरू से हार्ट-केस है। डाक्टरों ने ताज्जुब जाहिर किया है कि यह आदमी जिन्दा कसे है। वह अपनी जेब में कार्ड लेकर चलता है कि जब कहीं इत्तफाक से कोलैप्स हो जाय तो लोग उसको ठिकाने पर पहुंचा दें। उसने डिपार्टमेंट से दरख्वास्त की कि हमको नान-प्रिवेंटिव जगह पर लगा दिया जाय। उसकी बात मान लेना कोई नामुनासिब बात नहीं थी इन तथ्यों को देखते हुए, लेकिन उसको वह जाब नहीं मिला। एक दूसरा आदमी है, उसकी बीबी हार्ट के केस में अस्पताल में पड़ी है, उसको पूरा आराम भी नहीं हुआ है, उसका ट्रांसफर आपने कर दिया। और जब इंक्वायरी हुई तो वह बात सही पायी गयी, बाद में उसका ट्रांस्फर रोका गया। आप कहते हैं कि मेम्बर लोग इंटरफियरेंस करते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं औरों को नहीं, माननीय सदस्य को कहता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय सदस्य भी मेम्बर हैं। तो मान्यवर, जब इस तरह की धांधली करेंगे कि जो जायज बात होगी उसको भी नहीं करेंगे तो आखिर कम्पेशनेट ग्राउंड होती किस लिये है। उसका इसमें कंसीडरेशन मिलता है। और जब इस तरह की चीज होगी तब मामला असेम्बली में उठाया जाता है सवाल भी किया जाता है, शासन को लिखा जाता है। मंत्री सुनता नहीं है तो मुख्यमंत्री को लिखा जाता है। इसमें कौनसी नयी बात बता रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा, यह बीमार है, वह बीमार है, मेरे सामने तो कोई बात नहीं है और मैं समझता हूं अगर मेरे बजाय वही कर दिया करें और जहां वह कहें वहां ट्रांसफर हो जाया करे तो ठीक रहे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3–राज्य आबकारी के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3—राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 70,25,700 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह कि अनुदान संख्या 14—कारागार के अन्तर्गत मांग की रशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14—कारागार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,34,94,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गैलरी में पाई गई एक डायरी के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

आज एक माननीय सदस्य की यह डायरी यहां कहीं छूट गयी है और इसमें 60 रुपया भी है। इसमें जहां और मेम्बरों के नाम हैं वहां जिसकी डायरी है उसका कहीं नाम का पता नहीं चलता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

यदि नाम कुछ बता देंगे तो उससे कुछ पता लग जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह नाम किसी का नहीं है, टेलीफोन नम्बर हैं। मालूम होता है वे देवरिया, गोरखपुर के हैं। एक है यादवेंद्र सिंह का रेजीडेंस नम्बर, एक हरी सिंह शर्मा का, इलाहाबाद बैंक का, श्यामाचरण श्रीवास्तव, डी0 आई0 जी0, गोरखपुर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, देवरिया।

श्री रामबिलास पांडेय—

यह सदन में मिली है या बाहर ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह गैलरी में मिली थी। जिसकी हो वह लें लें।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में यह घोषणा करना अपेक्षित है कि 12 तारीख को उसके ऊपर चर्चा होगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत पांच सूचनायें मिली थीं । एक तो जो वक्तव्य डाक्टरों के बारे में हुआ था उसकी पुनरावृत्ति है । दूसरी है बिजनौर जिला के हल्दौर के समीप एक व्यक्ति की दाढ़ी में आग लग जाने से मृत्यु के बारे में । इसको मैं पढ़ना भी नहीं चाहता । आपने तो मजाक में लिखा है लेकिन अगर मजाक में वह न लें तो यह माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बन सकता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि दिन भर के स्ट्रेन के बाद थोड़ी ढिलाई तो आ जाय । आप उसे पढ़ दें।

श्री उपाध्यक्ष--

वह इस प्रकार है, दिनांक 5 अप्रैल, 1973 को मुकाम बिजनौर जिले के हल्दौर के समीप एक व्यक्ति की दाढी में आग लग जाने से मृत्यु हो गयी । इस सदन में बहुत से माननीय सदस्य, सर्वश्री रियासत हुसैन, मैनेजर सिंह, रामकरन सिंह, इन्द्रमणि, शफीक अहमद खां, चंचल सिंह आदि के लिये बड़ा घोर संकट, असंतोष तथा आतंक छाया हुआ है। उससे बचाव के लिये सरकार का पुनीत कर्त्तव्य है कि इस सुनिश्चित, अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है और यह भी अनुरोध है कि उन माननीय सदस्यों की सुरक्षा के लिये अविलम्ब उपाय किया जाय ।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)--

यह माननीय सदन इस काम के लिये नहीं है । यह काबिल अफसोस बात है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

आपको तो शक्ति है कि आप इसको नियमानुकूल बना दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियमानुसार इसको अस्वीकृत कर दिया है ।

श्री शफीक अहमद खां--

एक उर्दू दस्ता वाला दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

वह अस्वीकृत हो गया। अल्पसूचित प्रश्न करिये ।

श्री शफीक अहमद खां--

भूख हड़ताल कर रहे हैं । वक्तव्य दिलवा दें आप ।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं । अल्पसूचित करें ।

अब माननीय जयराम वर्मा आध घंटे की चर्चा आरम्भ करेंगे ।

शम्भूदयाल डिग्री कालेज, गाजियाबाद में कुछ व्यक्तियों द्वारा गोली मार कर कुछ छात्रों की हत्या करने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, एस0डी0 पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, गाजियाबाद में यूनियन के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में गांव वाले हैं और दूसरे हिस्से में शहर वाले हैं। चुनाव में कुछ इस तरह का परिणाम निकला कि अमर सिंह जो उसके अध्यक्ष हैं, गांव वाले गुट के हैं और उसके महामंत्री शहर वाले गुट में हैं। दोनों में कुछ मतभेद रहता है। वहां की प्रबन्ध समिति के खिलाफ शहर वाले गुट ने यह निश्चय किया कि कालेज में भूख हड़ताल की जाय और 15 फरवरी को उन्होंने भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी। लेकिन दूसरे गुट का यह कहना था कि इम्तहान करीब है, अब भूख हड़ताल का मौका नहीं है, यह काम इस वक्त नहीं करना चाहिये। इस बात को लेकर दोनों गुटों में कुछ मतभेद था। दूसरे दिन 16 फरवरी को लड़के कालेज के कम्पाउन्ड में आया करते ही थे, कुछ लड़के कम्पाउन्ड के अन्दर दोनों गुटों के इकट्ठा हो गये। उनके पास क्या हथियार थे क्या नहीं थे, यह तो जानकारी मंत्री जी को होगी, लेकिन आपस में झगड़ा हो गया। उसमें ज्यादातर विद्यार्थी थे। एक-दो आदमी बाहर के थे जो विद्यार्थी नहीं थे। एक आदमी को सख्त चोट लगी थी जिसका देहांत हो गया। वह दूसरे दिन दिल्ली में मर गया। उसका नाम हेमू था। वह विद्यार्थी नहीं था। माननीय मंत्री जी का ख्याल था कि वह डिग्री कालेज का भूतपूर्व विद्यार्थी था, ऐसी बात नहीं थी। वह एस0डी0 इंटर कालेज का विद्यार्थी दो वर्ष पूर्व था, लेकिन दो साल तक लगातार फेल होने के कारण उसने कालिज छोड़ दिया था। लेकिन कुछ लोग उसको, यानी हेमू को, इस वास्ते संरक्षण देते थे कि वह प्रबन्ध समिति के खिलाफ कुअ कार्यवाही करता रहे और उनको आतंकित करता रहे ताकि प्रबन्ध समिति के कुछ लोग जो अन्य कुछ लोगों क खिलाफ कुछ कार्यवाही करना चाहते थे वह न कर सकें।

मैं हेमू के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। वह नौजवान लड़का ऐसा था। जिसके खिलाफ कई मुकदमें 307 के चल रहे हैं। कई बार उसने चाकू से हमला किया एक अमरसिंह हैं, यूनियन के प्रेसीडेंट पिछले साल मार्च में, इन्होंने श्री अमर सिंह पर चाकू स हमला किया। वह मामला भी अदालत में है। जनवरी क महीने में एक कुम्हार के लड़के पर चाकू से हमला किया। वह मामला भी अदालत में है। उससे पूर्व भी एक और लड़के के ऊपर हमला किया, वह भी मामला अदालत में है। एक सिनेमा का भी मामला हुआ था जिसमें उसकी बहुत सी सम्पत्ति बरबाद हुई थी, उसमें भी यह लड़का इन्वाल्व था। बहुत से झगड़ों में यह लड़का इन्वाल्व था और उसके खिलाफ कार्यवाही भी चल रही है। तो इस लड़के ने एक इस तरह का काम अख्तियार कर लिया था और कुछ लोग इसको इस तरह के कामों में इस्तेमाल करते थे। वह लड़का भी इस झगड़े के वक्त मौजूद था। कुछ लोग और भी थोड़ी देर में आ गये थे। तो हेमू को उस झगड़े में चोट आयी जब झगड़ा होने लगा तो एक लड़का और 'कपूर' था जो उसका सेक्रेटरी था, वह भी झगड़ में शामिल हो गया। उसको भी चोट लगी। मेरी सूचना यह है कि कालिज की तरफ से जब थाने में सूचना दी गयी तो थोड़ी देर बाद पुलिस आ गयी। जिनको चोट लगी थी उनको अस्पताल भेजा गया। कोतवाली में रिपोर्ट भी लिखायी गयी वह पौने 12 बजे लिखायी गयी। उस रिपोर्ट को लिखने में 10–11 घंटे लग गये। 10–11 घंटे तक यही सोचा जाता रहा कि कौन-कौन नाम उसमें लिखाये जायें। इसलिये उसके लिखने में बहुत देर लगायी गयी। कोतवाल साहब भी उस दिन मौजूद नहीं थे और दरोगा थे। संबंधित लोगों से सलाह मशविरा करके 35 आदमियों के नाम निश्चित किये गये जिनके

खिलाफ रिपोर्ट लिखी गयी । उन 35 में 25 तो उसी कालिज के विद्यार्थी हैं जो पोस्ट ग्रजुएट हैं, कुछ और ह, 5 एम0एम0 एच0 कालिज के हैं । इन 35 में शायद 32 विद्यार्थी हैं और 3 और हैं । 4–5 रोज के बाद 4 आदमियों के खिलाफ 120-बी के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया । उनमें से एक धारासिंह हैं, वह हरवंशसिंह इंटर कालिज के प्रिंसिपल हैं, वह कालिज डढ़ मील की दूरी पर है, उस कालिज का एक भी विद्यार्थी इस झगड़ में शामिल नहीं था, किसी भी एक विद्यार्थी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उनको 45 रोज बाद 120(बी) के अन्तर्गत इस मामले में शामिल किया कि वे भी इस साजिश में शामिल थे । जो रिपोर्ट पहले लिखाई गई, जिसमें 35 आदमियों के नाम शामिल हैं, उसमें धारा सिंह का जो नाम शामिल किया गया वह एक साजिश स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया गया, वह वाकिया के अन्तर्गत नहीं किया गया । इस तरह से 39 आदमी कुल हुए । इसमें से 32 गूजर ह और श्री धारासिंह खुद गूजर हैं । तो गूजरों के खिलाफ नाराजगी निकालने के लिए और उनको तं । करने के लिये इसमें कोशिश की गई । उसका कारण क्या है, माननीय चौधरी साहब जब फरवरी में गाजियाबाद गये थे तो वहां उनकी एक बहुत अच्छी और सफल मीटिंग हुयी थी । श्री धारासिंह न उस मीटिंग को प्रिसाईड किया था । धारासिंह अपनी गूजर बिरादरी में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उस बिरादरी की कोई प्रदेश की सुधार कमेटी है, उसके वह सेक्रेटरी हैं, जिससे उनका काफी असर है गूजरों पर अच्छा असर है । उनके कारण से, जहां कुछ गूजर बी0 के0 डी0 से नाराज दिखाई पड़ते थे, अब उनका रुख बी0 के0डी0 की तरफ हो गया है । यह चीज कांग्रेस क लोगों को बुरी लगी । उनका ख्याल था कि इस धारासिंह की वजह से बी0के0डी0 की ताकत फिर यहां बढ़ने लगी है जो नहीं बढ़नी चाहिये । यह चीज एक और बात से भी साफ होती है । 2 तारीख को वहां चौधरी साहब गये थे और 5 तारीख को डी0वाई0एस0पी0 श्री शांडिल्य धारासिंह के घर पर गये । उन्होंने उनके घर पर चाय वगैरह भी पी । उनकी मेज पर एक फोटो रखा था, जिसमें उन धारासिंह के साथ में चौधरी साहब की फोटो थी । श्री शांडिल्य ने उनसे पूछा कि क्या यह 2 तारीख की खिंची हुई फोटो है । तो उन्होंने कहा यह आपकी बात ठीक है । इस पर उन्होंने कहा कि आपको इस तरह से राजनीति में नहीं हिस्सा लेना चाहिये और कम से कम बी0क0डी0 के साथ आपको नहीं होना चाहिय, क्योंकि यहां के डी0आई0जी0 श्री शर्मा नहीं चाहते हैं कि यहां पर बी0 के0 डी0 पनपने पाये । इसलिये आप किसी तरह का भी ऐसा करके बेकार का खतरा मोल न लें, इसके लिये मैं आपको आज ही इत्तिला कर देना चाहता हूं । यह सूचना देकर वह चले गये । इस पर धारासिंह ने इसके संबंध में एक पत्र कोतवाल को लिखा, रिपोर्ट लिखाई अपनी हिफाजत के संबंध में, जिसकी कापी उन्होंने चौधरी साहब के पास भी भजी । तो इस दृष्टि से जिनका उस घटना से कोई संबंध भी नहीं हो सकता उनको और उनकी बिरादरी के लोगों को उसमें फंसाया गया, जिन के बारे में उनका ख्याल था कि इन लोगों की वजह से बी0के0डी0 की ताकत बढ़ रही है, जो पहले थी उससे बढ़ रही है और दूसरे लोगों में भी उस पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है।

एक बात यह भी बताऊं कि जो हेमू है, जिसका मैंने जिक्र किया, उनके पिता पंडित अमृतलाल, वहां की कांग्रेस पार्टी के प्रसीडेंट हैं । उनक खिलाफ भी बहुत स मुकदमें ह । यानी बाप और बेटे दोनों के खिलाफ काफी मुकदमें हैं । उनमें से एक मुकदमा सन् 71 का जिसमें 4–5 आदमी बुरी तरह से घायल किये गये थे और एक की मृत्यु भी हो गई थी । जिसकी मत्यु हुई, उसने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में इन पंडित जी का नाम लिखाया था । लेकिन वह बेचारा एक मुसलमान गरीब घर का था, कोई केस देखने वाला नहीं था, सो मामला खत्म हो गया । अभी-अभी जिन लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट हुई, उनमें से कुछ खुद हाजिर हो गये और जमानत पर छूट गये । उनमें से एक लड़का टीकम सिंह है । तो जब वह जल से छूट कर आया जमानत पर तो उसके ऊपर कई आदमियों द्वारा हमला किया गया

[श्री जयराम वर्मा]

वह हमले के बाद बहोश हो गया और होश आने पर उसने बताया कि हमले में पंडित अमृत लाल भी शामिल थे और उनके घरवाले भी थे । आठ आदमियों ने हमला किया । इतना मारा कि वह घायल होकर बहोश हो गया । कहा जाता है कि पं0 अमृतलाल जी पुलिस से बचने के लिये लखनऊ में कई रोज से मौजूद हैं जिससे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो सके । इस तरह से इनका यह हाल है । जिनकी मृत्यु हुई है, चाहे वह विद्यार्थी रहे हों चाहे विद्यार्थी न रहे हों, चाहे उन्होंने जुर्म किया रहा हो, लेकिन अगर उनकी हत्या हुई तो उसके संबंध में सचमुच कार्यवाही होनी चाहिये । जो लोग उसमें शामिल थ, उनको सजा मिलनी चाहिये । लेकिन निरपराध आदमी शामिल कर दिये जायं यह चीज सही नहीं है राजनीतिक दृष्टि से शामिल किये जायेंगे तो कोई न्याय नहीं हो सकेगा । इस मामले में एक बात और है । वहां के कोतवाल उस दिन नहीं थे । मेरठ में थे । लकिन उनको उसकी जांच का काम न दे कर सी0आई0 श्रीचन्द्रपाल सिंह को जांच सुपुर्द की गई और वहां के कोतवाल चरनपाल सिंह को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया । क्या कुसूर था ? वह वहां पर मौजूद नहीं थे, मेरठ में थे । क्या कुसूर हो गया कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया और उस सी0आई0 ने कांग्रेस वालों से कहा कि अगर मुझसे अपनी मर्जी क मुताबिक काम लना चाहते हो तो मुझे कोतवाल बनवा दो । वह कोतवाल बना दिये गये । तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वहां ठीक न्याय हो सकेगा, ठीक जांच पड़ताल हो सकेगी ।

उसके बाद एक कार्यवाही और हुई । वहां के एस0एस0पी0 ने यह आदेश दे रखा है कि जिन लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट है उन सबका नाम कालेजों से खारिज कर दिया जाय । बहुत से उसमें छूट कर आये उनका नाम खारिज कर दिया गया । उनको इजाजत नहीं मिल रही है स्कूल में दाखिल हों । खाली रिपोर्ट के आधार पर कालेज से खारिज करवा दिया गया । इस तरह से अन्याय किया गया । एम0एम0एच0 कालेज का होस्टल बन्द करवा दिया गया । उसके दो विद्यार्थियों के नाम उस केस में हैं । उसकी वजह से होस्टल बन्द करवा दिया गया । इस तरह स ज्यादती की जा रही है । इसमें क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है ।

मेरी यह निश्चित मांग है कि एक तो उन सी0आई0 जिनको कोतवाल बनाया गया है, के हाथ स वहां की तफतीश ल लेना चाहिये । वह सी0 आई0 डी0 के हाथ में देनी चाहिये । तब जो गलत रिपोर्ट लिखायी गयी है उसकी निश्चित जानकारी हो सकेगी । एस0 एस0 पी0 जिन्होंने आदेश दे रखा कि सब लड़कों का नाम खारिज कर दिया जाय, लड़ के जान नहीं पा रहे हैं जिनके आदेश से होस्टल बन्द कर दिया है उनको हटाना चाहिये नहीं तो न्याय नहीं हो पायगा । डी0आई0जी0 के0डी0 शर्मा जिन्होंन इस तरह से सांडिल्य स कहा कि उनसे बता देना कि हम नहीं चाहत कि यहां बी0के0डी0 पनप उन्हें डी0आई0जी0 के रहते हुए, सांडिल्य जो धमकी दे आय, धारासिंह को उस धमकी का नतीजा यह भोगना पड़ा कि वह उसमें शामिल कर दिये गय अगर वह रहते हैं, तो कोई न्याय की बात नहीं हो सकती है । मेरी निश्चित मांग है कि जांच सी0आई0डी0 से हो । डी0वाई0एस0पी, डी0आई0जी, एस0एस0पी, उनको वहां रखने की जरूरत नहीं है । सी0 आई0 जो इस वास्त कोतवाल बनाये गय हैं कि वह रिपोर्ट करन वालों की मरजी के मुताबिक कार्यवाही कर सकें, उनके हाथ स तफतीश ल लना चाहिये । यह मेरी मांग है ।

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

मान्यवर, 16–2–1973 को शम्भूनाथ डिग्री कालेज में एक लड़के की हत्या होती है । 15–2–1973 से वहां पर यूनियन के एक गुट ने जो कि अध्यक्ष विरोधी गुट था, वह भूख हड़ताल करता है । 16–2–1973 को श्री अमृतसिंह तथा 40/50 अन्य लोगों का एक गुट वहां पर पहुंचता है और मार-पीट होती है । इसी में हेम कुमार की मृत्यु हो जाती है ।

माननीय सदस्य ने बड़े सुन्दर ढंग से यह कह दिया कि उसकी हत्या हो गयी । लेकिन उन्होंन यह नहीं कहा कि कैसे हथियार लेकर, किस बलव क साथ और किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु होती है । इसका उल्लेख करना उन्होंने आवश्यक इसलिये नहीं समझा कि उससे मामला साफ हो जाता । उन्होंने यह नहीं देखा कि किस तरह से हमला किया गया । जब माननीय सदस्य ने इस सारे मामले की जानकारी की तो इस बात की जानकारी उन्होंने क्यों हासिल नहीं की कि किस तरह से हत्या हुई ।

मान्यवर, वहां हेड क्लर्क ने पुलिस को इंफार्म किया कि यहां पर लड़कों का एक बहुत बड़ा गुट आ गया है और व मार-पीट कर रहे ह तथा भयंकर स्थिति होती चली जा रही है तत्काल ही वहां स पुलिस, जो भी वहां पर मौजूद थी, सब-इन्सपेक्टर थे, वे मौके पर पहुंचे लकिन तब तक मार-पीट हो चुकी थी और मार-पीट करके लड़के भाग चुके थे । उनमें से एक हेमकुमार नामक लड़के की अस्पताल में जाकर मृत्यु हो जाती है । इसके बाद एक श्री चेतनानन्द कपूर ह उन्होंन एफ0आई0 आर0 35 आदमियों की लिखाई। इस मामले से पहले भी इन्हीं विद्यार्थियों स कई संघर्ष हो चुके थ और यह संघष कोई नया नहीं था। यह हेमू नामक लड़का जो था वह उस विद्यालय का छात्र नहीं था लेकिन वह, विद्यालय के जो दूसरे पदाधिकारी थे, वाइस चांसलर, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, उनसे संबंधित था । युवक आन्दोलन में वह उनके साथ रहता था। वह जो हमला किया गया था वह एक आर्गनाइज्ड हमला था । इस घटना के अन्दर क्या तथ्य थे इसको जानने के लिये चेतनानन्द कपूर ने जो 35 आदमियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई थी उसके आधार पर वहां का इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ । इसके सिलसिले में जसा कि माननीय सदस्य ने कहा 120 बी0 में कांस्पिरेसी में चार आदमी रखे गय । उसके बाद लालचन्द ने धारासिंह क बारे में यह स्पष्ट किया कि ये इन्क्रोचमेंट कर रहे थे । वहां कुछ अन्य लोगों अमर सिंह व दर्शनसिंह ने कहा कि धारा सिंह वहां पर कालेज के पास देखे गये हैं । इन परिस्थितियों में और इस आधार पर इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ । इस प्रकार वहां पर 35 आदमी गिरफ्तार किये गय । इसके संबंध में यह कहना कि वे बी0के0डी0 के हैं या कांग्रेस पार्टी के हैं, मैं समझता हूं कि कोई महत्व नहीं रखता। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि सांडिल्य डी0 वाई0 एस0 पी0 ने मौके पर जाकर कहा और धारा सिंह क घर जाकर उन्होंन चाय पी और फोटो ली । यह तो माननीय सदस्य ही जानते होंगे कि उनके साथ इनकी क्या मित्रता है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस तरह की बात पायी गई और प्रमाण उपलब्ध हो जायें तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जायगा । यदि कांस्पीरेसी में उनका भी नाम आता है तो कोई ऐसी बात नहीं होगी कि उन्हें दंड न दिया जाय । कोई गलत काम सरकार नहीं करेगी । वहां पर एसी आक्रोश और जन मानस की सी स्थिति पदा हो गई थी । उस समय स्थिति ऐसी थी कि वे दिल्ली चले गये । यदि वे वहां पर मौजूद होत तो स्थिति और भी भयंकर हो जाती । यह सभी लोगों को मालूम है कि वहां की भयंकर स्थिति होती चली जा रही थी । और इसीलिये जब इसकी सूचना मुझे मिली तो मैंने एक अंगरक्षक दिया । वहां की जनता का उनके प्रति भयंकर आक्रोश है कि इसके पीछे उनका हाथ है । जब वे सरेंडर करक जेल चले गय तब स्थिति कंट्रोल म आयी अन्यथा यदि जनता के बीच में गये होत तो स्थिति एक दूसरे रूप में सामने आती तब माननीय सदस्य न मालूम क्या-क्या आरोप लगाते ।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि उस सबइंसपेक्टर को क्यों चेंज किया । मान्यवर, 15 तारीख से गाजियाबाद में भूख हड़ताल हो रही है और उस स्थित को छोड़कर वे मेरठ चले गये और उसके बारे में कोई प्रिकाशन नहीं लिया । अगर प्रिकाशन लिये रहते तो ऐसी स्थित न होती एसी स्थित में उस कोतवाल को जिसको माननीय सदस्य प्रश्रय देत हैं, मेरी राय में तो उसे बरखास्त होना चाहिये, उसे हटा दना चाहिये । इसकी भी जांच होगी । यह कहना कि आपने सी0 आई0 को कैसे कोतवाल बना दिया, मान्यवर, माननीय सदस्य तो बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं किसी की

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

पोस्टिंग का आधार यह नहीं होता जो माननीय सदस्य ने बतलाया कि किसी तरह से आश्वस्त कर दिया जाय कि यह काम करने के लिये तुम्हारी पोस्टिंग हो रही है। यह तो कल्पना की बात है कि उसको इन्वेस्टिगेशन इसलिये दिया गया है ताकि जो जो रिपोर्ट आवे वह अपने ढंग की आवे यह तो एक आरोप है जो माननीय सदस्य आरोप के रूप में कह रहे हैं।

जहां तक धारा सिंह के अरेस्ट का प्रश्न है, जो आवश्यक साक्ष्य हुए, गवाहों के आधार पर साक्ष्य हुए उनको 120 बी0 के अन्तर्गत अरेस्ट किया गया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जायेगा, चार्जशीट सबमिट करनी होगी, फिर वह अदालत में न्याय के लिये जायेगा, जहां दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जायेगा। यह भी रिपोर्ट है कि वहां पर जो होस्टल है वह अनडिजायरेबिल आदमियों का गढ़ बना हुआ है जहां दुनियां भर के खुराफात होते हैं। गाजियाबाद का यह कोई पहला कांड नहीं है बल्कि इससे पहले भी वहां इससे भयंकर जुर्म हुए हैं और होते रहते हैं। इसलिये अगर इस संबंध में कोई प्रिकाशन लिया गया तो वह कोई अनुचित नहीं है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि एस0 एस0 पी0 ने आदेश दिया है कि किसी लड़के की भर्ती कालेज में न की जाय या उनका नाम काट दिया जाय, तो इसको मैं देख लूंगा और देखने के बाद यदि कोई अनुचित आदेश हुए हैं तो उसे ठीक कर दिया जायेगा लेकिन जिनके खिलाफ आरोप हैं, जिनके वहां रहने से उत्तेजना फैलने की सम्भावना है और यदि उनको नगर में आन जाने की अनुमति दे दी गयी है और उससे कहीं और अधिक दुर्घटना हो जाय तो उसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर होगा? माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं कि ऐसे मौके पर प्रिकाशन मजर लेना आवश्यक होता है और देखना पड़ता है कि इसका गलत असर न पड़ जाय। अगर कहीं किसी की हत्या हो गयी हो तो हत्या के बाद उसके रिटर्न में हत्या होती है, बदले की भावना से काम लिया जाता है। इसलिये मान्यवर, इन सब बातों को देखते हुए, इन सब परिस्थितियों को देखते यह प्रिकाशन लेना पड़ा। माननीय सदस्य स्वयं एक बरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और शासन में भी रहे हैं, वे समझ सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का काम जिस अधिकारी को दिया गया है वह उचित ही है।

जहां तक श्री धारा सिंह की बात है, वे प्रिंसिपल हैं। जैसे ही उनकी रक्षा का प्रश्न मेरे सामने आया, मैंने तत्काल टेलीफोन करके उनको शैडो दिया और उनकी सुरक्षा के लिये पूरी व्यवस्था की। गाजियाबाद की जनता उनके बहुत खिलाफ है क्योंकि वह समझती है कि वह इस दुर्घटाना के लिये वहीं जिम्मेदारी हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं के लिये वह पहले भी बदनाम हो चुके हैं। मान्यवर, यह स्थिति है और इस स्थिति के आधार पर ही वहां पर प्रिकाशन लेने का काम किया गया है।

*श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री धारा सिंह ने एक रिपोर्ट एस0 ओ0 कोतवाली, गाजियाबाद को एक लेटर के रूप में लिखकर भेजी थी और उसकी कापी डी0 आई0 जी0 को भेजी और दूसरी जगह भी भेजी, तो क्या वह पत्र आप के पास आ गया है या नहीं? अगर आ गया है तो पढ़कर सुना दें, वह क्या है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मेरे पास नहीं आया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलबीर सिंह—

श्रीमन्, मेरे पास है मैं पढ़कर के बता देना चाहता हूं और जानना चाहूंगा कि इस संबंध में आप कुछ कार्यवाही करने को तैयार हैं या नहीं ? मुझे यह पता लगा और माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैंने इस संबंध में एक सवाल भी पूछा था. . . . .

श्री राधाकृष्ण गोस्वामी—

मैं एक सूचना देता हूं। मुझे एक पत्र माननीय चरण सिंह जी का, जो माननीय चौधरी साहब को लिखा था, उसके साथ मिला उसको मैंने आई0 जी0 के पास मूल रूप से जांच करने के लिये भेज दिया है।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मुझको उन्होंने यह खत लिखा था और मैंने फारवर्डिग लेटर के साथ आप के पास उसको भेज दिया। एस0 ओ0 को जो भेजा वह मैंने आपके पास भेजा।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

वही मुझको मिला है, उसको मैंने आई0जी0 के पास अपने नोट के साथ जांच के लिये भेज दिया है और उनसे कहा है कि तुरन्त मुझे स्थिति से अवगत कराया जाय।

श्री बलबीर सिंह—

जो पत्र एस0 ओ0 कोतवाली गाजियाबाद को लिखा है वह इस प्रकार है:—

To

The S. O.,

Kotwali, Ghaziabad.

Sir,

I have the honour to state as under—

1. That I am the General Secretary of Uttar Pradesh Gujar Samaj Sudhar Sabha as well as the Principal of P. H. S. Intermediate College, Madhavpura, Ghaziabad.

2. That Sri Ratti Ram Madhur, the present President of B.K. D. Meerut approached me in the month of November, 1972 and advised me to join B. K. D. in order to bring the present chism amongst Gujars and B. K. D. to an end. I assured him to think over the matter and to take a decision. Therefore, I talked to Chaudhary Charan Singh directly and was convinced to join the party thinking that this is the only political party which has something to do for the farming class of the country.

3. That on 2nd of February 1973 Ch. Charan Singh came to Ghaziabad and addressed a public meeting which was presided over by me. After the speech of Ch. Charan Singh I along with almost 90 Gujars and Aheers declared our political allegiance to B. K. D. in the presence of Ch. Charan Singh.

4. That on 5th February 1973 Mr. Sandilya, C. O. Ghaziabad came to me. We had a cup of tea at my residence thar is Kothi No. 233, Ram

Nagar, Ghaziabad and went on talking on different matters. While talking Mr. Sandilya referred to a photograph displaced on my table and enquired of it whether it was taken on 2nd of February. The photograph showed me presiding over the function and talking to Ch. Charan Singh Mr. Sandilya told me later on that it was not proper for me to join B. K. D. as Mr. Sharma D. I. G., Meerut was determined not to get the party enlivened. He also told me that in case my continuance to join and propagate for the party I was to face severe consequences I put off the matter saying that I was a Principal and I was not so influential that by my joining the party any one else should get annoyed.

5. Today in the morning I came back from collecting funds for the college and when I reached my residence I was told thar I have been involved in some case. I ran straight to Mr. Sandilya who told me that it was the result of my obstinacy to continue as a worker of B. K. D. He also told me that I could not be challaned and could be excused in case of giving up my allegiance to B. K. D. otherwise some more serious result were yet to be faced. I came back assuring him that I will give up my allegiance. Now I have come to Meerut to submit myself. It may also be added that one Sri Panna of Bonja, Harish of Dasna Darwaza, Sardar Mahendra Singh of Bajaria, Pt. Radhey Lal of Dasna Darwaza have been taking rounds of my residence in suspicious circumstances.

6. I am sure that under the patronage of Mr. Sharma, D. I. G., Meerut and Mr. Sandilya C. O. Ghaziabad some serious conspiracy is in the making. These people are bent upon taking my life and the life of my children. I have received intimitations of the same kind. A report may be lodged against all the persons and suitable action may be taken to save the life of my children as well as that of me.

Thanks.

Dated March 7, 1973.

Yours faithfully,
(Sd.) DHARA SINGH,
Principal,
P. H. S. Inter College,
Madhavpura, Ghagiabad.

COPY to—

(1) Ch. Charan Singh,
(2) D. I. G., Meerut,
(3) Hon'ble Home Minister, Government of India,
(4) I. G., U. P., Lucknow,
(5) All the members of the Parliament.

इसमें जो जो लिखा हुआ है उसमें खास बात है डी० आई० जी० को। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस तरह के सर्कमस्टेंन्सेज में क्या आप डी० आई० जी० साहब को, और अगर कर सकें तो दूसरे आफीसर्स को, फौरन ही इस केस के इन्वेस्टीगेशन के पहले तबादला करने की कृपा करेंगे ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

मान्यवर, धारा सिंह का यह पत्र उस समय लिखा गया था जब इन्वेस्टीगेशन में उनका नाम आ गया और आने के बाद इस तरह के एलीगेशन्स लगाना स्वाभाविक ही है। जब तक कि पूरी जांच न हो जायं, पूरे तथ्य सामने न आ जायं। किसी बड़े अधिकारी को ट्रान्सफर करके डिमोरेलाइज करना उचित न होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम 12 अप्रैल को 11 बजे तक के लियउठते हैं।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 35 मिनट पर बृहस्पतिवार 12 अप्रैल, 1973 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
6 अप्रैल, 1973

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी0 एस0 यू0 पी0-ए0 पी0 27एल0 ए0-1974-835